राष्ट्रीय घटनाक्रम-2019

	विषय-सूची		0	कावेरी प्राधिकरण के लिए अधिसूचना जारी	24
	4CC		0	पहली बार ओबीसी जनगणना	25
स	वैधानिक विषय	1	0	आतंकवाद निरोधक बल 'कवच'	25
			0	मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया	26
٥	महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून	1	0	कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 'निपुण' पोर्टल लॉन्च	26
0	लोकसभा एससी एसटी संशोधन विधेयक, 2018	3	0	मातृत्व अवकाश में से सात हफ्ते का वेतन वापिस दे	ने की
0	पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा	4		घोषणा	27
٥	123वां संविधान संशोधन विधेयक	4	٥	बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ए	जेंसियों
٥	व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास)	बिल		का नया कार्यक्रम	27
	2018	5	0	जी गवर्नेंस	28
٥	अरुणाचल प्रदेश में 3 नये जिलों के गठन हेतु वि	धेयक	0	सूचना समेकन केंद्र का उद्घाटन	29
	पारित	5	0	भारत में लैंगिक अंतराल	30
0	मराठा आरक्षण को मंजूरी	6	٥	EVM-VVPAT	30
٥	मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता बरकरार	6	٥	भारत, अवैध दवा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र	30
٥	संविधान की धारा -280 में संशोधन	6	0	आदर्श आचार-संहिता	31
٥	लोकसभा के 45 सदस्य निलंबित	8	٥	चुनाव आयोग द्वारा ऐप लॉन्च	33
٥	एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019	8	0	मिजोरम में 'ब्र'ू व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन पर समझौते	33
٥	भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे भारत में समान ना	गरिक	अ	धिकार एवं कर्त्तव्य	34
	संहिता	8		·	
٥	नागरिकता अधिनियम से संबंधित अधिसूचना जारी	10	_	सबरीमाला विवाद	2.4
٥	जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन	11	0	लोकपाल	34
0	डीएनए तकनीक विधेयक-2018	13	•	देश को मिला पहला लोकपाल	35
٥	राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2018	14	0		36
0	अनुच्छेद 35 A और 370	15	0	सर्वोच्च न्यायालय एवं शिक्षा का अधिकार	37
0	आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018	16	न्य	ाय तंत्र	38
सं	घ-शासन⁄ राज्य शासन	17			
			0	मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ़ रोस्टर	38
^	जम्मू–कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता तथा राज्यपाल	, a.l	0	जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश	38
0	जम्मू-कश्मार म राजनातिक आस्थरता तथा राज्यपार भूमिका	າ ຈາເ 17	٥	आधार वैधः सर्वोच्च न्यायालय	41
٥	उत्तर पूर्वी परिषद को 67वीं बैठक	19	٥	न्यायिक सक्रियता की ओर बढ़ते कदम	41
	पूर्वोत्तर भारत की समस्या का संक्षिप्त अवलोकन		311	योग ∕ समितियाँ	43
0	c/	19	5 11		75
٥	हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन	20			
٥	असम विधानसभा में आरक्षण	21	0	अनुसूचित जनजातियों पर राष्ट्रीय आयोग	43
٥	दिल्ली सरकार बनाम उप-राज्यपाल	21	0	कस्तूरीरंगन समिति	43
0	ओड़िशा सरकार बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	22	0	पूर्वांचल व बुंदेलखण्ड विकास बोर्ड का गठन	44
٥	राज्य सभा चुनाव मे नोटा	23	0	भारत का उच्च शिक्षा आयोग	44
लं	कि नीति कार्यक्रम	24	विर्वि	वेध	47

राष्ट्रीय घटनाक्रम-2019

٥	विभाजन के चार वर्ष बाद राजकीय चिन्ह स्वीकार्य	47	٥	'निर्माण कुसुम' योजना	59
٥	करतारपुर कॉरिडोर: आधारशिला	47	٥	चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ	59
٥	अभिनव भारत @ 75	48	٥	हिंदी दिवस 2018	60
0	जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू	50	٥	स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018	61
0	CBI में रिक्तियों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट	50	٥	ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स	61
٥	वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल की अधिसूचना	51	٥	'टाइम पर्सन ऑफ द इयर 2018'	62
0	स्थायी निवास स्थिति योजना (PRS)	51	٥	सतत विकास के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग	63
٥	15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तें	52	٥	वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018	64
0	एस आई पी के तीसरे चरण के नये दर्शनीय स्थान	53	٥	15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस	65
٥	बेदीनखलम फेस्टिवल	53	٥	जनजातीय भारत आदि महोत्सव	65
0	मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस	54	٥	राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस	66
0	पाणिनी भाषा प्रयोगशाला	55	٥	विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' 2019	66
0	राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार-2018	55	٥	भारत के आदिम जनजाति (PVTG) समूह	68
0	ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स- 2018	56	0	निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रि	रंपोर्ट 69
٥	मानव विकास रिपोर्ट 2018	56	٥	भारतीय संविधान दिवस	69
٥	भारत के 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर: संयुक्त राष्ट्र	58			

भारतीय राज-व्यवस्था

संवैधानिक विषय महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून

- वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है। आज महिलाएं आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक पहुँच गयी हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है।
- इसिलए महिलाओं को समाज में और भी सशक्त बनाने के लिए सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), दहेज निषेध अधिनियम (1961), हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948) जैसे कानून बनाए हैं।
- भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बनाये
 गये हैं जिनमे कुछ इस प्रकार हैं:
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1948): यह अधिनियम पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच मजदूरी में भेदभाव या उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव की अनुमित नहीं देता है।
- खान अधिनियम (1952) और कारखाना अधिनियम (1948): इन दोनों अधिनियम में यह प्रावधान है कि महिलाओं को 7 P.M. से 6 A.M. के बीच में काम पर नहीं लगाया जा सकता है।
- इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण का भी ध्यान रखना भी अनिवार्य है।
- हिंदू विवाह अधिनियम (1955) के द्वारा एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है।
- इसमें महिला और पुरुष दोनों को तलाक और विवाह के सम्बन्ध में समान अधिकार दिए गए हैं।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) में माता-पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए हैं। अर्थात यदि लड़की चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में हक ले सकती है।
- अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (1956) के
 द्वारा महिलाओं और लड़िकयों के यौन शोषण के लिए उनकी
 तस्करी की रोकथाम के प्रावधान हैं।

- दूसरे शब्दों में यह अधिनियम वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं
 और लडिकियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया है।
- दहेज निषेध अधिनियम (1961): इस अधिनियम के द्वारा शादी के पहले या बाद में महिलाओं से दहेज और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम (1961): यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद के 13 सप्ताह तक वैतिनक अवकाश (paid leave) प्रदान करता है ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके।
- इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है।

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम (2017)

- बढ़े हुए वेतन सहित प्रसूति अवकाशः इस अधिनियम में महिला कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अविध मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है।
- यह सुविधा महिलाओं द्वारा प्रत्याशित प्रसव की तारीख से 8 सप्ताह पहले तक की अविध के लिए और बच्चे के जन्म के उपरांत शेष 18 सप्ताह का अवकाश के रूप में ली जा सकती है।
- जो महिलाएं पहले ही 2 बच्चे होने के बाद बच्चे की उम्मीद कर रही हैं, उनके लिए वेतन सिंहत प्रसूति अवकाश की अविधि 12 सप्ताह होगी (यानि प्रसव के 6 सप्ताह पूर्व और प्रसव की अनुमानित तारीख के बाद 6 सप्ताह)।
- दत्तक और धात्री/कमीशनिंग माताओं के लिए प्रसूति अवकाशः प्रत्येक महिला, जो बच्चे का दत्तक-ग्रहण करती है, दत्तक-ग्रहण की तारीख से 12 सप्ताह के प्रसूति अवकाश की हकदार होगी। सरोगेसी के मामले में भी धात्री/कमीशनिंग माताओं पर भी यही लागू होता है।
- घर से काम किये जाने का विकल्प 26 सप्ताह की अवकाश की अवधि की समाप्ति के बाद कार्य के स्वरूप के आधार पर महिला कर्मचारी इस सुविधा का उपयोग उन शर्तों पर करने की पात्र हो सकती है जो नियोक्ता से परस्पर सहमित रखती हों।
- शिशु गृह (क्रेच) की सुविधाः यह अधिनियम 50 या उससे

अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए शिशु गृह (क्रेच) सुविधा दिये जाने को अनिवार्य बनाता है। महिला कर्मचारियों को दिन में चार बार शिशु गृह (क्रेच) जाने की अनुमित दी जाएगी।

- कर्मचारी जागरूकताः महिलाओं को उनकी नियुक्ति के समय उनको उपलब्ध मातृत्व लाभ के बारे में नियोक्ताओं द्वारा शिक्षित करना होगा।
- गर्भावस्था अधिनियम (1971) के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में) में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमित दी जा सकती है।
- सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमृति दी गयी है।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976): यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा।
- साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है।
- महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है।
- सती (रोकथाम) अधिनियम (1987): यह अधिनियम सती प्रथा (पित की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता में जलाना) का देश के किसी भी भाग में प्रचलन या उसके मिहमामंडन को अपराध घोषित करता है।
- किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990): सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया था।
- घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) के द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा (शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा) से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार की शिकार हो चुकी हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रहीं हैं।
- 🤉 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,

निषेध और निवारण) अधिनियम (2013): इस अधिनियम में सार्वजनिक और निजी, संगठित या असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है।

निम्नलिखित अन्य कानूनों में महिलाओं के लिए कुछ अधिकार और सुरक्षा उपायों भी शामिल हैं:

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1948)
- बागान श्रम अधिनियम (1951)
- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (1976)
- कानूनी चिकित्सक (महिला) अधिनियम (1923)
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925)
- भारतीय तलाक अधिनियम (1896)
- पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (1936)
- विशेष विवाह अधिनियम (1954)
- विदेशी विवाह अधिनियम (1969)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872)
- हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम (1956)

विशाखा गाइडलाइन्स

- विशाखा गाइडलाइन्स के तहत काम की जगह पर किसी पुरुष द्वारा मांगा गया शारीरिक लाभ, शरीर या रंग पर की गई कोई टिप्पणी, गंदे मजाक, छेड़खानी, जानबूझकर किसी तरीके से शरीर को छूना, किसी कर्मचारी के बारे में फैलाई गई यौन संबंध की अफवाह, पॉर्न फिल्में या अपमानजनक तस्वीरें दिखाना या भेजना, शारीरिक लाभ के बदले भविष्य में फायदे या नुकसान का वादा करना, आपकी तरफ किए गए गंदे इशारे या की गई कोई गंदी बात, सब शोषण का हिस्सा है।
- सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं कि यौन शोषण का मतलब केवल शारीरिक शोषण ही हो आपके काम की जगह पर किसी भी तरह का भेदभाव जो आपको एक पुरुष सहकर्मियों से अलग करे या आपको कोई नुकसान सिर्फ इसलिए पहुंचे क्योंकि आप एक महिला हैं, तो वो शोषण है।
- कानूनी तौर पर हर संस्थान जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी हैं वहां, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत अंदरूनी शिकायत समिति (ICC) होना जरूरी है।
- इस कमेटी में 50 फीसदी से ज्यादा मिहलाएं होना आवश्यक है और इसकी अध्यक्ष भी मिहला ही होगी। इस कमेटी में यौन

- शोषण के मुद्दे पर ही काम कर रही किसी बाहरी गैर-सरकारी संस्था (NGO) की एक प्रतिनिधि को भी शामिल करना ज़रूरी होता है।
- शोषण होने पर इसकी लिखित शिकायत कमेटी में कर सकती हैं और इससे संबंधित सभी दस्तावेज भी देने होंगे, जैसे मैसेज, ईमेल आदि।
- यह शिकायत 3 महीने के अंदर देनी होती है। उसके बाद कमेटी
 90 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करती है।
- इसकी जांच में दोनो पक्ष से पूछताछ की जा सकती है। आपकी पहचान को गोपनीय रखना समिति की जिम्मेदारी है।
- इस गाइडलाइंस के तहत कोई भी कर्मचारी चाहे वो इंटर्न भी हो, वो भी शिकायत कर सकता है। उसके बाद अनुशानात्मक कार्रवाई की जा सकती है
- भारत में इतने सारे कानूनों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति
 विकसित देशों की तुलना में बहुत ही दयनीय है।
- ग्रामीण इलाकों में तो आज भी महिलाओं को पुरुषों की पैरों की जूती के बराबर माना जाता है, इसका मुख्य कारण महिला अशिक्षा, आर्थिक परतंत्रता और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है।

लोकसभा एससी एसटी संशोधन विधेयक, 2018

- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कानून के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपायों के संबंध में लोकसभा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 को सर्वसम्मति से पारित किया है।
- यह विधेयक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 में संशोधन करना चाहता है।

पृष्ठभूमि

- अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 हाशिए वाले समुदायों को भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह एससी / एसटी के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को प्रतिबंधित करता है और पीडि़तों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करता है।
- 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की थी और इस कानून के तहत आरोपी की स्वचालित गिरफ्तारी के खिलाफ फैसला सुनाया था।
- 🖸 इसने अग्रिम जमानत के प्रावधान भी पेश किए थे।

- अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी से पहले विरष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
- इसके अलावा, उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जाँच कर सकता है कि अधिनियम के तहत मामला बनता है कि नहीं।

विधेयक की विशेषताएं :

- विधेयक में जाँच अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी भी प्राधिकारी की मंजरी की आवश्यकता नहीं होगी।
- इसके अतिरिक्त आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता भी नहीं होगी।
- जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया है वह व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।
- यह प्रावधान किसी भी अदालत के किसी भी निर्णय या आदेश के बावजूद लागू होगा।
- इस प्रकार यह अप्रैल 2018 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अनुसूचित जनजाति संबंधित फैसले को उलट देता है।

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989

- इसे लोकप्रिय रूप से अत्याचार रोकथाम (पीओए) अधिनियम या अत्याचार अधिनियम के रूप में जाना जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य सिक्रय प्रयासों के माध्यम से हाशिए के लोगों के लिए न्याय प्रदान करना है, जिससे उन्हें गरिमा, आत्म-सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिल सके।
- इस अधिनियम में आपराधिक अपराधों को लेकर विभिन्न अनुच्छेदों या व्यवहारों से संबंधित 22 अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है और एससी / एसटी समुदाय के आत्म सम्मान और सम्मान को तोड़ दिया गया है।
- इसमें उनके प्रति होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति भेदभाव के साथ-साथ कानूनी प्रक्रिया के दुरूपयोग को समाप्त करने की बात की गयी है।
- यह अधिनियम सामाजिक संरचना से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
- अधिनियम की धारा 14 प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय का प्रावधान करता है।

पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा

- संसद ने संविधान में 123वां संशोधन विधेयक पारित किया, जो पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है।
- यह विधेयक अब राष्ट्रपित के पास उनकी सहमित के लिए भेजा जाएगा। (संविधान के अनु, 368 के अनुसार)।

बिल की मुख्य विशेषताएं

- संविधान संशोधन (123 वां संशोधन) विधेयक अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के समान एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- यह बिल संविधान के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सुरक्षा उपायों की जाँच और निगरानी करने के लिए एनसीबीसी के कर्तव्यों का उल्लेख करता है।
- यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिसूचना के खिलाफ किसी शिकायत की जाँच करते समय नागरिक अदालत की शक्तियों के साथ एनसीबीसी को शक्तियां भी प्रदान करता है।

पृष्ठभूमि

- लोकसभा द्वारा पारित बिल को फिर से पूर्ण बहुमत के साथ राज्यसभा में पारित किया तथा सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (मौजूद और मतदान सदन में उपस्थित सभी 156 सदस्य) ने बिल के पक्ष में मतदान किया।
- नोट: अप्रैल 2017 (बजट सत्र 2017) में लोकसभा ने संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक, 2017 पारित किया था और इसे राज्यसभा में भेज दिया था।
- जुलाई 2017 (2017 मानसून सत्र के दौरान), राज्यसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दल द्वारा उठाए गए कुछ संशोधनों को शामिल करने के बाद बिल पारित किया और संशोधन की पुष्टि के लिए इसे लोकसभा में वापस भेज दिया गया।
- संशोधन में तीन सदस्यीय एनसीबीसी से पांच सदस्यीय संरचना बनायी गयी तािक अल्पसंख्यक समुदाय से महिला और व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया जा सके।
- यह भी अनिवार्य था कि सभी पांच सदस्यों को अनिवार्य रूप से ओबीसी समुदायों से होना चाहिए।
- सुझाए गए संशोधनों में, केंद्र सरकार एनसीबीसी में पिछड़े वर्गों से एक महिला सदस्य नियुक्त करने पर सहमत हुई थी। अन्य

संशोधन अस्वीकार कर दिए गए (भगोड़ा आर्थिक अपराध)।

123वां संविधान संशोधन विधेयक

लोकसभा में 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों के स्थान पर वैकल्पिक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

उद्देश्य

- इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कि यह और अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सके।
- वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का परीक्षण करती है।
- विधेयक द्वारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों के परीक्षण का अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- इस आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग अधिनियम,
 1993 के तहत किया गया है।
- इस आयोग को किसी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने तथा बाहर करने संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार है।
- प्रस्तावित विधेयक इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और कल्याणकारी उपायों का परीक्षण करने का अधिकार देता है।
- उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 भी पेश किया गया था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 को निरस्त किया जाना है।

आयोग की संरचना

- इस संविधान संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा की जाएगी।
- 💿 इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत अन्य तीन सदस्य होंगे।

- आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।
- इन सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा नियमों के तहत किया जाएगा।

आयोग के कार्य

- 🗴 इस विधेयक के तहत आयोग के निम्न कार्य प्रस्तावित हैं-
 - (i) संविधान के तहत तथा अन्य क्रियान्वित कानूनों के तहत पिछड़े वर्गों की सुरक्षा कैसे की जाए, इसकी जाँच एवं निगरानी करना।
 - (ii) अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों में विशिष्ट पूछताछ
 - (iii) ऐसे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सलाह देना तथा सिफारिश करना।

व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) बिल 2018

- हाल ही में लोकसभा ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पारित किया गया।
- यह विधेयक तस्करी किए गए व्यक्तियों की रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के लिए प्रावधान करता है और तस्करी के मामलों की जाँच के लिए राष्ट्रीय एंटी-ट्रैफिकिंग ब्यूरो स्थापित करना चाहता है।
- यह ई-जिला स्तर पर एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एटीयू) की स्थापना के लिए प्रावधान करता है जो पीड़ितों और गवाहों की जाँच, रोकथाम, बचाव और सुरक्षा से निपटेंगे।

बिल की मुख्य विशेषताएं :

नेशनल एंटी-ट्रैफिकिंग ब्यूरो (एनएटीबी)

- विधेयक तस्करी के मामलों की जाँच और विधेयक के प्रावधानों को लागू करने के लिए एनएटीबी की स्थापना का प्रस्ताव है।
- एनएटीबी में पुलिस अधिकारी और आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
- यह दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा निर्दिष्ट विधेयक के द्वारा किसी भी अपराध की जाँच करेगा।
- इसके अलावा, यह राज्य सरकार से जाँच में सहयोग करने के लिए अनुरोध कर सकती है या मामले को राज्य सरकार से जाँच और सुनवाई के लिए राज्य अल्प सरकार को मंजूरी दे सकती है।

एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट्स

- यह बिल जिला स्तर पर एंटी-ट्रैफिकिंग यूनिट्स (एटीयू) की स्थापना का प्रावधान करता है।
- वह पीड़ितों और गवाहों की रोकथाम, बचाव एवं संरक्षण और तस्करी अपराधों की जाँच और अभियोजन पक्ष के साथ सौदा करेंगे।
- जिलों में जहाँ एटीयू कार्यात्मक नहीं है वहां यह जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा उठाई जाएगी।

एंटी-तस्करी राहत और पुनर्वास समिति

- यह विधेयक इन सिमितियों (एटीसी) की स्थापना के लिए तीनों स्तरों पर प्रावधान करता है राष्ट्रीय, राज्य, और जिला स्तर।
- ये सिमितियां समाज में पीडि़तों के मुआवजे, प्रत्यावर्तन और पुनः
 एकीकरण प्रदान करने के लिए जिम्मेवार होंगी।
- खोज और बचाव : विधेयक उन लोगों को बचाने के लिए एंटी-तस्करी पुलिस अधिकारी या एटीयू को अधिकार देता है, अगर वे आसन्न खतरे में हैं।
- उन्हें बाल कल्याण सिमिति या चिकित्सा परीक्षा के लिए मिजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। जिला एटीसी पीडि़त को राहत और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा।

अरुणाचल प्रदेश में 3 नये जिलों के गठन हेतु विधेयक पारित

- अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चोवना मेन ने विधानसभा में
 अरुणाचल प्रदेश जिला पुन: संगठन (संशोधन) विधेयक 2018
 सदन में रखा था।
- विधानसभा ने इसे ध्विन मत से पारित कर दिया। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में 22 जिले हैं। तीन नये जिलों के गठन के बाद इनकी संख्या 25 हो जाएगी।
- इन नये जिलों के नाम हैं पाक्के केसांग, लेपा रादा और शि-योमी।

अरुणाचल प्रदेश के नये जिले

- 🗴 पाक्के केसांग जिले का मुख्यालय लेम्मी में होगा।
- यह जिला पूर्व कामेंग जिले से निकालकर पांच प्रशासनिक इकाइयों के साथ बनाया जाएगा।
- लेपा राडा जिले का मुख्यालय बसार में होगा. यह जिला लोअर सियांग जिले से पांच प्रशासिनक इकाइयों के साथ बांटकर बनाया जाएगा।
- शि-योमी जिला पश्चिम सियांग जिले से पृथक कर के बनाया गया है।
- 🖸 इसका मुख्यालय टैटो में होगा। इस जिले में चार प्रशासनिक

- इकाइयां होंगी।
- अरुणाचल प्रदेश में नये जिलों के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नये जिलों का निर्माण इसलिए आवश्यक है क्योंकि लोगों की बढ़ती मांगें और उन तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नये जिलों को बनाया जाना जरुरी हो गया है।

मराठा आरक्षण को मंजूरी

- महाराष्ट्र विधानसभा में 'मराठा आरक्षण बिल' (Maratha Reservation Bill) एकमत के साथ पास हो गया है।
- महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में 16
 फीसदी आरक्षण देने पर सहमत हो गई है।
- इसके साथ ही पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जाति/जनजातियों, अल्पसंख्यक समूहों व मराठाओं को दिया जाने वाला कुल आरक्षण 68 फीसदी होगा।
- सरकार अब जल्द ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर इसे अमल में लाने का प्रयास करेगी।
- मराठा समुदाय को ये आरक्षण राज्य पिछडा वर्ग आयोग (एसबीसीसी) के तहत दिया जाएगा।
- अब इस बिल को विधानपरिषद में रखा जाएगा।
- > वहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप ले लेगी।
- महाराष्ट्र में 76 फीसदी मराठी खेती-िकसानी और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं।
- वहीं सिर्फ 6 फीसदी लोग सरकारी-अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं।
- एसबीसीसी ने मराठा समुदाय को 'सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा' करार दिया है।
- मराठा समुदाय की राज्य में 30 प्रतिशत आबादी है।

मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता बरकरार

- सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवम्बर 2018 को मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है।
- इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अलग-अलग राय व्यक्त की।
- तीन सदस्यीय पीठ में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता शामिल थे।
- जजों की टिप्पणियों से साफ है कि देश में मृत्युदंड की सजा बनी रहेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने छन्नू लाल वर्मा को सुनाई गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

भारत में मौत की सजा

- भारत में मौत की सजा कुछ गंभीर अपराधों के लिए दी जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1995 के बाद 5 घटनाओं में मौत की सजा दी है।
- जबिक वर्ष 1991 से अब तक इसकी कुल संख्या 26 है।
- मिथु बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 303 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी व्यक्ति को आवश्यक रूप से मौत की सजा देने को गैरकानूनी माना है।
- भारत में वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या विवादित है; अधिकारिक सरकारी आँकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 52 लोगों को फाँसी की सजा दी गयी है।
- दिसम्बर 2007 में, भारत ने मौत की सजा पर रोक के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प के विरुद्ध मतदान किया था।
- नवम्बर 2012 में, मौत की सजा को प्रतिबन्धित करने के लिए रखे गये संयुक्त राष्ट्र महासभा के मसौदे के विरुद्ध मतदान करते हुये अपने फैसले को बरकरार रखा।
- विधि आयोग ने 31 अगस्त 2015 को सरकार को एक प्रतिवेदन सौंपा जिसमें देशद्रोह अथवा आतंकी अपराधों के अतिरिक्त अन्य अपराधों के लिए मौत की सजा को समाप्त करने की सिफारिश की।
- इस प्रतिवेदन में मौत की सजा को समाप्त करने के लिए विभिन्न कारकों को उद्धृत किया गया है जिसमें 140 अन्य देशों में इसकी समाप्ति का भी उल्लेख है।
- भारतीय दण्ड संहिता के साथ-साथ भारतीय संसद द्वारा कानूनों की नयी शृंखला अधिनियमित की गयी जिनमें मौत की सजा का प्रावधान है।

संविधान की धारा -280 में संशोधन

- मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर के छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में स्वायत्त
 परिषदों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी के लिए संविधान की धारा
 280 में संशोधन की अनुमित दे दी है।
- प्रस्तावित संशोधन असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषदों को अधिक अधिकार प्रदान करेगा।
- असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्बी आंगलॉग स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्तशासी क्षेत्रीय परिषद में राज्य वित्त आयोग गठित किए जायेंगे।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- वित्त आयोग छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों में दस स्वायत्तशासी जिला परिषदों और ग्रामीण तथा नगरपालिका परिषदों को वित्तीय संसाधन के अधिकार देने की सिफारिश करेगा।
- राज्य चुनाव आयोग, असम, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्रों में स्वायत्तशासी परिषदों, ग्रामीण और नगर परिषदों में चुनाव करवायेंगे।
- ग्रामीण और शहरी परिषदों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- प्रत्येक स्वायत्तशासी परिषद में कम से कम दो महिला सदस्यों को मनोनीत किया जायेगा।

संविधान की धारा 280 के विषय में

- भारतीय वित्त आयोग 1951 को अस्तित्व में आया।
- इसका गठन राष्ट्रपित द्वारा भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत किया गया है।
- इस आयोग को केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, वित्त आयोग के गठन का अधिकार, राष्ट्रपित को दिया गया है।
- वित्त आयोग में राष्ट्रपित द्वारा एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य नियुक्त किये जाते हैं।
- राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243
 (1) की द्वारा किया जाता है।

वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनका कार्यकाल				
वित्त आयोग	नियुक्ति वर्ष	अध्यक्ष	अवधि	
पहला	1951	के. सी. नियोगी	1952-1957	
दूसरा	1956	के संथानाम	1957-1962	
तीसरा	1960	एके चंद्रा	1962-1966	
चौथा	1964	डॉ पीवी राजमन्नार	1966-1969	
पांचवां	1968	महावीर त्यागी	1969-1974	
छठा	1972	पी ब्रह्मानंद रेड्डी	1974-1979	
सातवां	1977	जेपी सेलट	1979-1984	
आठवां	1982	वाई पी चौहान	1984-1989	
नौवां	1987	एन केपी साल्वेग	1989-1995	
10वां	1992	केसी पंत	1995-2000	
11वां	1998	प्रो एएम खुसरो	2000-2005	
12वां	2003	डॉ सी रंगराजन	2005-2010	

13वां	2007	डॉ विजय एल	2010-2015
		केलकर	
14वां	2012	डॉ वाई वी रेड्डी	2015-2020

- नोट : यह बात ध्यान देने योग्य है कि, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया।
- श्री सिंह भारत सरकार के पूर्व सिचव एवं पूर्व संसद सदस्य हैं।
- ▶ वे वर्ष 2008-2014 तक बिहार से राज्य सभा के सदस्य रहे।
- वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त चार अन्य सदस्य होते
 हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपित द्वारा की जाती है।
- 15वें वित्त आयोग के चार अन्य सदस्यों का विवरण निम्नवत है—

शक्तिकांत	(भारत सरकार के पूर्व	सदस्य
दास	सचिव)	
डॉ. अनूप	(सहायक प्रोफेसर, जॉर्जटाउन	सदस्य
सिंह	विश्वविद्यालय, वाशिंगटन डी.	
	सी., अमेरिका	
डॉ. अशोक	[अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी,	सदस्य
लाहिड़ी	अंशकालिक) बंधन बैंक]	(अशंकालिक)
डॉ. रमेश	(सदस्य, नीति आयोग)	सदस्य
चंद्र		(अंशकालिक)
 श्री अरविंद मेहता आयोग के सचिव होंगे। 		

- 15वां वित्त आयोग निम्निलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा-
 - केंद्र और राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों (Net Proceeds of Taxes) के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग के आबंटन के बारे में, संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन करों के शुद्ध आगमों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजन किया जाना है।
 - भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत और संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (1) के परंतु (Provisos) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 275 के अधीन राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में राज्यों को संदत्त की जाने वाली धनराशियां, राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय करना।

- यह आयोग केंद्र और राज्यों की वर्तमान वित्त व्यवस्था, घाटे,
 ऋण स्तरों, नकदी शेष और राजकोषीय अनुशासन कायम
 रखने के प्रयासों की स्थिति की समीक्षा करेगा और मजबूत
 राजकोषीय प्रबंधन के लिए राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) की रूपरेखा की सिफारिश करेगा।
- यह आयोग अपनी सिफारिशें देने के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों का प्रयोग करेगा।
- 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल, 2020 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगी।

लोकसभा के 45 सदस्य निलंबित

- लोकसभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने दो दिन में 45 सदस्यों को निलंबित कर दिया है।
- ये सदस्य तेलगू देशम पार्टी और अन्नाद्रमुक के हैं और पिछले कई दिनों से लगातार लोकसभा में नारेबाजी कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे थे।
- स्पीकर ने हंगामा करने वाले इन सदस्यों के खिलाफ यह कार्यवाही लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियम 374ए के तहत की है।

नियम-374 (ए)

नियम 374(ए), कहता है, "नियम 373 और 374 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष के आसन के निकट आकर अथवा सभा में नारे लगाकर या अन्य प्रकार से सभा की कार्यवाही में बाधा डालकर लगातार और जानबूझकर सभा के नियमों का दुरुपयोग करते हुए घोर अव्यवस्था उत्पन्न किए जाने की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा सदस्य का नाम लिए जाने पर वह सभा की सेवा से लगातार पांच बैठकों के लिए या सत्र की शेष अवधि के लिए, जो भी कम हो, स्वत: निलंबित हो जाएगा।"

पृष्ठभूमि :

- अगस्त 2015 में कांग्रेस के 25 सदस्यों को काली पट्टी बांध ने एवं कार्यवाही बाधित करने पर निलंबित किया था। फरवरी 2014 में लोकसभा के शीतकाल सत्र में 17 सांसदों को 374 (ए) के तहत निलंबित किया गया था।
- अगस्त 2013 में मानसून सत्र के दौरान कार्यवाही में रुकावट पैदा करने के लिए 12 सांसदों को निलंबित किया था। वर्ष 1989 में राजीव गांधी सरकार के दौरान विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने पर निलंबित किया गया था।

एनआरआई विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 'एनआरआई (अनिवासी भारतीय) विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019' पेश करने को स्वीकृति दे दी है।
- इसका उद्देश्य ज्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारतीय नागरिकों, विशेषकर एनआरआई जीवनसाथियों द्वारा अपनी-अपनी पित्नियों का उत्पीड़न करने के खिलाफ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक संरक्षण प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- विधेयक पारित हो जाने पर अनिवासी भारतीयों द्वारा की जाने वाली शादियों का पंजीकरण भारत अथवा विदेश स्थित भारतीय मिशनों एवं पोस्ट में कराना होगा और इसके लिए निम्नलिखित में आवश्यक बदलाव करने होंगे :-
 - पासपोर्ट अधिनियम. 1967 में
 - धारा 86ए को शामिल करते हुए फौजदारी या दंड प्रक्रिया संहिता. 1973 में
- भारत में अदालती कार्यवाही के लिए न्यायिक सम्मन जारी करना एक प्रमुख समस्या है, जिसके लिए इस विधेयक में आवश्यक प्रावधान किये जाएंगे।
- इसके लिए फौजदारी अथवा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया जाएगा।
- इस विधेयक के फलस्वरूप अनिवासी भारतीयों से विवाह करने वाली भारतीय नागरिकों को अपेक्षाकृत ज्यादा संरक्षण मिलेगा।
- इसके साथ ही यह विधेयक अपनी जीवनसाथी का उत्पीड़न करने वाले अनिवासी भारतीयों पर लगाम लगाएगा।
- इस विधेयक से विश्वभर में अनिवासी भारतीयों से विवाह कर चुकी भारतीय महिलाएं लाभान्वित होंगी।

भारतीय संविधान से संबंधित मुद्दे भारत में समान नागरिक संहिता

- भारत के विधि आयोग का कहना है कि एक समान नागरिक संहिता ''अभी न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय'' है।
- यह कहा गया कि धर्मिनरपेक्षता देश में प्रचलित बहुलवादी संस्कृति का विरोधाभासी नहीं हो सकता।
- 🕨 आयोग के अध्यक्ष पूर्व सीजेआई बीएस चौहान हैं।

मुख्य सुझाव

> आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति की

विविधता के सौंदर्य से विशिष्ट समूहों को वंचित नहीं करना चाहिए और महिलाओं की समानता के अधिकार पर समझौता किये बिना विश्वास की स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए।"

 क्योंकि महिलाओं को एक या अन्य के बीच चयन के लिए बाध्य करना अनुचित होगा।

सभी धर्मों से संबंधित कानूनों और धर्मनिरपेक्ष कानूनों में किन सुधारों की आवश्यकता है?

- धार्मिक रीति-रिवाज़ों के तहत ''सामाजिक बुराइयों'' के उदाहरण के रूप में सती, देवदासी, तीन तलाक और बाल विवाह का हवाला देते हुए आयोग ने पाया कि ये ''प्रथायें मानव अधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं और न ही वे धर्म के लिए आवश्यक हैं।''
- भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराओं के संदर्भ में, जो भारत में पारिसयों के उत्तराधिकार के संबंध में है, आयोग ने कहा कि एक पारसी महिला को अपनी पहचान बनाये रखने की अनुमित दी जानी चाहिये भले ही वह अपने समुदाय से बाहर शादी करती है और उसके बच्चों को पारसी धर्म चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, न कि बच्चे के पिता के धर्म को।

हिन्दू पर्सनल लॉ

- हिन्दू पर्सनल लॉ के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक हिन्दू अविभाजित परिवार का उन्मूलन है, जिसका उपयोग केवल कर अपवंचन के लिए किया जाता है।
- हिन्दू विधियों में सुझाये गये अन्य सुधारों में से दाम्पत्य अधिकार की क्षितिपूर्ति प्रावधान को दूर करने से संबंधित है, जो पितनयों को सहवास के लिए मजबूर करता है।
- दूसरे लिव-इन-रिलेशनिशप से पैदा हुए बच्चों के उत्थान और विरासत के अधिकार के मुद्दों को हल करने के लिए एक नया कानून लाया जा रहा है।

महिलाओं के लिए समान अधिकार

- महिलाओं के समान अधिकारों के मुद्दे पर, यह कहा जाता है कि घर में महिलाओं की भूमिका को पहचानने की आवश्यकता है और उसके वित्तीय योगदानों की परवाह किये बिना उसे तलाक पर शादी के बाद संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।
- यह कहा जाता है कि सभी पर्सनल और धर्मिनरपेक्ष कानूनों हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936 (ईसाईयों

के लिए भी), मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन को इस बदलाव को दर्शाने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

असंहिताबद्ध मुस्लिम पर्सनल लॉ

- असंहिताबद्ध मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में, विधि आयोग ने विरासत कानूनों में सुधार की मांग की है और उसके संहिताबद्ध करने की ज़रूरत पर जोर दिया है।
- जो आवश्यक रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीअत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 को समाप्त किये बिना संभव नहीं होगा।
- इसने 'विरासत एवं उत्तराधिकार के संहिता' की सिफारिश की है, जो शिया और सुन्नी दोनों के लिए लागू होगा, तािक उत्तराधिकार और विरासत पुरुष सगोत्र वािरस को प्राथमिकता देने के बजाए, मृतक के निकट संबंधी पर आधािरत हो।
- एक मुस्लिम विधवा, यहां तक कि उसके बच्चे भी न हों
 उसे वर्ग एक वारिस के रूप में सम्पत्ति की उत्तराधिकारी होनी
 चाहिए।
- मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 के विघटन में स्पष्ट संशोधन की ज़रूरत है जिसमें व्यिभचार को (Adultery) जीवन साथी (दोनों) के लिए तलाकृ का आधार बनाना चाहिए।
- वर्तमान में इसे तभी मान्यता प्राप्त है जब यह "महिला की प्रतिष्ठा को आघात या उसे बदनाम करता हो।"
- चुंकि बहुविवाह, निकाह हलाला, व्यिभचार कानून सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।
- इसलिए विधि आयोग में सुधारों की चर्चा की लेकिन उसने सिफारिशें नहीं दीं।
- अभी इस्लाम में बहुविवाह की अनुमित है, लेकिन इसका प्रचलन भारतीय मुसलमानों में कम है, दूसरी तरफ अन्य धर्मों के लोगों द्वारा इसका दुरूपयोग किया जाता है, जो पूर्ण रूप से केवल दूसरा विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं।
- निकाहनामा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि बहुविवाह एक दण्डनीय अपराध है।
- एक ऐसी स्थिति जो एकल विवाह के नैतिक रूख पर आधारित नहीं है, बिल्क एक तथ्य पर आधारित है कि इसे पुरुषों द्वारा अपने एक विशेषाधिकार के रूप में उपयोग किया जाता है।

अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें

- विधि आयोग की कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल हैं-
 - अनिवार्य विवाह पंजीकरण
 - विवाह के लिए सहमित की आयु में असमानता को सुधारना

(लड़कों के लिए 21 और लड़िकयों के लिए 18 वर्ष) क्योंकि यह इस रूढ़िवादी धारणा को बढ़ावा देता है कि पत्नियां अपने पति से अधिक आयु की होनी चाहिए।

- समलैंगिकों को अपनाने की अनुमित।
- 'नो फाल्ट' तलाक के लिए नये आधार की शुरूआत।
- अभिरक्षा के मामलों के आधार के रूप में 'बच्चों के सर्वोच्च हित को प्राथमिकता।
- विवाह के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को परिभाषित करना।

नागरिकता अधिनियम से संबंधित अधिसूचना जारी

- गृह मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि सात राज्यों के कुछ जिलों के संग्राहक भारत में रहने वाले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिये ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर सकते हैं।
- राज्यों और केंद्र से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उन्हें नागरिकता दी जाएगी।

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि :

- 19 जुलाई, 2016 को लोकसभा में पेश किये गए नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करने और उस पर रिपोर्ट पेश करने के लिये इसे संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था।
- हाल ही में 7 मई को नागरिकता (संशोधन) विधेयक-2016 पर संयुक्त संसदीय सिमिति की बैठक जब गुवाहाटी में हुई तो ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका खुलकर विरोध किया गया।
- उत्तर-पूर्व के लगभग सभी राज्यों, विशेषकर असम में विभिन्न संगठन विदेशी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता दिये जाने का विरोध कर रहे हैं।
- दरअसल, जुलाई 2005 में सर्बानंद सोनोवाल की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध प्रवासी (ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित) अधिनियम-1983 को रद्द कर दिया था।
- कुछ ऐसा ही मेघालय में भी देखने को मिला, जहाँ मुख्यमंत्री कोनार्ड के. संगमा की सरकार ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक का सर्वसम्मित से विरोध करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु :

गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
 राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नागरिकता अधिनियम,
 1955 की धारा 5 और 6 के तहत प्रवासियों को नागरिकता

- और प्राकृतिक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिये कलेक्टरों को शक्तियाँ दी हैं।
- हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची
 भी बदल दिया।
- नए नियमों के तहत भारतीय मूल के किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित मामलों पर नागरिकता की मांग करते समय अपने धर्म के बारे में घोषणा करना अनिवार्य होगा-
 - भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले किसी व्यक्ति के लिए।
 - भारतीय नागरिकों के ऐसे बच्चे जिनका जन्म विदेश में हुआ हो।
 - ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हों।
 - ऐसा व्यक्ति जिसके माता-पिता में से कोई एक स्वतंत्र
 भारत का नागरिक रहा हो।
- ध्यातव्य है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में धर्म का कोई
 उल्लेख नहीं है।
- यह अधिनियम पाँच तरीकों से नागरिकता प्रदान करता है: जन्म,
 वंश, पंजीकरण, नैसर्गिक और देशीयकरण के आधार पर।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016

- नागरिकता संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव नागरिकता अधिनियम,
 1955 में संशोधन के लिये पारित किया गया था।
- नागरिकता संशोधन विधेयक-2016 में पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान) से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई अल्पसंख्यकों (मुस्लिम शामिल नहीं) को नागरिकता प्रदान करने की बात कही गई है, चाहे उनके पास जरूरी दस्तावेज हों या नहीं।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार नैसर्गिक नागरिकता के लिये अप्रवासी को तभी आवेदन करने की अनुमित है।
- जब वह आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में रह रहा हो और पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में रहा हो।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2016 में इस संबंध में अधिनियम की अनुसूची 3 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है तािक वे 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष पूरे होने पर नागरिकता के पात्र हो सकें।
- भारत के विदेशी नागरिक (Overseas Citizen of India & OCI) कार्डधारक यदि किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

भारत के विदेशी नागरिक

- > OCI ऐसे विदेशी हैं जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं।
- उदाहरण के लिये, वे पूर्व भारतीय नागरिक या मौजूदा भारतीय नागरिक के बच्चे हो सकते हैं।
- OCI बहुउद्देश्यीय, एकाधिक प्रविष्टियों और एक आजीवन वीजा के हकदार हैं, जो उन्हें किसी भी समय और किसी भी उद्देश्य के लिये भारत आने की इजाजत देता है।

प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता

- केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को (एक अवैध प्रवासी नहीं
 है) प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि उसके पास
 निम्नलिखित योग्यताएँ हैं:
 - वह किसी भी देश का विषय या नागरिकता नहीं है जहाँ भारत के नागरिकों को प्राकृतिककरण के द्वारा उस देश के विषयों या नागरिक बनने से रोका जाता है।
 - यदि वह किसी देश का नागरिक है और वह उस देश की नागरिकता को त्यागने का प्रयास करता है।
- अनुच्छेद 14 : कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा।
- यह अधिकार नागिरकों और विदेशियों (दुश्मन देश के नागिरक को छोड्कर) दोनों के लिये उपलब्ध है।

मुद्दा क्या है असम में?

- असम में बांग्लादेशी शरणार्थियों का मुद्दा राज्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहा है।
- 1971 में बांग्लादेश के अलग देश बनने से पहले और उसके बाद भारी संख्या में लोग असम में आकर बसने लगे थे।
- इसमें तय किया गया कि 24 मार्च, 1971 से पहले असम आए लोग ही भारतीय नागरिकता के हकदार होंगे।
- इसके बाद 1986 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया।
- 1947 से 1971 तक जो भी विदेशी असम आए थे उन्हें भारत की नागरिकता मिल चुकी है।

क्या कहता है नागरिकता अधिनियम-1955?

- नागरिकता अधिनियम-1955 कहता है कि किसी भी 'अवैध प्रवासी' को भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती।
- इस कानून के तहत 'अवैध प्रवासी' की परिभाषा में दो तरह के लोग आते हैं-
 - 1. वे विदेशी जो बिना वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों

- के भारत आए हैं;
- 2. वे विदेशी जो वीजा अविध समाप्त होने या अनुमत समय बीतने के बाद भी भारत में रुके हुए हैं।

समस्या के मूल में क्या है?

- आजादी के बाद 1951 में एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन तैयार किया गया था, जो 1951 की जनगणना के बाद तैयार हुआ था और इसमें तात्कालिक असम के रहने वाले लोगों को शामिल किया गया था।
- लेकिन इसके बाद 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ के लगभग 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली।
- बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से अधिकांश लौट गए, लेकिन लगभग 1 लाख बांग्लादेशी असम में ही अवैध रूप से रह गए।
- 1971 के बाद भी बांग्लादेशी अवैध रूप से असम आते रहे।

क्या कहता है 1985 का असम समझौता?

- 1983 की इस भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिये बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई तथा 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौते (Assam Accord) के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार देने का फैसला हुआ।
- 1961 से 1971 के बीच आने वाले लोगों को नागरिकता तथा
 अन्य अधिकार दिये गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
- इस समझौते का पैरा 5.8 कहता है: 25 मार्च, 1971 या उसके बाद असम में आने वाले विदेशियों को कानून के अनुसार निष्कासित किया जाएगा।
- यह भी फैसला किया गया कि असिमया भाषी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषायी पहचान की सुरक्षा के लिये विशेष कान्न और प्रशासिनक उपाय किये जाएंगे।
- असम समझौते के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन किया गया।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन

 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 और अन्य धाराओं के प्रावधानों में संशोधनों और बदलावों की समीक्षा और सुझाव देने के लिये वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में चुनाव आयोग को सौंपी।

प्रमुख विचारणीय बिंदु

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और अन्य संबंधित धाराओं के वर्तमान प्रावधानों का अध्ययन और परीक्षण करना।
- अधिनियम के उक्त प्रावधानों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के दौरान आने वाली कठिनाइयों और जटिलताओं की पहचान करना, विशेषकर मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की निषेधात्मक अविध के दौरान, जिसका उल्लेख धारा 126 में किया गया है।
- इस अवधि के दौरान धारा 126 के तहत होने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिये आवश्यक संशोधन का सुझाव देना।
- देश में संचार प्रौद्योगिकी या मीडिया प्लेटफॉर्म के विभिन्न प्रकारों और श्रेणियों को पहचान कर इनको विनियमित करने में आने वाली कठिनाइयों की जाँच करना।
- धारा 126 के प्रावधानों के मद्देनजर मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की निषेधात्मक अवधि के दौरान नए मीडिया प्लेटफॉर्मों और सोशल मीडिया का प्रभाव तथा इसके निहितार्थ।
- उपरोक्त मुद्दों से संबंधित आदर्श आचार संहिता के वर्तमान प्रावधानों
 की जाँच करना और इस संबंध में संशोधन का सुझाव देना।

क्या कहती है धारा 126?

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 में किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान पूरा होने से 48 घंटे पहले की अविध के दौरान रेडियो, टेलीविजन अथवा किसी समान माध्यम से किसी प्रकार के 'चुनावी तथ्य' का निषेध किया गया है।
- धारा 126 के प्रावधानों के तहत 'चुनावी तथ्य' को किसी ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पीछे किसी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की मंशा होती है।
- धारा 126 के उपर्युक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अधि कतम दो वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है।
- धारा 126 के तहत चुनाव आयोग टेलीविजन/रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क आदि चलाने वालों से यह सुनिश्चित करने को कहता है कि उनके द्वारा प्रसारित या प्रदर्शित कार्यक्रमों के कंटेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिये, जिससे किसी खास दल अथवा उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा मिलता हो अथवा चुनाव परिणाम प्रभावित होता हो।

- अन्य बातों के अलावा इसमें कोई ओपनियन पोल आधारित परिणाम को दर्शाना और परिचर्चाएँ, विश्लेषण, दृश्य और ध्विन संदेश शामिल हैं।
- इसके संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिसमें एक्जिट पोल दर्शाने और प्रथम चरण में मतदान शुरू होने तथा अंतिम चरण में मतदान समाप्त होने के बाद आधे घंटे तक की निर्धारित अविध के दौरान सभी राज्यों में चुनावों के मौजूदा दौर के संदर्भ में उनके परिणामों को प्रचारित करने पर रोक लगाई गई है।

संविधान में क्या है व्यवस्था?

- संविधान के तहत भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है।
- जिसके अनुच्छेद 324 में मतदाता सूची तैयार करने और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति , संसद और हर राज्य के लिये राज्य विध ायिकाओं हेतु चुनाव कराने के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण निहित हैं।
- संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव दो कानूनों के प्रावधानों के तहत संपन्न होते हैं- जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951।
- जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950: यह मुख्य रूप से निर्वाचक सूचियों की तैयारी और संशोधन संबंधी मामलों से संबंधित है।
- इस कानून की धारा 28 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 बनाए हैं तथा ये नियम निर्वाचक सूचियों की तैयारी, उनके आविधक संशोधन और अद्यतन, पात्र नाम शामिल करने, गलत नाम हटाने, विवरण इत्यादि ठीक करने संबंधी सभी पहलुओं को देखते हैं।
- ये नियम राज्य के खर्चे पर फोटो सिहत पंजीकृत मतदाताओं के पहचान कार्ड के मुद्दे भी देखते हैं।
- ये नियम अन्य विवरण के अलावा निर्वाचक के फोटो सिहत फोटो निर्वाचक सूचियाँ तैयार करने के लिये निर्वाचन आयोग को अधिकार देते हैं।
- जनप्रितिनिधित्व कानून, 1951: चुनावों का वास्तिवक आयोजन कराने संबंधी सभी मामले जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों के तहत आते हैं।
- इस कानून की धारा 169 के तहत निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने निर्वाचक पंजीकरण नियम 1961 बनाए हैं।
- > इस कानून और नियमों में सभी चरणों में चुनाव

आयोजित कराने, चुनाव कराने की अधिसूचना के मुद्दे, नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जाँच, उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लेना, चुनाव कराना, मतगणना और घोषित परिणाम के आधार पर सदनों के गठन के लिये विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

डीएनए तकनीक विधेयक-2018

- 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा में DNA टेक्नोलॉजी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 पारित हुआ।
- इस विधेयक में कुछ लोगों की पहचान स्थापित करने हेतु DNA टेक्नोलॉजी के प्रयोग के रेगुलेशन का प्रावधान है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

DNA डेटा का प्रयोग : विधेयक के अंतर्गत DNA परीक्षण की अनुमित केवल विधेयक की अनुसूची में उल्लिखित मामलों (जैसे भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत अपराधों, पेटरिनटी (paternity) से संबंधित मुकदमों या असहाय बच्चों की पहचान) के लिये दी जाएगी।

DNA डेटा के प्रयोग के लिये अनुमित

- DNA प्रोफाइल तैयार करते समय जाँच अधिकारियों द्वारा किसी
 व्यक्ति के शारीरिक पदार्थों को इकट्ठा किया जा सकता है।
- कुछ स्थितियों में इन पदार्थों को इकट्ठा करने के लिये अधिकारियों को उस व्यक्ति की सहमित लेना आवश्यक होगा।
- सात साल तक की सजा पाने वाले गिरफ्तार व्यक्तियों के DNA परीक्षण के लिये अधिकारियों को उनकी सहमित प्राप्त करनी होगी लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सात साल से अधिक या फाँसी की सजा दी गई है तो अधिकारियों को ऐसे व्यक्तियों के DNA परीक्षण के लिये उनकी सहमित लेना आवश्यक नहीं है।
- इसके अतिरिक्त किसी पीडि़त व्यक्ति या लापता व्यक्ति के संबंधी अथवा नाबालिंग या विकलांग व्यक्ति के DNA परीक्षण के लिये अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे उस पीडि़त व्यक्ति, उसके संबंधी या नाबालिंग या विकलांग व्यक्ति के माता-पिता या अभिभावक की सहमति प्राप्त करें।
- यदि किसी भी मामले में सहमित नहीं मिलती है तो अधिकारी मिजस्ट्रेट के पास जा सकते हैं।

DNA डेटा बैंक

विधेयक में राष्ट्रीय DNA डेटा बैंक और हर राज्य में या दो

- या दो से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय DNA डेटा बैंक की स्थापना का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय डेटा बैंक DNA प्रयोगशालाओं से मिलने वाले DNA प्रोफाइल्स को स्टोर करेंगे और क्षेत्रीय बैंकों से DNA डेटा प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक डेटा बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित श्रेणियों के डेटा का रख-रखाव करेगा-
 - क्राइम सीन इंडेक्स
 - संदिग्ध व्यक्तियों (सस्पेक्ट) या विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल्स) के इंडेक्स
 - अपराधियों के इंडेक्स
 - लापता व्यक्तियों के इंडेक्स
 - अज्ञात मृत व्यक्तियों के इंडेक्स

सूचना का संरक्षण

- विधेयक के अंतर्गत DNA नियामक बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि DNA बैंकों, प्रयोगशालाओं और अन्य व्यक्तियों के DNA प्रोफाइल्स से संबंधित सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए।
- DNA डेटा को केवल व्यक्तियों की पहचान के लिये प्रयोग किया जा सकता है।
- हालांकि विधेयक डेटा बैंक से सूचना हासिल करने के लिये केवल वन टाइम की-बोर्ड सर्च की अनुमित देता है।
- इस सर्च में इंडेक्स और DNA सैंपल की सूचनाओं के बीच तुलना की अनुमित है लेकिन सैंपल की सूचना इंडेक्स में शामिल नहीं होगी।

DNA डेटा को रखना

- विधेयक के अनुसार, DNA प्रोफाइल की प्रविष्टि, उसे रखने
 या हटाने के मानदंडों को विनियामक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
- फिर भी विधेयक में निम्नलिखित व्यक्तियों के DNA डेटा को हटाने का प्रावधान हैं:
 - संदिग्ध व्यक्ति, अगर पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई है या अदालत द्वारा आदेश दिया गया है।
 - विचाराधीन कैदी, अगर अदालती आदेश दिये गए हैं
 - 4 आग्रह करने पर किसी ऐसे व्यक्ति का प्रोफाइल जो संदिग्ध, अपराधी या विचाराधीन नहीं लेकिन क्राइम सीन के इंडेक्स या लापता व्यक्तियों के इंडेक्स में उसका DNA प्रोफाइल इंटर हो गया है।
 - इसके अतिरिक्त विधेयक यह प्रावधान करता है कि क्राइम सीन इंडेक्स की सूचना को बरकरार रखा जाएगा।

DNA नियामक बोर्ड

- विधेयक में DNA नियामक बोर्ड (Regulatory Board) की स्थापना का प्रावधान है जो कि DNA डेटा बैंक और DNA प्रयोगशालाओं की निगरानी करेगा।
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग का सेक्रेटरी बोर्ड का पदेन (ex officio)
 चेयरपर्सन होगा।
- बोर्ड में 12 अतिरिक्त सदस्य होंगे जिनमें शामिल हैं-
 - वाइस प्रेसीडेंट के रूप में एक ऐसा प्रख्यात व्यक्ति जिसे बायोलॉजिकल साइंसेज में कम-से-कम 25 वर्ष का अनुभव हो।
 - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency&NIA) का डायरेक्टर जनरल।
 - केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation-CBI) का डायरेक्टर या उनके नॉमिनी (कम से कम ज्वाइंट डायरेक्टर पद स्तर के अधिकारी)।

बोर्ड के कार्य

- DNA लेबोरेट्रीज या डेटा बैंकों की स्थापना से संबंधित सभी विषयों पर सरकारों को सलाह देना
- > DNA लेबोरेट्रीज को आधिकारिक मान्यता प्रदान करना
- DNA संबंधी मामलों पर काम करने हेतु कर्मचारियों के लिये
 प्रशिक्षण मॉड्यूल और दिशा-निर्देश तैयार करना।

DNA लेबोरेट्रीज

- DNA टेस्टिंग करने वाली किसी भी लेबोरेट्री को बोर्ड से आधिकारिक मान्यता प्राप्त करनी होगी।
- बोर्ड इस मान्यता को रद्द कर सकता है। जिन कारणों से मान्यता को रद्द किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं-
- > अगर लेबोरेटी DNA टेस्टिंग करने में असफल होती है
- मान्यता से जुड़ी शर्तों को पूरा करने में असफल होती है।
- मान्यता रद्द होने पर केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अथॉरिटी के समक्ष अपील की जा सकती है।

अपराध

- विधेयक जिन विभिन्न अपराधों के लिये दंड विनिर्दिष्ट करता
 है, उनमें शामिल हैं -
 - DNA सूचना का खुलासा करना।
 - अनुमित के बिना DNA सैंपल का इस्तेमाल करना।
 - DNA सूचना का खुलासा करने पर तीन वर्ष तक की कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है और एक लाख रुपए

तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2018

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिये राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2018 [National Commission for Indian Medical Systems (NCIM) Bill 2018] के मसौदे को मंज्री दे दी है।

उद्देश्य :

- मौजूदा नियामक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (Central Council for Indian Medicine-CCIM) के स्थान पर एक नए निकाय का गठन करना, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली के लिये प्रस्तावित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) की तर्ज पर भारतीय चिकित्सा क्षेत्र की चिकित्सा शिक्षा में व्यापक सुधार लाना।

विशेषताएँ :

- विधेयक के मसौदे में चार स्वायत्त बोर्डों के साथ एक राष्ट्रीय
 आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
- चारों स्वायत्त बोर्ड इस प्रकार होंगे-
 - आयुर्वेद बोर्ड (Board of Ayurveda) : आयुर्वेद से जुड़ी समग्र शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी इस बोर्ड के पास होगी। यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा बोर्ड (Board of Unaini, Siddha and Sowarigpa) : इस बोर्ड के पास यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्पा से जुड़ी समग्र शिक्षा के संचालन की जिम्मेदारी होगी।
 - 'सोवा-रिग्पा' जिसे आमतौर पर दवा की तिब्बती प्रणाली के रूप में जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्राचीन, समकालीन और अच्छी तरह लिखित रूप में मौजूद चिकित्सा परंपराओं में से एक है।
 - आकलन एवं रेटिंग बोर्ड (Board of assessment and rating): यह भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के शैक्षणिक संस्थानों का आकलन करने के साथ-साथ उन्हें मंजूरी प्रदान करेगा।
 - भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के चिकित्सकों का पंजीकरण बोर्ड (Board of ethics and registration of practitioners of Indian systems of medicine) : यह भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Commission for Indian Medicine) के अधीन प्रैक्टिस से जुड़े आचार नीति मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय रजिस्टर

(National Register) के रख-रखाव की जिम्मेदारी संभालेगा।

- विधेयक के मसौदे में सामान्य प्रवेश परीक्षा और एक 'एक्जिट एक्जाम' (exit exam) का प्रस्ताव भी किया गया है जिसमें सभी स्नातकों को पास करना अनिवार्य होगा तभी उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा।
- विधेयक में शिक्षक अर्हता परीक्षा (teacher's eligibility test) आयोजित करने का भी प्रस्ताव किया गया है, ताकि नियुक्ति एवं पदोन्नित से पहले शिक्षकों के ज्ञान के स्तर (standard) का आकलन किया जा सके।

लाभ :

- प्रस्तावित नियामक ढाँचे या व्यवस्था से पारदर्शिता के साथ-साथ आम जनता के हितों के संरक्षण के लिये जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी।
- NCIM देश के सभी हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा।

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद

यह भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के तहत गठित तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है।

कार्य :

- भारतीय चिकित्सा पद्धित यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तथा सोवा रिग्पा में शिक्षा के लिये न्यूनतम मानक तैयार करना और उन्हें लागू करना।
- भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परीक्षा अधिनियम 1970 के द्वितीय अनुसूची में/से चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता के समावेश/ से मान्यता को वापस लिये जाने से संबंधित मामलो पर केंद्रीय सरकार को अनुशंसा भेजना।
- भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय पंजिका का रख-रखाव करना और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों द्वारा अनुपालन करने के लिये आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक तैयार कर उन्हें लागू करना।
- भारतीय चिकित्सा पद्धित के नए महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकीय एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने एवं नए अथवा स्नातकोत्तर अतिरिक्त विषयों को प्रारंभ करने हेतु विभिन संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करना व भारत सरकर को अनुशंसाएँ भेजना।

अनुच्छेद 35A और 370

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, [2019 Constitution (Application to Jammu & Kashmir) Amendment Order, 2019] को मंजूरी दे दी है।
- राष्ट्रापित द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू) संशोधन आदेश, 2019 जारी किये जाने के बाद संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा संविधान (103वाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद 370

- 17 अक्टूबर, 1949 को संविधान में शामिल, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से जम्मू-कश्मीर को छूट देता है (केवल अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370 को छोड़कर) और राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता है।
- यह तब तक के लिये एक अंतिरम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हितधारकों को शामिल करके कश्मीर मुद्दे का अंतिम समाधान हासिल नहीं कर लिया जाता।
- यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करता है और इसे अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार देने की अनुमति देता है।
- राज्य की सहमित के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- राज्य का नाम और सीमाओं को इसकी विधायिका की सहमति के बिना बदला नहीं जा सकता है।
- राज्य का अपना अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक अलग दंड संहिता (रणबीर दंड संहिता) है।
- राज्य विधानसभा की अविध छह साल है, जबिक अन्य राज्यों में यह अविध पाँच साल है।
- भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश और संचार के मामलों में जम्मू-कश्मीर के संबंध में कानून पारित कर सकती है।
- संघ द्वारा बनाया गया कोई अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू-कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य विधानसभा की सहमति हो।
- राष्ट्रपित, लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते हैं कि इस अनुच्छेद को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राज्य विधानसभा इसकी सिफारिश नहीं कर देती है।

अनुच्छेद 35A

- अनुच्छेद 35A, जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार है, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और उन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता है।
- इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना की रक्षा करना था।
- अनुच्छेद 35A की संवैधानिकता पर इस आधार पर बहस की जाती है कि इसे संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था।
- हालाँकि, इसी तरह के प्रावधानों का इस्तेमाल अन्य राज्यों के विशेष अधिकारों को बढ़ाने के लिये भी किया जाता रहा है।

अनुच्छेद 35A और 370 को रद्द करने से संबंधित मुद्दे

यदि अनुच्छेद 35A को संवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जाता है तो जम्मू-कश्मीर 1954 के पूर्व की स्थिति में वापस आ जाएगा। उस स्थिति में केंद्र सरकार की राज्य के भीतर रक्षा, विदेश मामलों और संचार से संबंधित शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी।

आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018

- 22 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दी।
- गौरतलब है कि 21 अप्रैल, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2018 को अपनी मंजूरी दी थी।
- इस अध्यादेश में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2018 में संशोधन का प्रावधान है।
- संशोधित पॉक्सो अधिनियम में विशेषकर 12 वर्ष से कम उम्र की लड़िकयों से बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।
- साथ ही 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।

बदलाव

- महिलाओं के साथ बलात्कार की 7 वर्ष की सजा को बढ़ाकर 10 वर्ष तक की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया। इसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- 12 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष तक की लडिकयों से रेप के

- मामले में सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तक कठोर कारावास का प्रावधान किया गया।
- इसको आजीवन करावास तक बढ़ाया जा सकता है यानी दोषी
 को अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी होगी।
- 12 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है अर्थात उसकी मौत होने तक उसको जेल में रखा जाएगा।
- अब बलात्कार के सभी मामलों में पुलिस अन्वेषण पूरी करने की समय सीमा दो माह निर्धारित की गई है।
- रेप से संबंधित सभी मामलों के निपटारे हेतु समय सीमा दाखिल होने से 6 माह तक निर्धारित की गई है।
- साथ ही 16 वर्ष से कम उम्र की लड़िकयों से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकेगी।
- राष्ट्रपित की मंजूरी के साथ ही अब यह कानून देश भर में लागू हो गया।

क्या होता है अध्यादेश

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत देश के राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अविध में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है और इन अध्यादेशों का प्रभाव व शिक्तयां संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बराबर ही होती हैं परंतु ये अल्पकालिक होती हैं।
- संविधान अध्यादेश जारी करने के लिहाज से कार्यपालिका को सीमित अधिकार ही प्रदान करता है तािक कार्यपालिका अति आवश्यक अवसरों पर ही अध्यादेश ला सके।
- अध्यादेश एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपित एवं राज्यपाल उस समय कानून लागू करने का कार्य करते हैं जब संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में न हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो गया हो।
- राष्ट्रपित को अनुच्छेद-123 के तहत तथा राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश लाने के अधिकार प्रदान किये गए हैं।
- सामान्य परिस्थिति में विधायी प्रक्रिया के लिये अध्यादेश का
 प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।
- क्योंकि अध्यादेश असामान्य परिस्थिति में अर्थात् उस स्थिति में लाया जाता है।
- जब संसद के दोनों सदनों या कोई एक सदन के सत्र में न

- होने के कारण सामान्य विधायी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना संभव न हो।
- राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सलाह पर ही जारी करता है।
- अध्यादेश लाने की प्रक्रिया न तो सामान्य रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया का स्थान ले सकती है और न ही लेना चाहिये।
- लोकतंत्र में ऐसी स्थिति संभव है जब लोकसभा में बहुमत पाने वाली पार्टी को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त न हो।
- ऐसी स्थिति में कानून पारित करने के लिये संयुक्त सत्र बुलाकर बहुमत प्राप्त कर लेना कोई रास्ता नहीं होता है।
- वर्ष 1952 से लेकर अभी तक सिर्फ चार बार संयुक्त सत्र बुलाया गया है।
- इससे साबित होता है कि विशेष परिस्थिति में ही इसका उपयोग किया गया है।

राज्यपाल के द्वारा लाया जाने वाला अध्यादेश

- अनुच्छेद 213 यह उपबन्ध करता है कि जब राज्य का विधानमण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना अपेक्षित है तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा।
- जिन राज्यों में दो सदन हैं उन राज्यों में दोनों सदनों का सत्र में नहीं होना ज़रूरी है।
- राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों से संबंधित अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों तक राज्य का विधानमण्डल विधि निर्माण कर सकता है।
- राज्यपाल के द्वारा जारी किये गए अध्यादेश को भी राज्य विधानमण्डल के सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर विधानमण्डल का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा।
- यद्यपि राज्यपाल को राष्ट्रपित की ही तरह अध्यादेश जारी करने की शिक्त प्राप्त है किंतु इस संबंध में राज्यपाल की इस शिक्त पर कुछ सीमाएँ लगाई गई हैं जो राष्ट्रपित की शिक्त पर नहीं हैं।

संघ-शासन/ राज्य शासन

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता तथा राज्यपाल की भूमिका

- पीडीपी-भाजपा गठबंधन के टूटने के बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन का लागू होना तय है।
- अगर ऐसा होता है, तो पिछले 40 साल में यह आठवां मौका होगा, जब राज्यपाल शासन लागू होगा।

पहला राज्यपाल शासन

- जम्मू-कश्मीर में मार्च 1977 को तत्कालीन राज्यपाल एल. के.
 झा ने राज्यपाल शासन लागू किया।
- उस समय मुफ्ती सईद की अगुवाई वाली राज्य कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख महमूद अब्दुल्ला की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।

राज्यों में राज्यपाल की स्थिति एवं भूमिका

- भारत का संविधान संघात्मक है।
- इसमें संघ तथा राज्यों के शासन के संबंध में प्रावधान किया गया है।
- संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है।
- यह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के कारण उसके लिए अलग संविधान है।
- संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धित संसदीय है
- भारत में संघीय शासन की भांति राज्यों में भी कार्यपालिका के तीन रूप दिखाई देते हैं।
- नाम मात्र की कार्यपालिका:- राज्यपाल के रूप में
- वास्तविक किन्तु राजनीतिक कार्यपालिका:- मुख्यमंत्री तथा मंत्रीपरिषद
- वास्तविक किंतु प्रशासनिक कार्यपालिका:- कर्मचारी तंत्र

राज्यपाल

- राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है।
- भारत में राज्यपाल का चयन अमेरिका की भांति जनता द्वारा निर्वाचित पद्धित से नहीं होता है, बल्कि हमारे यहां राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति होता है।
- दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुच्चेरी में उप राज्यपाल का पद है।
- लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली में यह पद प्रशासक कहलाता है।

राज्यपाल की नियुक्ति

- भारत में राज्यपाल का चयन कनाडा की भांति संघीय सरकार करती है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपित प्रत्यक्ष रुप से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नियुक्ति से संबंधित दो प्रथाएं प्रचलित हैं:-
 - किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा, जिसका वह निवासी हो।
 - 2. राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता है। कार्य अवधि
- राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपित के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है।
- वह कभी भी पद से हटाया जा सकता है। यद्यपि राज्यपाल की कार्य अवधि उसके पदग्रहण से 5 वर्ष तक होती है।
- इस 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद वह तब तक पद पर बना रहता है, जब तक उसके उत्तराधिकारी पदग्रहण नहीं करते।

शक्तियां एवं कार्य

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- वह मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसकी संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित है।
- वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है।
- विवेकाधीन शिक्तः- परंपरा के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपित को भेजी जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट के संबंध में निर्णय ले सकता है।
- कुछ राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है।
- विशेष उत्तरदायित्व का अर्थ है राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह तो ले परंतु इसे मानने हेतु बाध्य नहीं हो और नहीं उसे सलाह लेने की जरूरत पड़ती है।
- आज़ादी मिलने के बाद से लेकर अब तक जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 हमेशा से विवादों का कारण रही है।

क्या है धारा 370

धारा 370 भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद यानी धारा है। जो जम्मू-कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार या विशेष दर्ज़ा देती है। भारतीय संविधान में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध सम्बन्धी भाग 21 का अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था।

राजा हरि सिंह ने रखा था प्रस्ताव

- देश आजाद होने के बाद छोटी-छोटी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। जब जम्मू-कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई तभी पाकिस्तान समर्थित कबीलाइयों ने वहां आक्रमण कर दिया।
- कश्मीर के तत्कालीन राजा हिर सिंह ने ही कश्मीर के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था।

धारा 306ए से बनी थी धारा 370

- उस समय कश्मीर का भारत में विलय करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का वक्त नहीं था।
- इसी हालात को देखते हुए संघीय संविधान सभा में गोपालस्वामी आयंगर ने धारा 306-ए का प्रारूप प्रस्तुत किया था, जो बाद में धारा 370 बन गई। जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से अलग अधिकार मिले हैं।

जम्मू कश्मीर को मिले हैं कई विशेष अधिकार

- धारा 370 के प्रावधानों के मुताबिक संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन किसी अन्य विषय से सम्बन्धित कानून को लागू करवाने के लिये केन्द्र को राज्य सरकार का अनुमोदन लेना पड़ता है।
- इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती। इस कारण राष्ट्रपित के पास राज्य के संविधान को बर्ख़ास्त करने का अधिकार नहीं है। 1976 का शहरी भूमि कानून जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता है।
- धारा 370 के तहत भारतीय नागरिक को विशेष अधिकार प्राप्त राज्यों के अलावा भारत में कहीं भी भूमि ख़रीदने का अधिकार है। यानी भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
- भारतीय संविधान की धारा 360 यानी देश में वित्तीय आपातकाल लगाने वाला प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता।
- जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय करना ज्यादा बड़ी ज़रूरत थी और इस काम को अंजाम देने के लिये धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार कश्मीर की जनता को उस समय दिये गये थे। जो इस राज्य को अन्य राज्यों से अलग बनाते हैं।

ये हैं धारा 370 की खास बातें

 जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।

- जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज अलग होता है।
- यहां की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबिक भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं है। यहां भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश मान्य नहीं होते। भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यन्त सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है।
- जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
- इसके विपरीत यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी
 व्यक्ति से विवाह करती है, तो उसे भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है।
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं होता, RTE
 भी लागू नहीं होता है और यहां CAG भी लागू नहीं है।
- यहां महिलाओं पर शरियत कानून लागू है।
- कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं है।
- कश्मीर में काम करने वाले चपरासी को आज भी वेतन के तौर पर 2500 रूपये ही मिलते हैं।
- कश्मीर में अल्पसंख्यक हिन्दुओं और सिखों को 16% आरक्षण नहीं मिलता है।
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
- ध्यान रहे इसी धारा 370 की वजह से कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती है।

उत्तर पूर्वी परिषद की 67वीं बैठक

 उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) की 67 वीं पूर्णकालिक बैठक शिलांग (मेघालय) में आयोजित की गई।

मुख्य तथ्य

- इस बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों की विकास परियोजनाओं पर चर्चा की गई तथा परिषद के सर्वांगीण विकास से संबंधित मामलों पर विभिन्न प्रस्तुतियां भी की गई।
- बैठक ने 2022 तक आजीविका कार्यक्रमों, जल संसाधनों के प्रबंधन, वनीकरण और किसान की आय को दोगुनी करने पर भी विचार-विमर्श किया।
- > 1971 में स्थापित होने के बाद, एनईसी ने इस क्षेत्र में पहली

- बार सुरक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा की है।
- इसने सशस्त्र बलों (विशेष शिक्तयां) अधिनियम (एएफएसपीए)
 से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और नागा समझौते का प्रस्ताव
 भी दिया।
- एनईसी उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं।
- यह 1971 में उत्तर पूर्वी पिरषद (एनईसी) अधिनियम, 1971 के तहत गठित किया गया था जिस कारण यह एक सांविधिक निकाय है।
- जून 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनईसी की अध्यक्षता एनईआर के विकास मंत्री से गृह मंत्री को सौंप दी थी।

पूर्वोत्तर भारत की समस्या का संक्षिप्त अवलोकन

- पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में कोई भी राज्य इस समस्या से अछूता नहीं रहा है।
- इन राज्यों में समस्या की मूल वजह यह है कि यह लोग आजादी के इतने वर्षों बाद भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानते।
- पहले इन क्षेत्रों में राजाओं या कबीलों का शासन था। अब भी इन लोगों को लगता है कि भारत में जबरन उनका विलय किया गया है।
- इनके अलावा नार्थ ईस्ट फ्रांटियर एरिया यानी नेफा कहे जाने वाले इलाके को अरुणाचल प्रदेश का नाम दिया गया।
- उग्रवाद की समस्या ने सबसे पहले म्यामार से सटे मिजोरम में सिर उठाया था।
- वहां लालदेंगा की अगुवाई में कोई दो दशक पहले तक हिंसक आंदोलन हुआ था।
- बाद में केंद्र सरकार के साथ समझौते के तहत वहां
 शांति बहाल हुई और फिलहाल वही राज्य सबसे शांत माना
 जाता है।
- मिजोरम की तर्ज पर बाकी राज्यों में भी संप्रभुता की मांग में उग्रवाद ने सिर तो उठाया। लेकिन वहां समाधान का वह तरीका कारगर नहीं हो सका जिसके चलते मिजोरम में स्थायी शांति बहाल हुई थी।

नागा समस्या

नागालैंड में नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड

- (एनएससीएन) ने उग्रवाद का बिगुल बजाया था। बाद में वह गुट दो हिस्से में बंट गया।
- नागा संगठन नेशनल सोशिलस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी एनएससीएन का इसाक-मुइवा गुट असम, मिणपुर और अरुणाचल प्रदेश के नागा-बहुल इलाकों को मिला कर वृहत्तर नागालैंड के गठन और संप्रभुता की मांग कर रहा है।
- कंद्र सरकार ने कोई 15 वर्ष पहले संगठन के इसाक-मुइवा गुट के साथ शांति वार्ता प्रक्रिया शुरू की थी।
- लेकिन देश-विदेश में दर्जनों बैठकों के बावजूद राज्य की जमीनी हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया है।
- राज्य में सरकार चाहे किसी की भी हो, उग्रवादियों की समानांतर सरकार चलती है।
- नागा उग्रवादी पड़ोसी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी सिक्रय हैं।
- नागाबहुल इलाकों को मिला कर ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग के चलते इलाके में अक्सर हिंसा होती रही है जिसकी आंच पडोसी राज्यों तक भी पहुंचती है।

मणिपुर:

- नागालैंड से सटे मणिपुर में उग्रवाद के पनपने की सबसे मजबूत वजह उसका म्यामारं की सीमा से सटा होना है।
- 🗴 पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा सिक्रय उग्रवादी गिरोह इसी राज्य में हैं।
- कंद्र सरकार ने उग्रवाद के दमन के लिए इलाके में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लागू कर रखा है।

असम

- असम में भी सरकार लंबे अरसे से उल्फा के साथ शांति प्रक्रिया शरू करने का प्रयास कर रही है।
- अध्यक्ष अरिवंद राजखोवा की अगुवाई वाला गुट इसके पक्ष में है।
- म्यामारं की सेना इन संगठनों के खिलाफ अभियान चलाने की इच्छुक नहीं है। क्योंकि उसके पास वैसी ताकत भी नहीं है।
- नागा शांति प्रक्रिया में केंद्र के मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके पिल्लै का कहना है कि, असम के लोग अब शांति और विकास चाहते हैं।
- इसलिए उल्फा के प्रति लोगों का समर्थन घट रहा है।

अरुणाचल प्रदेश और मेघालय

- अरुणाचल प्रदेश अपेक्षाकृत शांत है।
- लेकिन उसके सीमावर्ती तीन जिलों में नागा उग्रवादी सिक्रय हैं।

- 🗴 राज्य में अपहरण और हत्या की खबरें मिलती रहती हैं।
- इसी तरह, मेघालय में स्थानीय आदिवासी उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।
- बांग्लादेश के साथ सटी लंबी सीमा इन उग्रवादियों की शरणस्थली बन गई है।

हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन

- भारत के हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया है।
- परिषद को पांच कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट के आधार पर पहचाने गए कार्य बिंदूओं की समीक्षा और कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया है, जो कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए विषयगत क्षेत्रों के साथ स्थापित किए गए थे।

महत्वपूर्ण बिंदू

- हिमालय की विशिष्टता और सतत विकास की चुनौतियों को पहचानते हुए 2 जून, 2017 को नीति आयोग के द्वारा 5 कार्य समृह गठित किए गए थे।
- इन कार्यकारी समूहों को निम्नलिखित पांच विषयगत क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए रोडमैप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था:
 - जल सुरक्षा के लिए हिमालय में झरनों की सूची बनाना और पुनरुद्धार,
 - भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन का विकास,
 - स्थानांतरित खेती: परिवर्तन के दृष्टिकोण से
 - हिमालय में कौशल और उद्यमिता (ईएंडएस) परिदृश्य को मजबूत करना और
 - सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा/सूचना।
- पांच विषयगत रिपोर्ट अगस्त, 2018 में नीति आयोग ने जारी की
 थी और गठित परिषद के संदर्भ की शर्तों के लिए कार्यवाही
 तैयार की थी।
- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय पिरषद की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत करेंगे।
- हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए नोडल एजेंसी होगी जिसमें बारह राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम के दो जिले दीमा हसाओ और करबी आंग्लोंग, पश्चिम बंगाल के दो जिले दार्जिलिंग और कलिपोंग शामिल होंगे।
- 🔉 🛮 कार्य: यह परिषद केंद्रीय मंत्रालयों. संस्थानों और 12 हिमालयी

राज्य सरकारों की कार्रवाई योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और जल सुरक्षा के लिए भारतीय हिमालयी क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से नदी बेसिन के विकास और क्षेत्रीय सहयोग, झरना मानचित्र और पुनरुद्धार का कार्य करेगा।

असम विधानसभा में आरक्षण

- असम विधानसभा और स्थानीय निकाय की कितनी सीटों को राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित किया जाए।
- इसका पता लगाने के लिए केंद्र ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।
- नागरिकता कानून में संशोधन के तहत इस बिल पर लोकसभा
 में चर्चा हुई जिसके खिलाफ राज्य के सामाजिक और छात्र
 संगठनों ने बंद भी बुलाया था।

मुख्य तथ्य :

- जिस उच्च स्तरीय सिमिति का गठन किया गया है, उसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय पर्यटन सिचव एमपी बेजबरूआ करेंगे।
- कमेटी का गठन 1985 के असम समझौते की धारा 6 के तहत किया गया है।
- गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सिमिति असम के लोगों के लिए राज्य सरकार में रोजगार के उचित स्तर की सिफारिश करेगी।
- सिमिति को छ: महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यह असम समझौते पर हस्ताक्षर के 35 साल बाद सामने आया है।
- ऑल असम स्ट्रडेंटस यूनियन (आसू) ने बिल का विरोध किया।
- विरोध का कारण बिल समझौते की धारा-5 को खत्म कर देगा बताया गया।
- इस धारा में 1971 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले सभी अवैध प्रवासियों को निकालने का प्रावधान है।
- 🗴 भले ही व्यक्ति किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो।

नया नागरिकता विधेयक

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 में प्रावधान है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यक समुदाय - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा।
- भारत का वर्तमान नागरिकता कानून भारतीय नागरिकता चाहने वाले व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता या फिर उसे कोई रियायत नहीं देता।

 इस कानून की यह वो बुनियादी खासियत है जिसमें नए विधेयक के जरिए बदलाव किया जाना प्रस्तावित है।

दिल्ली सरकार बनाम उप-राज्यपाल

- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल (LG) मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
- ऑल इंडिया सर्विसेस पर अधिकार को लेकर जस्टिस सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण का फैसला अलग रहा।
- जस्टिस सीकरी ने सर्विसेज पर केंद्र सरकार का अधिकार बताया था।
- आसानी से कामकाज के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए।
- साथ ही ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर के लेवल का ट्रांसफर करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास होगा।
- एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पर भी केंद्र का ही अधिकार है।
 किन्तु बिजली पर राज्य सरकार का अधिकार होगा।
- 💿 जांच आयोग बनाने का अधिकार केंद्र के पास है।
- किसी मामले में मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल की राय ही मानी जाएगी।

अनुच्छेद-239 और 239AA

- 239 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जिनमें उनके अधिकार एवं सीमाएं वर्णित हैं।
- ॗ दिल्ली के लिए विशेष तौर पर 239AA जोडा गया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-239 और 239AA को साथ-साथ देखने और बिजनस ट्रांजैक्शन ऑफ एनसीटी दिल्ली 1993 के तहत दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है, लेकिन 69वें संविधान संशोधन में इसमें विशेष प्रावधान किया गया है।
- इसका मतलब है कि अनुच्छेद-239AA आने के बाद भी अनुच्छेद 239 हल्का नहीं होता है।
- उच्चतम न्यायालय की पीठ ने दिल्ली सरकार एवं उप राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ जो फैसला दिया है उसे आम आदमी पार्टी पूर तरह अपने पक्ष में बता रही है।
- दिल्ली सरकार के लिए कुछ राहत की बात इसमें अवश्य है, लेकिन वह जिस तरह इसकी अतिवादी व्याख्या कर रही है उससे यह आशंका पैदा होती है कि आगे भी उप राज्यपाल तथा सरकार के बीच टकराव होता रहेगा। आरंभ भी हो गया।
- 🗴 दिल्ली सरकार द्वारा अधिकारियों के स्थानांतरण के प्रयास का

- अधिकारियों ने यह कहकर विरोध किया है कि यह संविधान के खिलाफ है।
- 😊 केंद्र का कहना है कि संविधान ने सेवा उसकी सूची में रखा है।
- 🗴 इस विषय पर संविधान पीठ ने कुछ कहा ही नहीं है।
- कई मामले उच्चतम न्यायालय की दो सदस्ययीय पीठ में लंबित है वहां इसकी सुनवाई होगी।
- मुख्य टकराव की शुरुआत अधिकारियों की नियुक्तियों और तबादलों पर आरंभ हुआ था। वह जस का तस है।
- संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA की व्याख्या को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच मतभेद था।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-239 और 239AA को साथ-साथ देखने और बिजनस ट्रांजैक्शन ऑफ एनसीटी दिल्ली 1993 के तहत दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है, लेकिन 69वें संविधान संशोधन में इसमें विशेष प्रावधान किया गया है।
- इसका मतलब है कि अनुच्छेद-239AA आने के बाद भी अनुच्छेद 239 हल्का नहीं होता है। अनुच्छेद-239AA को इस तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता कि उसका मुख्य मकसद ही बेकार हो जाए।
- उच्चतम न्यायालय ने इस पर मत तो व्यक्त िकया है, पर यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उसने कहा है िक अनुच्छेद-239AA आखिर एक लोकतांत्रिक प्रयोग था।
- इसकी व्याख्या से ही तय होगा कि ये सफल रहा या नहीं।
 तो इसकी व्याख्या क्या है? इसमें दिल्ली को अन्य केंद्रशासित
 राज्यों से अलग दर्जा मिला है।
- इसमें यह भी लिखा है कि इसके तहत दिल्ली में चुनी हुई सरकार होगी जो जनता के लिए जवाबदेह होगी।
- उच्चतम न्यायालय ने इनको रेखांकित कर दिया है।
- फैसले में कहा गया है कि उपराज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 239AA के प्रावधानों को छोड़कर अन्य मुद्दों पर निर्वाचित सरकार की सलाह पर काम करें।
- इसका मतलब हुआ कि 239AA के प्रावधानों की व्याख्या उपराज्यपाल अपनी समझ के अनुसार करेंगे और केजरीवाल सरकार अपने अनुसार।
- कहने का तात्पर्य यह कि केजरीवाल सरकार के खुश होने के पहलू उतने नहीं हैं जितना वे बता रहे हैं।
- यह मान लेना गलत होगा कि दिल्ली सरकार एवं उपराज्यपाल के बीच टकराव खत्म हो जाएगा।

- गहराई से देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते समय वैधानिक तकनीकों से परे लोकतांत्रिक मूल्यों और मान्यताओं का ज्यादा ध्यान रखा है।
- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि लोकतांत्रिक मुल्य सर्वोच्च हैं।

क्या है पूरा मामला ?

- सुनवाई के दौरान, केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि उपराज्यपाल (एलजी) के पास दिल्ली में सेवाओं को विनियमित करने की शक्ति है।
- यह कहा था कि शक्तियों को दिल्ली के प्रशासक को सौंप दिया गया है और सेवाओं को उसके माध्यम से प्रशासित किया जा सकता है।
- केंद्र ने यह भी कहा कि जब तक भारत के राष्ट्रपित स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं देते हैं, तब तक एलजी जो दिल्ली के प्रशासक हैं, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से परामर्श नहीं कर सकते।
- ऐतिहासिक फैसले में, इसने सर्वसम्मित से कहा था कि दिल्ली को एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उपराज्यपाल (एलजी) की शक्तियों को यह कहते हुए छोड़ दिया गया है कि उसके पास 'स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति' नहीं है और उसे चुनी हुई सरकार से सहायता और सलाह पर कार्य करना होगा।
- केंद्र ने अदालत से कहा था कि शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाध ीशों की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

ओड़िशा सरकार बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

- ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984
 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मंदिर का संरक्षक है।
- लेकिन हाल ही में एक क्षेत्रीय समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर की मरम्मत में अनियमितता की जानकारी दी।
- मंदिर की मरम्मत में अनियमितता की बात सामने आते ही ओड़िशा सरकार ने इसकी जाँच के लिये समिति बनाने की मांग की है।

ओडिशा सरकार का तर्क

- 🖸 मंदिर की नक्काशी ओडिशा के गर्व का प्रतीक है।
- जिसमें समकालीन जीवन और दैनिक गतिविधियों को परिष्कृत और प्रतीकात्मक चित्रण के माध्यम से दर्शाया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का तर्क

कोणार्क सूर्य मंदिर से एक भी नक्काशीयुक्त पत्थर को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है और न ही विश्व धरोहर स्थलों की मरम्मत से संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

कोणार्क सूर्य मंदिर

- बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है।
- रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है
 और सात घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है।
- यह भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है।
- भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर,
 मंदिर वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है।

राज्य सभा चुनाव मे नोटा

- राज्यसभा चुनाव में अब उपरोक्त मे से कोई नहीं (नोटा) का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा चुनावों में नोटा को अनुपयुक्त बताते हुए चुनाव आयोग की नोटा लागू करने की अधिसूचना रद कर दी है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटा विकल्प सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव (जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव) के लिए है।
- ये विकल्प अप्रत्यक्ष चुनाव जहां औसत प्रतिनिधित्व की बात होती है (जैसे राज्यसभा चुनाव) वहां लागू नहीं होगा।
- कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से एक मत के औसत मुल्यांकन की धारणा नष्ट होगी।
- 💿 इससे भ्रष्टाचार और दल बदल को बढ़ावा मिलेगा।
- लोकतंत्र नागिरकों के भरोसे से मजबूत होता है जो कि पवित्रता, निष्ठा, ईमानदारी और सत्यपरायणता के स्तंभ पर टिका है।
- इस पकड़ को मजबूत बनाना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ रहे और लोकतंत्र गलत ताकतों के खिलाफ अभेद्य दुर्ग की तरह ऊंचाई से खड़ा रहे।
- कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में नोटा लागू करने से न सिर्फ संविधान के दसवीं अनुसूची मे दिये गए अनुशासन का

- हनन होता है (अयोग्यता के प्रावधान) बल्कि दल बदल कानून में अयोग्यता प्रावधानों पर भी विपरीत असर डालता है।
- मालूम हो कि चुनाव आयोग ने 2014 और 2015 में दो अधिसूचनाएं जारी की थीं जिसमें राज्यसभा चुनाव में नोटा को लागू किया गया था।

भारत में नोटा का इतिहास

- 1. साल 2009 में पहली बार हुई पहल
- दरअसल, भारत में इस प्रक्रिया की शुरुआत साल 2009 तब हुई जब चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने से जुड़ी अपनी मंशा सामने रखी।
- बाद में एक नागरिक अधिकार संगठन ने नोटा के समर्थन मे एक जनिहत याचिका दायर की थी।
- इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष 2013 में अदालत ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय किया था।
- 2. 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- 27 सितंबर, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस पी सदाशिवम की अगुवाई वाली पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था लोकतंत्र दरअसल चुनाव का ही नाम है।
- इसलिए मतदाताओं को नकारात्मक मतदान का भी पूरा अधिकार है, और उन्हें यह हक जरूर मिलेगा। नकारात्मक मतदान की यही अवधारणा नोटा यानी नन ऑफ द एबव की है।
- नोटा यानी मतदाता को मिला वो अधिकार, जिसके जिरए वह बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन दर्ज में तमाम नामों को खारिज कर अपना रुख स्पष्ट कर सकते हैं।

भारत नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने वाला दुनिया का 14वां देश

- कोर्ट के निर्देशों को पालन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं अर्थात नोटा बटन का विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
- इस तरह भारत नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने वाला दुनिया का 14वां देश हो गया।
- हालांकि, चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटा के वोट गिने जाएंगे।
- लेकिन इसके मत हार-जीत में शामिल नहीं किए जाएंगे यानी इसका चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

- हालांकि, शुरुआत में राजनीतिक दलों ने इसका काफी विरोध किया।
- लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह साफ हो गया की मनपंसद उम्मीदवार की गैर मौजूदगी में आम लोगों के पास अपनी राय जाहिर करने का अधिकार भी उनका चुनावी हक होना चाहिए।

चुनाव आचार सहिंता 1961 के नियम 49 (ओ)

- हालांकि, भारत में नोटा से पहले भी वोट नहीं देने का अधिकार मतदाताओं को हासिल था।
- भारत की चुनाव आचार सिहंता 1961 के नियम 49 (ओ) के तहत यह काफी समयय से अस्तिव में था।
- इसके तहत कोई मतदाता आधिकारिक तौर पर अपने मत का प्रयोग नहीं करने का अधिकार रखता है।
- हालांकि, उस वक्तन वैलेट पेपर में 'नन ऑफ द एबव' का विकल्प नहीं होता था।
- इसके चलते उसका व्यावहारिक इस्तेमाल में दिक्कत होती
 थी।

दुनिया में नोटा

- माना जाता है कि नोटा का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका में हुआ।
- मतपत्रों में नोटा का पहली बार प्रयोग 1976 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था।
- उसके बाद अन्य देशों ने भी धीरे-धीरे इस विकल्प को शुरू किया।
- कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, स्वीनडन, बांग्लादेश, फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस, चिली, बेल्जियम और यूनान समेत कई देशो में लागू है।
- दुनिया के कई देशों में 50 फीसद ज्यादा मत पर ही जीत का प्रावधान।
- ऐसे में अगर वहां 50 फीसद से ज्याददा नोटा वोटों की संख्या हो जाती है तो चुनाव का रद कर फिर चुनाव कराया जाता है। ऐसे में नोटा का महत्व बढ़ जाता है।
- रूस में साल 2006 तक मतदाताओं को नोटा का हक था।
 लेकिन बाद में हटा दिया गया।
- दरअसल, नोटा का संबंध चुनाव से है और इसका इस्तेमाल कोई भी नागरिक अपना मत डालते वक्त कर सकता है।

लोक नीति कार्यक्रम

कावेरी प्राधिकरण के लिए अधिसूचना जारी

• हाल ही में केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबन्धन प्राधिकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

पृष्ठभूमि

- 16 फरवरी 2018 को उच्चतम न्यायलय ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर एक कावेरी जल विवाद के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का आदेश दिया था।
- अपने एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल के कर्नाटक के हिस्से में वृद्धि कर दी।
- जबिक तिमलनाडु को आवंटित जल की मात्रा में कमी कर दी।
- इस प्रकार न्यायालय ने दो दिक्षणी राज्यों के मध्य जल विवाद का समाधान निकाला है।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का आदेश

- नियमाकीय प्राधिकरण की सहायता से जल के भण्डारण,
 विभाजन में हिस्सेदारी, जलाशयों के रख-रखाव और जल के
 प्रवाह के विनियमन की निगरानी करना।
- इस प्राधिकरण को राज्यों को जल उपयोग की दक्षता में सुधार हेतु आवश्यक तरीके अपनाने की सलाह देने का कार्य दिया गया है।
- जैसे-सूक्ष्मिसंचाई (ड्रिप और सिंचन), फसलों पद्धित में बदलाव, बेहतर कृषि संबंधी तरीके, कृषि तंत्र की कमी में सुधार और कमांड क्षेत्र का विकास।
- वर्तमान में यह अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बिंदु कर्नाटक और तिमलनाडु
 की सीमा पर स्थित बिलिगुंडुलू गेज (Billigundulu gauge)
 और डिस्चार्ज स्टेशन है।

अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का संशोधित एक्ट 6 अगस्त, 2002 से लागू हो गया है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत जब दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच जल विवाद पैदा होता है, तो अधिनियम की धारा 3 के तहत् कोई भी नदी घाटी राज्य केंद्र सरकार को इस संबंध में अनुरोध भेज सकता है।
- उक्त अधिनियम के अंतर्गत, विवाद के बातचीत के जिरए न सुलझ पाने के प्रति संतुष्ट होने की स्थिति में केंद्र सरकार उस विवाद को पंचाट को सौंप सकती है।

नदी ⁄ नदियां	राज्य	पंचाट के गठन
		की तिथि
कृष्णा	महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक	अप्रैल 1969
गोदावरी	महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उड़ीसा	अप्रैल 1969
नर्मदा	राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र	अक्टूबर 1969
कावेरी	करल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी	जून 1990
कृष्णा	महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक	अप्रैल 2004
मदेई/मण्डोवी/ महादयी	गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र	निर्माणाधीन
वन्सधारा	आंध्र प्रदेश और उड़ीसा	निर्माणाधीन

अधिसूचना का महत्त्वः

- यह लम्बे समय से चल रहे कावेरी नदी के जल के विभाजन के मुद्दे का समाधान करेगा।
- 🖸 यह कावेरी जल के प्रबंधन को वैज्ञानिक रूप देगा।

पहली बार ओबीसी जनगणना

- स्वतंत्रता के बाद पहली बार वर्ष 2021 की जनगणना में ओबीसी जातियों के लोगों के आंकड़े जुटाए जाएंगे।
- गृहमंत्री ने 31 अगस्त 2018 को 2021 की जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की उसके बाद यह फैसला किया गया।
- इसके अलावा सरकार ने जनसंख्या के आंकड़ों को पूरी तरह जारी करने का समय भी 5 साल से कम करके 3 साल कर दिया है।
- इसका अर्थ यह हुआ कि वर्ष 2021 की जनगणना के पूरे आंकड़े 2024 में सामने आ जाएंगे।

निर्णय के मुख्य बिंदु :

- वर्ष 2021 की जनगणना के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- तीन साल की समय सीमा में यह काम पूरा करने के लिए 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

 इस बार घरों, गांवों और आवासीय क्षेत्रों की गणना में उनके पहचान के लिए तकनीकी नक्शे और सेटेलाईट मैपिंग को भी शामिल किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत में लंबे समय से पिछड़ी जातियों की जनगणना कराने की मांग की जा रही थी, ताकि आरक्षण और अन्य विकास योजनाओं में उनकी सही भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने 2006 में एक सैंपल सर्वे रिपोर्ट जारी की थी।
- इसमें बताया गया था कि देश की कुल आबादी में से 41 प्रतिशत आबादी ओबीसी की है।
- संगठन ने देश के 79,306 ग्रामीण घरों और 45,374 शहरी घरों का सर्वे कर यह रिपोर्ट तैयार की थी।

आतंकवाद निरोधक बल 'कवच'

- हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 08 अक्टूबर 2018 को घोषणा की कि हरियाणा सरकार आतंकवाद निरोधक बल (एटीएफ) का गठन करेगी।
- इस बल का नाम 'कवच' रखा जायेगा जिसमें राज्य पुलिस से विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान शामिल होंगे।
- कवच नामक यह बल राज्य की वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का सामना करेगा।
- हिरयाणा पुलिस के चुनिंदा जवानों को इसमें शामिल किया जाएगा जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) से प्रशिक्षण हिसल होगा।

मुख्य बिंदु

- गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों की आवश्यकता को देखते हुए इस बल के गठन का फैसला लिया गया है।
- 'कवच' नामक इस सुरक्षा बल का मुख्यालय गुरुग्राम में बनाया जायेगा।
- इस बल में कुल 150 जवान होंगे तथा 50-50 के चरण में इनकी भर्ती होगी।
- नविनयुक्त सुरक्षाकिर्मियों का प्रशिक्षण मानेसर स्थित स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के कैंप में किया जायेगा। यहां इन जवानों को 14 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- इस बल का कार्य आतंकवाद एवं दूसरे बड़े खतरों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।
- इस बल की कमान एडीजी रैंक के अधिकारी द्वारा संभाली जाएगी।

पृष्ठभूमि

- एटीएफ के गठन का उद्देश्य (भिवष्य के लिए) बेहतर तैयारी है।
- इसलिए हिरयाणा में एटीएफ के गठन के तौर-तरीके को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को भंग कर दिया।
- इसके लिए अध्यादेश लाया गया, जिसे राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद
 ने 26 सितंबर 2018 को मंजूरी दे दी।
- नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल के संसद से पास होने तक सात सदस्यीय कमेटी एमसीआई का कामकाज देखेगी।
- 🖸 डॉ. वी.के. पॉल को इसका चेयरमैन बनाया गया है।

बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स

- बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सात लोग शामिल हैं जो कि अपने कार्यक्षेत्र में प्रसिद्ध हैं।
- डॉक्टर वी के पॉल जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं और काउंसिल के चेयरमैन के रूप में कार्य संभालेंगे।
- बोर्ड ऑफ गवनर्स के दूसरे सदस्य डॉक्टर रणदीप गुलेरिया
 हैं जो कि एम्स के महानिदेशक पद पर तैनात है।
- तीसरे सदस्य का नाम डॉक्टर जगत राम है जो पीजीआई चंडीगढ़ में डायरेक्टर हैं।
- चौथे सदस्य डॉक्टर बी एन गंगाधर हैं जबिक पांचवे सदस्य डॉक्टर निखिल टंडन हैं। डॉक्टर गंगाधर निमहंस बैंगलोर के डायरेक्टर हैं जबिक डॉक्टर निखिल टंडन एम्स में इंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के विख्यात प्रोफेसर हैं।
- छठे सदस्य का नाम डॉक्टर एस वेंकटेश है जो डायरेक्टर जेनरल हेल्थ पद पर कार्यरत हैं। सातवें सदस्य डॉ बलराम भार्गव हैं। वे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2016 में संसदीय कमेटी स्वास्थ्य की रिपोर्ट पर स्वर्गीय रंजीत रॉय चौधरी की अध्यक्षता में नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल तैयार किया गया।
- लोकसभा में इसे 29 दिसंबर 2017 को रखा गया।
- इस बिल में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्टग्रेजुएशन की संख्या को

बढ़ाने पर जोर दिया गया साथ ही मेडिकल एजुकेशन में सुधार करने पर भी पूरा बल दिया गया।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु 'निपुण' पोर्टल लॉन्च

- दिल्ली पुलिस के अधिकारी लॉगइन करके इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
- दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को ज्यादा प्रोफेशनल और जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण में विशेष गतिविधियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
- दिल्ली पुलिस ने जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए ई-ट्रेनिंग पोर्टल 'निपुण' की शुरुआत की।
- तकीनीकी ज्ञान मुहैया कराने के लिए दिल्ली पुलिस के डिजिटल होने की ओर एक और कदम कहा जा सकता है।
- जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल पर जवानों को अनेक विषयों पर जानकारी मिल सकेगी।

'निपुण' ई-लर्निंग पोर्टल

पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिक्की, एनएचआरसी, एनसीपीसीआर तथा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट सीएलएपी के तहत तैयार किया गया है।

ई-शिक्षा

- ई-शिक्षा (ई-लिर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में पिरभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के सन्दर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है।
- सूचना एवं संचार प्रणालियां शिक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती हैं।
- ई-शिक्षा के समानार्थक शब्दों के रूप में सीबीटी (CBT) (कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षा), आईबीटी (IBT) (इंटरनेट-आधारित प्रशिक्षा) या डब्ल्यूबीटी (WBT) (वेब-आधारित प्रशिक्षा) जैसे संक्षिप्त शब्द-रूपों का इस्तेमाल किया जाता है।
- इस पोर्टल पर कानून, स्थायी आदेश, जांच-पड़ताल चेकलिस्ट,
 केस फाइल के लिए फॉर्म, उच्च न्यायायम तथा सर्वोच्च
 न्यायालय के नवीनतम निर्णय उपलब्ध होंगे।
- 🔉 दिल्ली कानुनी सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस के कुछ एक

- विशेष कोर्स तैयार करने के लिए सहयोग देने पर सहमति प्रकट की है।
- इस कोर्स से छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी काफी लाभ होगा।

मातृत्व अवकाश में से सात हफ्ते का वेतन वापिस देने की घोषणा

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 15 नवम्बर 2018 को घोषणा की है कि 15 हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाली महिलाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के 7 हफ्ते का वेतन सरकार नियोक्ता कंपनी को वापस करेगी।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी की तरफ से गर्भवती महिला को छुट्टी देने में आनाकानी न की जाए।
- साथ ही कंपनियां भी वित्तीय नुकसान की चिंता छोड़ सकें।
- यह नियम प्राइवेट और सरकारी दोनों कंपनियों के लिए लागू होगा।

विधेयक 2016 के मुख्य बिंदु

- पहली या दूसरी बार मां बन रही महिला को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा।
- दो से ज्यादा बच्चों के लिए 12 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी।
- तीन महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली या सेरोगेट मांओं को भी 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी।
- यदि संभव हो तो कंपनी महिलाओं को घर से ही काम करने की अनुमित दे सकती है।
- प्रत्येक संगठन को उनकी नियुक्ति के समय से महिलाओं को इन लाभों को देना होगा।

सरकार का तर्क

- मंत्रालय का तर्क है कि उन्होंने 14 सप्ताह की अतिरिक्त मैटरिनटी लीव का प्रावधान दिया था।
- इसलिए अब महिला की इन 14 में से आधे यानी 7 हफ्तों की सैलरी के लिए वह कंपनी को भुगतान कर देगी, ताकि महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद काम पर लौटने में दिक्कतों का सामना न करना पडे।
- श्रम विभाग ने भी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
- > राशि का भुगतान लेबर वेलफेयर सेस से किया जाएगा।
- 🕨 इस फंड में मार्च 2017 तक 32 हजार 632 करोड़ रुपए थे।
- इसमें से केवल 7 हजार 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही किया गया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार ने मैटरिनटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया था।
- गर्भवती महिलाओं को कंपनी से निकाले जाने के भी कुछ मामले सामने आए थे। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए मंत्रालय द्वारा यह फैसला लिया गया है।

बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का नया कार्यक्रम

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात राहत कोष पिरषद (यूनिसेफ) ने विश्व में बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सात सूत्रीय कार्यक्रम (सेवन स्ट्रेटिजीज फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन) इंस्पायर की शुरूआत पर सहमति जताई है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 21 देशों के प्रतिनिधि इन दिनों यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं जिसका उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाली हिंसात्मक घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठाना है।

स्मरणीय तथ्य

- एशिया में पिछले वर्ष 50 फीसदी बच्चों को हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ा था।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने वर्ष 2030 तक बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है।
- यह सतत विकास के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में एक प्राथमिकता तय की गई है।
- इसे हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की दस एजेंसियों ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर, 15 से 19 (84 मिलियन) आयु वर्ग की प्रत्येक तीसरी लड़की को अपने पित या साथी द्वारा भावनात्मक, शारीरिक अथवा यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है।

यूनिसेफ के बारे में

- यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसम्बर 1946 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा न्यूयार्क में की गई थी।
- यूनीसेफ विश्वभर में मौजूद स्वास्थ्य सेवा संस्थानों विशेषकर विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि के साथ मिलकर बच्चों को पानी, स्वच्छता, बीमारियों आदि से बचने के लिए कार्यक्रम

चलाती है।

- यूनिसेफ पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के कल्याण हेतु कार्य करने के दौरान किसी भी तरह के जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतक विचारधारा आदि आधारों पर भेदभाव नहीं करता।
- यूनिसेफ प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में नवजात बच्चों के टीकाकरण के लिए लगभग 3 बिलियन से अधिक टीके उपलब्ध कराता है।

क्या है INSPIRE?

यह (INSPIRE) एक सात सूत्रीय कार्यक्रम है जिसमें निम्नलिखित सूत्र शामिल किए गये हैं –

- Implementation and enforcement of laws : कानूनों का नियमित कार्यान्वयन और प्रवर्तन
- Norms and Values : मानदंड और मूल्य
- Safe environments : सुरक्षित वातावरण
- Parent and caregiver support : अभिभावक और देखभाल करने वाले का समर्थन
- Income and economic strengthening: आय और आर्थिक मजब्ती
- Response and support services: प्रतिक्रिया और देखभाल करने वाली सेवाएं
- Education and life skills: शिक्षा और जीवन कौशल

जी गवर्नेंस

- भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास तेजी से हो रहा है और सेवा प्रदान संबंधी सरकार के अधिकांश पहलों में भू-स्थानिक डेटा (Geospatial data) को स्थापित किया जा चुका है।
- जियोपोर्टल (जीआईएस संचालकीय वेव पोर्टल) सरकार के अधीन स्थानिक डेटा, सेवाएं एवं संसाधनों को साझा करने में समर्थ बनाएगा।
- कृषि, वनीकरण एवं पारिस्थितकी, जल संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभागों ने यह महसूस किया है कि जियोस्पैटियल डेटा सेवाओं के साथ उनके उद्देश्य प्रभावी व कुशल तरीके से पूरे होते हैं।

शासन, ई-शासन एवं एम-शासन

- सरकार अपने आप में एक संस्था है, जहाँ शासन एक व्यापक अवधारणा है जो शासन करने के तरीकों का वर्णन करता है।
- सरकार एवं प्रौद्योगिकी के सह-विकासक्रम के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं इंटरनेट के माध्यम से

एक नए मोड़ पर पहुँच चुका है।

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना 'नागरिकों, व्यवसाय साझीदारों एवं नियोजकों' के लाभ के लिए सरकारी सेवाओं के विस्तार के लिए की गई है।
- ई-गवर्नेंस को सरकारी कार्यों में लागत में कमी तथा व्यापक पारदर्शिता व जवाबदेही लाने का श्रेय दिया जाता है।
- मोबाइल शासन या एम-गवर्नेंस से तात्पर्य है सरकारी सेवाओं एवं अनुप्रयोगों का सामिरक उपयोग के रूप में सेवाओं का समूह जो कि सेल्युलर/मोबाइल टेलीफोन, लैपटॉप कम्प्यूटर्स, पर्सनल डिजिटल एसिस्टैंस व वायरलेस इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग से संभव है।
- एम-गवर्नेंस, ई-गवर्नेंस का उप-क्षेत्र है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों तक सेवा पहुँचाना सुनिश्चित करता है।

भारत में ई-शासन

- नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क (NICNET) का शुभारंभ, जो कि उपग्रह आधारित कम्प्यूटर नेटवर्क है और नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP) 2006 के निर्माण ने भारत में ई-शासन की संस्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।
- इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 2017 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर ई-शासन पहलों पर केन्द्रित करने के लिए एनईजीपी का शुभारंभ किया गया था।
- जिसका लक्ष्य कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स के माध्यम से लोगों को उनके स्थानीय क्षेत्र में सेवाएं देना तथा ऐसी सेवाओं को आम आदमी को कम लागत पर दक्षता, पारदर्शिता व विश्वसनीयता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।
- एम-गवर्नेंस की दिशा में प्रयास 23 दिसंबर, 2013 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मार्गदर्शन में आरंभ हुआ ताकि मोबाइल उपकरणों के द्वारा सेवा प्रदान करने हेतु अपनी आधार संरचनाओं को मजबूत कर सके।

जी-गवर्नेंस एवं भारत में इसके उपयोग

- जियोस्पैटियल (भू-स्थानिक) उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी की दो विशिष्टताएं हैं।
- पहली यह कि ये बहुद्देशीय पॉवर उपकरण हैं जो अवस्थिति, दूरी, दिशा, मार्ग, यात्रा समय एवं लागत तथा जगह की विशेषताएं तेजी से व सटीक बताती हैं।
- दूसरा यह कि जियोस्पैटियल उपकरण एवं प्रौद्योगिकियों में मजबूत कार्यक्षमताएं होती हैं जो स्मार्टफोन में स्थापित किए जाते हैं जो उपकरण की अवस्थिति की पहचान में मदद करती हैं और इस प्रकार उपयोगकर्ता/वाहन की अवस्थिति का पता लगाया

जाता है।

- जियोस्पेटियल प्रौद्योगिकी समस्या को बेहतर समझने के लिए हमें समर्थ बनाती है क्योंकि यह डेटा को मानचित्र के रूप में धारित करता है और प्रशासन, नियोजन, निगरानी, प्रबंधन और निर्णय सहायता हेतु समन्वय में मदद करता है।
- अंतिरक्ष आधारित अनुप्रयोग, जो कि ईओ, मौसम विज्ञान, संचार (या हाइब्रिड), नौवहन उपग्रहों के तालमेल से प्राप्त किया जाता है और जिसे जमीन स्थित प्रेक्षणों से प्रकता प्रदान की जाती है।
- सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा (भोजन, आश्रय, आधार संरचना इत्यादि), सतत विकास, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं कुशल शासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लाभों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- जियोस्पैटियल डाटा ई-शासन के लिए आधार के रूप में कार्य करता है।
- यह घटक हाई रिजोल्युशन उपग्रह डेटा (पूरे देश को पूर्ण कवर करना), राष्ट्रव्यापी डिजिटल इवोल्युशन मॉडल (डीईएम), विषयगत डेटा तथा विभिन्न 'प्वाइंट ऑफ इंटरेस्ट' के रूप में आधार डेटा से युक्त होता है।
- हवाई तथा उपग्रह सुदूर संवेदी डेटा की प्राप्ति, प्रसंस्करण एवं प्रसार के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी) जिम्मेदार है।
- जी-गवर्नेंस का एक अन्य आधार जियोपोर्टल का संग्रह है जो वेब समर्थित जीआईएस (WebGIS) का उपयोग करते हुए सेवा का सशक्तिकरण करता है।
- जियोपोर्टल एक प्रकार का वेब पोर्टल है जिससे इंटरनेट के द्वारा भौगोलिक सूचनाएं तथा संबंधित भौगोलिक सेवाएं (डिस्प्ले, संपादन, विश्लेषण) प्राप्त की जाती है।
- जीआईएस के प्रभावी उपयोग के लिए जियोपोर्टल महत्त्वपूर्ण है तथा स्थानिक डेटा आधारिक संरचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसरो का भवन एक राष्ट्रीय जियोपोर्टल है, जिसका व्यापक पैमाने पर प्रयोग सरकार के साथ आम लोग, एनजीओ व शिक्षाविद करते हैं।
- जियो-आईसीटी के तहत जीआईएस, सुदूर संवेदन, जीपीएस, उपग्रह एवं मोबाइल संचार प्रणालियां तथा वेब प्रौद्योगिकियां आती हैं।
- कई भारतीय वैज्ञानिक संगठन उद्योगों की साझीदारी के साथ जियो आईसीटी के क्षेत्र में तकनीकी क्षमता में वृद्धि का प्रयास कर रहे हैं।
- > नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, सर्वे ऑफ इंडिया, भारत की

- जनगणना, भारत का वन सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल एटलस एंड थिमैटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जी-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई पहलें की हैं।
- इसी प्रकार भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग ने सितंबर, 2015 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए संयुक्त कार्रवाई का आरंभ किया।

सूचना समेकन केंद्र का उद्घाटन

- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 22 दिसंबर 2018 को सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (आईएमएसी) गुरुग्राम में सूचना समेकन केंद्र - हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) का शुभारंभ किया।
- आईएफसी-आईओआर का उद्देश्य सहयोगी देशों और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ नौवहन जागरुकता और सूचना साझा करने के लिये परस्पर सहयोग करना है।
- यह खासकर वाणिज्यिक मालवाहक जहाजों के बारे में सूचनाओं को साझा करने में अहम होगा।
- इससे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

महत्वपूर्ण बिंदू

- आईएफसी-आईओआर रखने का उद्देश्य साझीदार देशों के लिए अधिक है, यह वैश्विक संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा इसे लोकतांत्रिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- हमारे क्षेत्र में मौजूद विभिन्न चुनौतियों को दूर करने की दिशा में आईएफसी-आईओआर हमारे सामूहिक ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करने के अलावा हमें एकीकृत करने में भी मदद करेगा, जिससे हम एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता से लाभान्वित होंगे।
- आईएफसी-आईओआर एक सहयोगी निर्माण होगा जो भागीदारों,
 देशों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की समुद्री सुरक्षा
 बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करेगा।
- आईएफसी-आईओआर एक समान सुसंगत समुद्री स्थिति चित्र बनाकर क्षेत्र और उससे परे समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है।
- यह तकनीक समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल केंद्र साबित होगी।
- इसकी मदद से हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढावा मिलेगा।

इस क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के लिए भारत आईएफसी
 -आईओआर मिली जानकारियों को मित्र राष्ट्रों से साझा करेगा।

पृष्ठभूमि

- हिंद महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार और कई देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनियां के 75% से अधिक समुद्री व्यापार और 50% वैश्विक तेल खपत आईओआर से होकर गुजरता है।
- हालाँकि, समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, मानव और अंतर्जनपदीय तस्करी, अवैध और अनियमित रूप से मछली पकड़ना, हथियार चलाना और अवैध शिकार करना इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा को चुनौती देता है।
- इन चुनौतियों के जवाब के लिए इस क्षेत्र में समुद्री गितिविधयों की बढ़ती स्थितिजन्य जागरूकता की आवश्यकता है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके।

भारत में लैंगिक अंतराल

- हावेर्ड केनेडी स्कूल का अध्ययन भारत में लिंग अंतराल के
 पीछे के कारणों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले प्रथम अध्ययनों
 में से एक है।
- आर्थिक बाधाओं के अलावा, सामाजिक बाधाएं-जैसे शिक्षा का स्तर, वैवाहिक स्थिति और सशक्तिकरण की कमी भारत में महिलाओं के पिछड़ेपन के कारक हैं।
- साथ ही मोबाइल प्रौद्योगिकी की पहुंच से दूर हैं।

डेटाबेस अध्ययन

हावेर्ड इविडेंस फॉर पालिसी डिजाइन (EpoD) के अध्ययन, संयुक्त मात्रात्मक डेटा दो स्रोतों से वित्तीय समावेशन इनसाइट्स (2016 में 45,540 उत्तरदाताओं सिंहत) और भारत मानव विकास सर्वेक्षण (26,607 परिवार में कभी विवाहित मिहलायें, जिनके पास 33 राज्यों में मोबाईल है 2012) और इसे पांच राज्यों में साक्षात्कारों के साथ संयुक्त किया गया, तािक इस अध्ययन के लिए गितशीलता को समझा जा सके।

मुख्य बिन्दु :

- शोध से पता चलता है कि भारत का मोबाईल फोन लिंग अंतराल,
 33 प्रतिशत के साथ विश्व में सर्वाधिक है।
- लिरेन एशिया इंटरनेट उपयोग में 57 प्रतिशत अंतर बताता है।

- आय, सशक्तिकरण और शिक्षा की कमी सभी मोबाईल उपयोग बाधाओं से जुड़े हुये हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि शिक्षा बड़े स्वतंत्र अंतराल है।
- > वैवाहिक स्थिति का अंतराल पर कम प्रभाव पड़ता है।
- यद्यपि शहरी क्षेत्रों में आयु के साथ यह अंतराल नहीं बदलता,
 लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतराल बढ़कर 23 से 30 आयुवर्ग में 40 फीसद तक पहुंच गया।

EVM-VVPAT

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (Electronic Voting Machines-EVM) और वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) इकाइयों से गिने गए वोट, प्रत्येक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कम-से-कम 30% मतदान केंद्रों पर सत्यापित किये जाएँ।

प्रमुख बिंदु

 भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक पीठ ने आयोग को यह आदेश दिया है।

2013 का आदेश

- याचिकाकर्ताओं के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी बनाम चुनाव आयोग मामले में अपने फैसले में कहा था कि यह जरूरी है कि ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनावों में वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली को लागू करना चाहिये ताकि मतदाता को संतुष्टि मिल सके।
- अदालत के फैसले और चुनाव प्रक्रिया में मतदाता का विश्वास बनाए रखने तथा चुनाव में पारदर्शिता के लिये ईवीएम व वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की क्रॉस-वेरिफिकेशन प्रणाली की शुरुआत की गई थी।

भारत, अवैध दवा व्यापार का एक प्रमुख केंद्र

- हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पूरे दक्षिणी एशिया में इंटरनेट के माध्यम से विशेष रूप से क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर डार्कनेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर दवाओं की खरीद की वैश्विक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।
- अवैध दवाओं का यह कारोबार अन्य देशों की अपेक्षा भारत में ज्यादा तेजी से फैला है।

प्रमुख बिंदु

भारत अवैध दवा व्यापार के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसमें

- पुरानी कैनबिस (Cannabis) से लेकर ट्रामाडोल (Tramadol) जैसी नई दवाओं और मेथमफेटामाइन (Methamphetamine) जैसी अवैध दवाइयाँ शामिल हैं।
- साथ ही 50 ऑनलाइन क्रिप्टो-मार्केट प्लेटफॉर्म पर भारत के 1,000 से अधिक दवा कारोबारियों की भी पहचान की गई है।
- UNODC देशों के इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड (INCB) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में भारत में अधिकारियों ने दो अवैध इंटरनेट फार्मेसियों को बंद कर दिया और कई लोगों को इस प्रक्रिया में गिरफ्तार भी किया गया था।

अवैध मार्ग

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत अवैध रूप से उत्पादित अफीम, विशेष रूप से हेरोइन के लिये भी एक पारगमन देश है। जिसके माध्यम से अवैध दवाओं का कारोबार किया जाता है।
- तस्करों द्वारा दक्षिण एशिया के रास्ते तस्करी के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला मार्ग जिसे 'दक्षिणी मार्ग' के नाम से भी जाना जाता है का एक वैकल्पिक हिस्सा भारत में है, जिसका प्रयोग पाकिस्तान या इस्लामी गणतंत्र ईरान जैसे खाड़ी देशों के माध्यम से पूर्वी अफ्रीका और गंतव्य देशों तक तस्करी के लिये किया जाता है।
- पिछले साल अगस्त में राजस्व खुिफया निदेशालय और भारतीय सेना के एक संयुक्त अभियान में नियंत्रण रेखा (Line of Control) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में हेरोइन जब्त की गई थी।

चिंताजनक आँकड़े

- रिपोर्ट के अनुसार, 2017 में मॉफिन युक्त अफीम के कच्चे माल के वैश्विक उत्पादन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और तुर्की की संयुक्त रूप से 83 प्रतिशत भागीदारी थी।
- भारत ने मॉर्फिन सिहत सभी रूपों में 66 टन अफीम का उत्पादन किया।
- INCB के अनुमानों के अनुसार, चिंताजनक बात यह है कि उपलब्ध मॉफिंन के केवल 10 प्रतिशत हिस्से का ही उपयोग दर्द प्रबंधन के लिये किया गया था और लगभग 88 प्रतिशत तक कोडीन (Codeine) में परिवर्तित कर दिया गया जिसका उपयोग खांसी की दवा बनाने के लिये किया जाता है।
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के अनुसार, भारत अफीम का उत्पादन करने वाले शीर्ष देशों में से एक है जो रोगियों के दर्द प्रबंधन के लिये इन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति आसानी

से कर सकता है।

यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम

- UNODC संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम (UNDCP) और संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग (Crime Prevention and Criminal Justice Division) के संयोजन द्वारा की गई थी।
- उस समय इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय (Office for Drug Control and Crime Prevention) के रूप में की गई थी।
- वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) किया गया।
- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट (World Drug Report) इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है।

आदर्श आचार-संहिता

- भारत के निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च को 17वीं लोकसभा के लिये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि देशभर में चुनाव सात चरणों में 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई तक चलेंगे।
- > वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल 3 जून को समाप्त होना है।
- इन चुनावों के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडि़शा की विधानसभाओं के लिये भी मतदान होगा, लेकिन जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव अभी नहीं करवाए जा रहे हैं।
- चुनावों की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
- इस आचार संहिता में प्रचार, रैली, मतदान केंद्र, सत्तारूढ़ दल और घोषणापत्र संबंधी महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश होते हैं।

चुनावों के लिये उठाए जाएंगे ये 4 बड़े कदम

- आपराधिक रिकॉर्ड का विज्ञापन: लोकसभा के चुनावों में इस बार जो नया होने जा रहा है, वह यह है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रत्याशियों को नामांकन करने के बाद अपने आपराधिक मामलों का विज्ञापन देना होगा।
- यह विज्ञापन व्यापक प्रसार वाले अखबारों में ही देना होगा यानी
 छोटे अखबारों में विज्ञापन देकर बचने की संभावना नहीं रहेगी।
- यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सितंबर 2018 के फैसले को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

- सभी मतदान केंद्रों पर VVPAT मशीनें: EVM को लेकर राजनीतिक दलों की आशंकाएँ दूर करने के लिये इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) मशीन युक्त EVM इस्तेमाल की जाएंगी।
- VVPAT की मदद से मतदाता को उसके मतदान की पर्ची देखने को मिलती है कि उसका वोट उसी को मिला है जिसके नाम का बटन EVM में दबाया गया था।
- पहले स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने इसकी पड़ताल की जाएगी।
- दूसरे स्तर पर मतदान से पहले सभी मतदान केंद्रों पर इनका परीक्षण होगा और कुल वोटों का VVPAT से मिलान होगा।
- तीसरे स्तर पर मतदान के बाद प्रत्येक लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों में से एक-एक बूथ पर वोटों का VVPAT के जरिये मिलान कराया जाएगा।
- EVM में प्रत्याशियों की फोटो: इस बार सभी EVM और पोस्टल बैलेट पेपर पर सभी प्रत्याशियों की तस्वीरें होंगी, तािक मतदाता उनकी आसानी से पहचान कर पाएँ।
- EVM में फोटो को शामिल कराने के लिये सभी प्रत्याशियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो तय मानदंडों के तहत रिटर्निंग अफसर को देना होगा।
- EVM की GPS ट्रैकिंग: मतदान के बाद EVM संबंधी आशंकाओं को दूर करने के लिये जिला मुख्यालय से EVM को बूथ तक पहुँचाने और उसे मतगणना केंद्र तक ले जाने के दौरान EVM वाहनों की GPS ट्रैकिंग की जाएगी।
- साथ ही बूथों के निर्वाचन अधिकारियों की भी ट्रैकिंग की जाएगी, ताकि पता चल सके कि चुनाव के दौरान उनकी गतिविधियाँ कहाँ-कहाँ रहीं।

आदर्श आचार संहिता

- मुक्त और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद होती है।
- दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में चुनावों को एक उत्सव जैसा माना जाता है और सभी सियासी दल तथा मतदाता मिलकर इस उत्सव में हिस्सा लेते हैं।
- चुनाव की तारीख का एलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव परिणाम आने तक जारी रहती है।
- दरअसल, ये वे दिशा-निर्देश हैं, जिन्हें सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है।

- इनका उद्देश्य चुनाव प्रचार अभियान को निष्पक्ष एवं साफ-सुथरा बनाना और सत्ताधारी दलों को गलत फायदा उठाने से रोकना है।
- सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना भी आदर्श आचार संहिता के उद्देश्यों में शामिल है।
- आदर्श आचार संहिता को राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये आचरण एवं व्यवहार का पैरामीटर माना जाता है।
- आदर्श आचार संहिता किसी कानून के तहत नहीं बनी है, बिल्क यह सभी राजनीतिक दलों की सहमित से बनी और विकसित हुई है।
- सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता बनाया गया था कि क्या करें और क्या न करें।
- 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया।
- इसके बाद 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पहली बार राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि वे राजनीतिक दलों से इसका अनुपालन करने को कहें और कमोबेश ऐसा हुआ भी।
- इसके बाद से लगभग सभी चुनावों में आदर्श आचार संहिता का पालन कमोबेश होता रहा है।
- गौरतलब यह भी है कि चुनाव आयोग समय-समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है, ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे।

आदर्श आचार संहिता : न्यायालय का नजरिया

- सर्वोच्च न्यायालय 2001 में दिये गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा।
- इस फैसले के बाद आदर्श आचार संहिता के लागू होने की तारीख से जुड़ा विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो गया।
- अब चुनाव अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद जहाँ चुनाव होने
 हैं, वहाँ आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।
- यह सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों तथा संबंधित राज्य सरकारों पर तो लागू होती ही है, साथ ही संबंधित राज्य के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होती है।

आदर्श आचार संहिता : एडवांस तकनीकें चुनाव आयोग द्वारा ऐप लॉन्च

'cVIGIL' एप

- चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान मॉडल आचार संहिता (एमसीसी) के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों के लिए C-VIGIL मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है।
- ऐप का उद्देश्य देश भर के लोगों को राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं द्वारा सीधे ईसीआई के साथ कदाचार के सबूत साझा करने के लिए सशक्त बनाना है।

C-VIGIL की विशेषताएं

- यह किसी भी चुनाव के लिए राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट
 (एमसीसी) के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमित देगा।
- शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और मोबाइल पर अनुवर्ती अपडेट ट्रैक करने और प्राप्त करने के लिए अद्वितीय आईडी प्रदान की जाएगी।
- ऐप में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित विशेषताएं
 भी हैं। यह केवल उन राज्यों में सिक्रिय होगा जहां चुनाव की घोषणा की गई है।
- आदर्श आचार संहिता को और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिये कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने 'cVIGIL' एप लॉन्च किया।
- हाल में हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में इसका इस्तेमाल हुआ।
- cVIGIL के जिरये चुनाव वाले राज्यों में कोई भी व्यक्ति आदर्श
 आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है।
- इसके लिये उल्लंघन के दृश्य वाली केवल एक फोटो या अधिकतम दो मिनट की अविध का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना होता है।
- उल्लंघन कहाँ हुआ है, इसकी जानकारी GPS के जिरये
 ऑटोमेटिकली संबंधित अधिकारियों को मिल जाती है।
- शिकायतकर्त्ता की पहचान गोपनीय रखते हुए रिपोर्ट के लिये
 यूनीक आईडी दी जाती है।
- यदि शिकायत सही पाई जाती है तो एक निश्चित समय के भीतर कार्रवाई की जाती है।
- यह एप केवल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में काम करता है।
- हाई-टेक होने की दौड़ में cVIGIL एप के अलावा चुनाव आयोग

- ने और कई एडवांस तकनीकों को भी अपनाया है।
- इनमें नेशनल कंप्लेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड कॉन्टैक्ट सेंटर, सुविधा, सुगम, इलेक्शन मॉनीटिरंग डैशबोर्ड और वन वे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसिमटेड पोस्टल बैलट आदि शामिल हैं।

भारतीय निर्वाचन आयोग के विषय में

- वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा
 दो निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बना है।
- संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी उपबंध है।
- अनुच्छेद 324 में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है।
- भारत, शासन की संसदीय प्रणाली के साथ एक संवैधानिक लोकतंत्र है, और इस प्रणाली के केन्द्र में नियमित, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को आयोजित करने के प्रति प्रतिबद्धता है।
- ये निर्वाचन सरकार की संरचना, संसद के दोनों सदनों, राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभाओं की सदस्यता, और राष्ट्रपतित्व एवं उप-राष्ट्रपतित्व का निर्धारण करते हैं।
- निर्वाचन, संवैधानिक उपबंधों, जिनका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के द्वारा अनुपूरण किया जाता है, के अनुसार संचालित किए जाते हैं।
- प्रमुख कानून हैं-लोक प्रतिनिधित्वक अधिनियम, 1950, जो मुख्यतया निर्वाचक नामाविलयों की तैयारी एवं पुनरीक्षण से सर्वोधत हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जिसमें निर्वाचनों के संचालन और निर्वाचन उपरांत विवादों के सभी पहलुओं का विस्तृत विवरण है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां निर्वाचनों के संचालन में किसी दी गई स्थिति से निपटने के लिए अधिनियमित कानून चुप है या अपर्याप्ता उपबंध किए गए हैं तो निर्वाचन आयोग के पास उपयुक्त तरीके से कार्यवाही करने के लिए संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियां हैं।

मिजोरम में 'ब्रू' व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन पर समझौते

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी के लिए ब्रू प्रवासियों के साथ हस्ताक्षरित 'चार कोने समझौते' में निध रित शर्तों को आराम करने पर सहमित व्यक्त की है।
- जुलाई 2018 में भारत सरकार, मिजोरम और त्रिपुरा सरकारों
 और मिजोरम ब्रू विस्थापित पीपुल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

समझौते के प्रावधान :

- समझौते में 5,407 ब्रू परिवार (32876 व्यक्ति) वर्तमान में त्रिपुरा
 में अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं तािक उन्हें 30 सितंबर, 2018
 से पहले मिजोरम में वापस भेज दिया जा सके।
- केंद्र सरकार मिजोरम में उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और सुरक्षा, शिक्षा, आजीविका के मुद्दों पर प्रकाश डालेगी।
- त्रिपुरा से मिजोरम चले गए ये परिवार, परिवार के मुखिया के नाम पर सावधि जमा के रूप में इनको 4 लाख रुपये की एक बार वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- यह नकद सहायता मिजोरम में तीन साल के निर्वाध प्रवास के बाद ही प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा, इन किश्तों को तीन किस्तों में तथा 1.5 लाख रुपये की गृह निर्माण सहायता भी वितरित की जाएगी।
- इसके अलावा, इन परिवारों को दो साल के लिए मुफ्त राशन और प्रत्येक परिवार के लिए 5,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- राशन कार्ड और आधार जैसे पहचान दस्तावेज त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।
- मिजोरम सरकार, उन सभी प्रवासित शरणार्थियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करेगी जिन्हें मिजोरम के 1997 के चुनावी रोल के अनुसार पहचाना और सत्यापित किया गया था।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

- ब्रू शरणार्थियों के लिए 4 लाख रुपये की नकद सहायता के लिए ठहरने की अवधि तीन साल से दो साल (या यहां तक कि ढाई साल) तक छूट दे दी जाएगी।
- वे अपनी वापसी के तुरंत बाद बैंक ऋण के रूप में 4 लाख रुपये की सहायता का 90% वापस ले सकते हैं।

पृष्ठभूमि

- ब्रू या रेआंग आदिवासी, राज्य के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। मिजोरम में वे बड़े पैमाने पर मित और कोलासिब जिलों तक ही सीमित हैं।
- 1997 में, मिजोस और ब्रू के बीच जातीय हिंसा के बाद, ब्रू जनजाति के हजारों लोगों को मिजोरम में अपने घर को छोड़ने और त्रिपुरा में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एमएसए) ब्रू को राज्य के चुनावी रोल से हटाने की माँग कर रहा था, जिसमें उसका तर्क था कि ब्रू जनजाति मिजोरम के लिए स्वदेशी नहीं थी।

- इस जातीय हिंसा ने आतंकवादी संगठन ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रांट (बीएनएलएफ) और ब्रू नेशनल यूनियन (बीएनयू) द्वारा एक राजनीतिक स्वायत्त जनजातीय जिले की माँग के नेतृत्व में प्रतिशोधपूर्ण सशस्त्र आंदोलन (ब्रू आतंकवाद) का नेतृत्व किया था।
- त्रिपुरा से मिजोरम तक ब्रू लोगों के प्रत्यावर्तन का पहला चरण नवंबर 2010 में शुरू किया गया था। लेकिन मिजो एनजीओ द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान 2011, 2012 और 2015 में प्रत्यावर्तन प्रक्रिया रोक दी गई थी।

अधिकार एवं कर्त्तव्य

सबरीमाला विवाद

- सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 से
 50 साल की महिलाओं को जाने की इजाजत दी थी।
- > कोर्ट के फैसले के बाद से वहां तनावपूर्ण स्थिति बनी है।
- दो महिलाओं ने मंदिर में जाने की कोशिश की लेकिन पूरी पुलिस सुरक्षा के बाद भी भारी विरोध के चलते उन्हें वहां से लौटना पडा।
- इसी के मद्देजर एहतियात के तौर पर सबरीमाला मंदिर के आसपास धारा-144 को 8 दिसंबर की मध्य रात्रि तक बढा दिया गया है।

निगरानी समिति ने जताई संतुष्टि

- केरल हाईकोर्ट ने एक तीन सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था।
- सिमिति को मंदिर में व्यवस्थाओं की हकीकत परखने का कार्यभार दिया गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर को दिए फैसले में भगवान अय्यपा के मंदिर में 10 से 50 साल की बच्चियों और महिलाओं के प्रवेश पर लगे सदियों पुराने प्रतिबंध को खत्म कर दिया था।
- अब हर उम्र की महिलाएं मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं लेकिन बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अभी तक कोई भी महिला मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाई है।
- इसी लैंगिक आधार पर भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया।
- यह फैसला चीफ जिस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ सुनाया।

सबरीमाला मंदिर

🕨 इस मंदिर में हर साल नवंबर से जनवरी तक, श्रद्धालु अयप्पा

- भगवान के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़ते हैं।
- मकर संक्रांति के अलावा नवंबर की 17 तारीख को भी यहां बडा उत्सव मनाया जाता है।
- मलयालम महीने के पहले पांच दिन भी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इनके अलावा पूरे साल मंदिर के दरवाजे आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहते हैं।
- भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए मकर संक्रांति का दिन बहुत खास माना जाता है, इसीलिए उस दिन यहां सबसे ज्यादा भक्त पहुंचते हैं।

कौन थे अयप्पा?

- पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा को भगवान शिव और मोहिनी (विष्णु जी का एक रूप) का पुत्र माना जाता है। इनका एक नाम हरिहरपुत्र भी है।
- हिर यानी विष्णु और हर यानी शिव, इन्हीं दोनों भगवानों के नाम पर हिरहरपुत्र नाम पड़ा।
- इनके अलावा भगवान अयप्पा को अयप्पन, शास्ता, मणिकांता नाम से भी जाना जाता है।
- इनके दक्षिण भारत में कई मंदिर हैं उन्हीं में से एक प्रमुख मंदिर है सबरीमाला। इसे दक्षिण का तीर्थस्थल भी कहा जाता है।

विशेषता

- यह मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 175 किलोमीटर दूर पहाडियों पर स्थित है।
- यह मंदिर चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 18 पावन सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, जिनके अलग-अलग अर्थ भी बताए गए हैं।
- इसके अलावा यहां आने वाले श्रद्धालु सिर पर पोटली रखकर पहुंचते हैं।
- वह पोटली नैवेद्य (भगवान को चढ़ाई जाने वाली चीज़ें,
 जिन्हें प्रसाद के तौर पर पुजारी घर ले जाने को देते हैं) से
 भरी होती है।
- यहां मान्यता है कि तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनकर, व्रत रखकर और सिर पर नैवेद्य रखकर जो भी व्यक्ति आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।

लोकपाल

- लोकपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दायर करने के आदेश दिए।
- मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

लोकपाल सर्च कमेटी

- सितम्बर में केंद्र सरकार ने आठ सदस्यों की लोकपाल सर्च कमेटी का गठन किया था।
- कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रहे है।
- भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों के नामों की सिफारिश करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है।
- कमेटी के दूसरे सदस्यों में एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधित भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश, इसरो प्रमुख ए. एस. किरन कुमार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज सखाराम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीर हुसैन एस खंडवावाला, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित के. पवार और रंजीत कुमार शामिल हैं।
- आठ सदस्यीय खोज सिमिति को लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों की एक सूची की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है।
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किए जाने के चार साल बाद सर्च कमेटी का गठन किया गया है।
- 2013 में पारित लोकपाल कानून के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली लोकपाल चयन समिति को लोकपाल सर्च कमेटी के गठन का अधिकार है।
- इस चयन सिमिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत कोई अन्य न्यायाधीश और राष्ट्रपित द्वारा मनोनीत प्रसिद्ध न्यायविद इसके सदस्य होते हैं।

लोकपाल के विषय में

- लोकपाल उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने के निमित्त पद है।
- इनमें संसदीय जाँच सिमितियां, रूस की प्रोक्यूरेसी, अंग्रेजी विधि व्यवस्था में विर्णित न्यायिक अनुतोष, फ्रांसीसी पद्धित की जाँच व्यवस्थाएं तथा स्कैण्डिनेवियन देशों में प्रचलित अंबुड्समैन भी शामिल रहे हैं।
- > इनमें अंबुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अंतर्राष्ट्रीय सफलता प्राप्त की है।
- स्वीडन को इस बात का श्रेय है।
- वहाँ वर्ष 1713 में किंग चार्ल्स बारहवें ने अपने एक सभासद को उन अधिकारियों को दंडित करने के लिए नियुक्त किया जो

- कानून का उल्लंघन करते थे।
- स्वीडन में नया संविधान बनने पर संविधान सभा के सदस्यों ने जिद की कि उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करेगा।
- वह सरकारी अधिकारी नहीं हो सकता।
- तब 1809 में स्वीडन के संविधान में अंबुड्समैन की व्यवस्था हुई जो अदालतों और लोकसेवकों द्वारा कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के प्रकरण की जाँच करेगा।

देश को मिला पहला लोकपाल

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन सिमिति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष का चयन देश के पहले लोकपाल के लिये किया, जिसे राष्ट्रपति ने विधिवत मंजूरी दे दी है।
- लोकपाल में अध्यक्ष के अलावा चार न्यायिक और चार गैर-न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किये गए हैं।
- न्यायिक सदस्यों में जिस्टिस दिलीप बी. भोसले, जिस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जिस्टिस अभिलाषा कुमारी और जिस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हैं।
- SSB की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुंदरम और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन तथा महेन्द्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम को भी गैर-न्यायिक सदस्य बनाया गया है।
- इसके साथ ही देश में लोकपाल नाम की संस्था अस्तित्व में आ गई है।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त होंगे।
- लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होंगे,
 जिनमें से 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे।
- लोकपाल के 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे।
- कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है।
- प्रधानमंत्री के खिलाफ जाँच के लिये लोकपाल की पूर्ण बेंच अध्यक्ष की अगुवाई में बैठेगी और दो-तिहाई के बहुमत से फैसला करने पर ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जाँच होगी।
- यह कार्रवाई गोपनीय होगी और अगर शिकायत जाँच लायक नहीं
 पाई जाएगी तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
- सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र
 में आएंगे।
- प्रत्येक जनसेवक के लिये इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करना

- अनिवार्य है और इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल हैं।
- विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम (FCRA) के संदर्भ में विदेशी स्रोत से 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संगठन लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में होंगे।
- CBI सिंहत किसी भी जाँच एजेंसी को लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की निगरानी करने और निर्देश देने का लोकपाल को अधिकार होगा।
- लोकपाल द्वारा CBI को सौंपे गए मामलों की जाँच कर रहे
 अधिकारियों का तबादला लोकपाल की मंजूरी से होगा।
- भ्रष्टाचार के जिरये अर्जित संपत्ति की कुर्की करने और उसे जब्त करने का अधिकार, चाहे अभियोजन की प्रक्रिया चल रही हो।
- प्रारंभिक पूछताछ, जाँच और मुकदमे के लिये स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की गई है और इसके लिये विशेष न्यायालयों के गठन का भी प्रावधान है।
- इस कानून के लागू होने के 365 दिनों के अंदर राज्य विधानसभाओं
 द्वारा कानून के माध्यम से लोकायुक्तों की नियुक्ति की जानी
 अनिवार्य होगी।

लोकपाल के प्रमुख अधिकार

- कोई भी व्यक्ति जनसेवकों के भ्रष्टाचार को लेकर लोकपाल से शिकायत कर सकेगा। शिकायत किस प्रकार से की जाएगी, यह लोकपाल तय करेगा और इसकी जानकारी दी जाएगी।
- भ्रष्टाचार के मामले में लोकपाल खुद भी संज्ञान लेने में सक्षम होगा।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई: लोकपाल जाँच के दौरान आरोपी अधिकारियों के तबादले, अनुशासनात्मक कार्रवाई या निलंबन का आदेश भी दे सकेगा।
- सजा : भ्रष्टाचार के मामलों में 2 से 10 साल तक की सजा संभव।
- जब्ती : जाँच में लोकसेवक के भ्रष्ट तरीकों से अर्जित संपत्ति का पता चलने पर लोकपाल उसे जब्त करेगा।
- शाखाएँ: लोकपाल देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी शाखाएँ खोलने का निर्णय ले सकता है।
- मुकदमे की प्रक्रिया :
- 1. जाँच में दोषी पाए गए अधिकारी के खिलाफ लोकपाल मुकदमा चलाने की अनुमति देगा;
- 2. संयुक्त सचिव स्तर एवं ऊपर के अधिकारियों के मामले में सरकार से अनुमित लेनी होगी;
- 3. लोकपाल को मुकदमा चलाने की अनुमित देने के अलावा मुकदमे

- को बंद करने का भी अधिकार होगा और
- एक अभियोजन निदेशक की नियुक्ति CVC की मदद से की जाएगी जो लोकपाल के मुकदमों को देखेगा।

सर्वोच्च न्यायालय एवं शिक्षा का अधिकार

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम को लागू करने की मांग वाली एक जनिहत याचिका पर आगे सुनवाई से इन्कार कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- शीर्ष अदालत ने इससे पहले याचिकाकर्ता एवं पंजीकृत सोसायटी 'अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ' से बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने को कहा था।
- रंजन गोगोई के अतिरिक्त इस पीठ में न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ शामिल थे।
- अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ नामक सोसायटी ने 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की मांग की थी।
- इस जनिहत याचिका ने कई रिपोर्टों को संदर्भित किया जिसमें देश भर में बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अधिकारों की कई विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी सिहत शिक्षा हेतु बच्चों के अधिकारों के व्यवस्थित और व्यापक उल्लंघन दर्शाए गए हैं।

शिक्षा का अधिकार

- संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसािक राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है।
- मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रांरिभक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
- अनुच्छेद 21-क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में ''नि:शुल्क और अनिवार्य'' शब्द सिम्मिलित हैं।

- 'नि:शुल्क शिक्षा' का तात्पर्य यह है कि किसी बच्चे जिसको उसके माता-पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और पूरा करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 'अनिवार्य शिक्षा' उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने का प्रावधान करने और सुनिश्चित करने की बाध्यता रखती है।
- इससे भारत अधिकार आधारित ढांचे के लिए आगे बढ़ा है जो आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21-क में यथा प्रतिष्ठापित बच्चे के इस मौलिक अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों पर कानूनी बाध्यता रखता है।

अधिनियम का प्रावधान

- िकसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार।
- यह गैर-प्रवेश दिए गए बच्चे के लिए उचित आयु कक्षा में
 प्रवेश किए जाने का प्रावधान करता है।
- यह नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सकारों, स्थानीय प्राधिकारी और अभिभावकों कर्त्तव्यों और दायित्वों और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय और अन्य जिम्मेदारियों को विनिर्दिष्ट करता है
- यह, अन्य के साथ-साथ, छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवन और अवसंरचना, स्कूल के कार्य दिवस, शिक्षक के कार्य के घंटों से संबंधित मानदण्डों और मानकों को निर्धारित करता है।
- यह राज्य या जिले अथवा ब्लॉक के लिए केवल औसत की बजाए प्रत्येक स्कूल के लिए रखे जाने वाले छात्र और शिक्षक के विनिर्दिष्ट अनुपात को सुनिश्चित करके अध्यापकों की तैनाती के लिए प्रावधान करता है।
- इस प्रकार यह अध्यापकों की तैनाती में किसी शहरी-ग्रामीण संतुलन को सुनिश्चित करता है।
- यह दसवर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधान सभा और संसद के लिए चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर गैर-शैक्षिक कार्य के लिए अध्यापकों की तैनाती का भी निषेध करता है।
- यह (क) शारीरिक दंड और मानिसक उत्पीड़न; (ख) बच्चों

के प्रवेश के लिए अनुवीक्षण प्रक्रियाएं; (ग) प्रति व्यक्ति शुल्क; (घ) अध्यापकों द्वारा निजी ट्यूशन और (ड.) बिना मान्यता के स्कूलों को चलाना निषद्ध करता है।

न्याय तंत्र

मुख्य न्यायाधीश ही मास्टर ऑफ़ रोस्टर

- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि
 प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) मास्टर ऑफ रोस्टर' होता है।
- उनके पास शीर्ष न्यायालय की विभिन्न पीठों के पास मामलों को आवंटित करने का विशेषाधिकार और प्राधिकार होता है।

क्या है 'मास्टर ऑफ द रोस्टर थ्योरी'

- नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच (संवैधानिक पीठ) ने अहम फैसला दिया था।
- पाँच जजों की बेंच ने अपने फैसले में चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' बताया।
- इसके अनुसार चीफ जिस्टस अपने विवेक से यह तय कर सकता है कि कौन से केस की सुनवाई किस जज की बेंच करेगी।
- 'मास्टर ऑफ रोस्टर थ्योरी' के तहत चीफ जिस्टस को अधिकार है कि वह जजों के बीच केसों का आवंटन करे।
- पांच जजों की बेंच ने यह फैसला जिस्टस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली दो जजों के बेंच के उस फैसले को पलटते हुए दिया था, जिसमें जिस्टिस जे चेलमेश्वर ने करप्शन के एक मामले की सुनवाई के लिए पांच सीनियर जजों की बेंच बनाने के आदेश दिए थे।
- 'मास्टर ऑफ द रोस्टर थ्योरी' पर फैसला देते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज खुद से यह फैसला नहीं ले सकता कि वो किस केस की सुनवाई करना चाहता है और किस केस की नहीं।
- वहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिए अलग से बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को निर्देश भी नहीं दे सकते।

किस केस में सामने आई यह थ्योरी

 मेडिकल कॉलेज घोटाला केस की वजह से 'मास्टर ऑफ रोस्टर' थ्योरी को लेकर विवाद सामने आया।

क्या कॉलेजियम के सदस्यों के बीच असंतोष है?

 कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जिस्टस और चार सीनियर जजों का फोरम जजों के अप्वॉइंटमेंट्स और

- ट्रांसफर की सिफारिश करते हैं।
- हालांकि, भारत के संविधान में कालेजियम सिस्टम को लेकर कुछ लिखित नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट में इस सिस्टम की शुरुआत 28 अक्टूबर 1998 में हुई थी।
- कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जिस्टस जे चेलमेश्वर की पूर्व चीफ जिस्टस जेएस खेहर के साथ मतभेद हैं।
- 🗘 कॉलेजियम सिस्टम पर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है।

जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश

- सुप्रीम कोर्ट के सबसे विरष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला।
- उन्हें राष्ट्रपित भवन में राष्ट्रपित रामनाथ कोविंद ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।
- जस्टिस गोगोई इस पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले मुख्य न्यायधीश हैं।
- जस्टिस गोगोई देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश हैं और 17 नंवबर
 2019 तक उनका कार्यकाल होगा।

रंजन गोगोई के बारे में

- असम के डिब्रूगढ़ में 18 नवंबर 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने वर्ष 1978 में वकालत शुरू की और 28 फरवरी 2001 को उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का स्थाई न्यायाधीश बनाया गया था।
- उन्हें 12 फरवरी 2011 को पंजाब एवं हिरयाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
- वह 23 अप्रैल 2012 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये गये थे।
- जस्टिस गोगोई ने दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज में इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
- उन्होंने असम में NRC, सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन, राजीव गांधी हत्याकांड के मुजिरमों की उम्रकैद की सजा में कमी, लोकपाल की नियुक्ति समेत विभिन्न विषयों पर अहम फैसले दिये हैं।
- जस्टिस गोगोई इस समय सुप्रीम कोर्ट के उन 11 न्यायाधीशों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया है।

- भारत एक संघीय राज्य है और इसलिए यहाँ एक संघीय न्यायालय का प्रावधान है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता, अपील का अंतिम न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक, राष्ट्रपित का परामर्शदाता और संविधान का संरक्षक है।
- भारतीय न्यायव्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है।
- उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया और भारत के गणतंत्र बनने के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी, 1950 को इसने काम करना प्रारंभ किया।
- संविधान के अनुसार भारत की शीर्ष न्यायपालिका यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है।
- संसद् कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है।
- न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है।
- वर्ष 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18 तथा 1986 में 26 तक की वृद्धि कर दी गयी।
- वर्तमान समय में उच्चत्तम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश (कुल 31 न्यायाधीश) हैं।
- मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है।
- नोटः प्रारंभ में संविधान के अनुसार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक-से-अधिक सात न्यायाधीश होते थे।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएँ

- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है,
 जो -
 - भारत का नागरिक हो।
 - कम-से-कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो।
 - कम-से-कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो, या
 - राष्ट्रपति के विचार में सुविख्यात विधिवेत्ता (कानूनज्ञाता)
 हो।

न्यायाधीशों का कार्यालय एवं सेवानिवृत्ति ∕पदमुक्ति ∕ महाभियोग

🗴 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश

- 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।
- 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी वे राष्ट्रपित को अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं।
- राष्ट्रपित उनको अवकाश-प्राप्ति से पूर्व भी संसद् द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के बाद पद से हटा सकते हैं।
- अभी तक इस प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है।
- लेकिन सौमित्र सेन राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले न्यायाधीश जरुर हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपित के आदेश से हटाया जा सकता है।
- लेकिन राष्ट्रपित ऐसा आदेश साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर एक ही सत्र में विशेष बहुमत जो संसद् के प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वालों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन पर ही दे सकता है।

न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते

- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2 लाख 80 हजार रुपये प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) पर भारित हैं।
- सामान्य परिस्थितियों में न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन एवं भत्ते कम नहीं किये जा सकते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
- इस अनुच्छेद के अनुसार "राष्ट्रपित उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।"
- संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है, पर उच्चतम न्यायालय के विरिष्ठतम न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने की परम्परा रही है।
- 6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियक्ति में विरिष्ठता के

सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र

 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को 5 वर्गों में बाँटा जा सकता है -

(i) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

- उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 131 में वर्णित की गयी है. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है वैसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं. जैसे –
 - (a) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद
 - (b) केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों व एक अथवा उससे अधिक राज्यों के बीच होने वाले विवाद
 - (c) दो या उससे अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद
 - (d) मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने से सम्बंधित विवाद

(ii) अपीलीय क्षेत्राधिकार

- वं सभी मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अन्दर आते हैं।
- इसके अंतर्गत तीन तरह की अपीलें सुनी जाती हैं-संवैधानिक,
 फौजदारी और दीवानी।
 - (a) संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अपील तब सुन सकता है जब वह इस बात को प्रमाणित कर दे कि इस मामले में कोई विशेष वैधानिक विषय है जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय में होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयमेव इसी प्रकार का प्रमाणपत्र देकर अपील के लिए अनुमृति दे सकता है।
 - (b) फौजदारी अभियोग में सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश अथवा दंड के विरुद्ध अपील तभी की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाना आवश्यक है।
 - (c) दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील इन अवस्थाओं में हो सकती है -
 - यदि उच्चतम न्यायालय यह प्रमाणित करे कि विवाद का मूल्य 20,000 रु. से कम नहीं है, अथवा
 - (ii) मामला अपील के योग्य है;

(iii) उच्च न्यायालय स्वयं भी फौजी अदालतों को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है.

(iii) परामर्श सबंधी क्षेत्राधिकार

- संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है।
- अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपित को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है जो सार्वजनिक महत्त्व का है तो उक्त प्रश्न पर वह सर्वोच्च न्यायालय परामर्श मांग सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।

(iv) अभिलेख न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है. इसका अर्थ है कि इसके द्वारा सभी निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है तथा अन्य मुकदमों में उसका हवाला दिया जा सकता है।
- संविधान का अनुच्छेद 129 घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(v) रिट न्यायालय

- मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता प्राप्त है।
- अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त इस अधिकारिता का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में राज्य के विरुद्ध उपचार प्रदान करने के लिए करता है।
- उच्चतम न्यायालय की इस अधिकारिता को कभी-कभी उसकी आरंभिक अधिकारिता माना जाता है।
- यह इस अर्थ में आरंभिक है कि व्यथित पक्षकार को उच्चतम न्यायालय को याचिका प्रस्तुत करके अभ्यावेदन करने का अधिकार है। उसे इस न्यायालय में अपील के माध्यम से आने की जरुरत नहीं है।

(vi) अन्य अधिकारिता

- उपर्युक्त शक्तियों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जो निम्निलिखित हैं-
 - (a) यह अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के परामर्श से नियुक्त करने का अधिकार

रखता है।

- (b) राष्ट्रपति की स्वीकृति से यह न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया संबंधी नियम बनाता है।
- (c) राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करते समय किए गए खर्च सम्बन्धी सभी झगड़ों के लिए यह मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।
- (d) यह राष्ट्रपित एवं उपराष्ट्रपित के चुनाव से सम्बंधित विवाद निपटाता है।
- (e) यह संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को उसके पद से हटाने की सिफारिश करता है।

आधार वैधः सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट का आधार पर फैसला

- सीबीएसई, नीट (NEET) में आधार जरूरी नहीं है। इसके आलावा स्कूल में एडिमिशन के लिए भी आधार कार्ड जरूरी नहीं है।
- आधार को मोबाइल से लिंक करना आवश्यक नहीं हैं। बैंक खाते से आधार को लिंक करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार से पैन कार्ड को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑथेंटिकेशन डाटा सिर्फ 6 महीने तक ही रखा जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आधार आम आदमी की पहचान है।
- पैन कार्ड के साथ-साथ सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आधार नंबर आवश्यक बना रहेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आधार अन्य आईडी प्रमाणों से भी अलग है क्योंकि इसे डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता।
- फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 99.76 प्रतिशत लोगों को सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है।
- समाज को इससे फायदा हो रहा है तथा दबे कुचले तबके को इससे फायदा मिल रहा है।
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, सुरक्षा मामलों में एजेंसियां आधार की मांग कर सकती हैं।

- सुरक्षा लहजे से आधार की मांग करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए मान्य होगा।
- मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण ने आधार की अनिवार्यता पर अहम फैसला सुनाया है।

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में आधार और इससे जुड़ी 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी।
- 38 दिन तक चली सुनवाई के बाद 10 मई को पांच न्यायाधीशों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था।
- पीठ ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तस्वामी की याचिका सहित 31 याचिकाओं पर सुनवाई की थी।
- आधार की तर्कसंगत अनुच्छेद 21 से संबंधित निजता के उल्लंघन से सीधा संबंध रखती है।

युआईडीएआई

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम, 2016") के प्रावधानों के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत् दिनांक 12 जुलाई, 2016 को की गई।
- यूआईडीएआई की स्थापना भारत के सभी निवासियों को "आधार" नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) प्रदान करने हेतु की गई थी ताकि इसके द्वारा
 - (क) दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके और
 - (ख) उसे आसानी से एवं किफायती लागत में सत्यापित और प्रमाणित किया जा सके।
- प्रथम यूआईडी नम्बर महाराष्ट्र केनन्दूरबार की निवासी रंजना सोनवाने को 29 सितम्बर 2010 को जारी किया गया।

न्यायिक सक्रियता की ओर बढ़ते कदम

- हाल के कई निर्णयों से ऐसा माना जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कानून निर्माण करने में अति सिक्रिय भूमिका निभा रहा है।
- न तो राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण
 है और न ही कानून संरक्षित किया जा रहा है।

- राम जवाया बनाम पंजाब राज्य (1955) के मामले में, अदालत ने कहा था कि हमारा संविधान राज्य के एक अंग या हिस्से की धारणा पर विचार नहीं करता है, जो अनिवार्य रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं।
- संविधान में राज्य के तीन अंगों (विधायिका कार्यपालिका, न्यायपालिका) के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिये और एक अंग को दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिये।

न्यायिक सक्रियता क्या है?

- न्यायपालिका संवैधानिक प्रणाली के तहत संवैधानिक मूल्यों
 और नैतिकता को बनाए रखने के लिये सिक्रिय भूमिका
 निभाती है।
- 'न्यायिक सिक्रियता' शब्द न्यायाधीशों के निर्णय को संदर्भित करता है।
- न्यायिक समीक्षा को एक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है।
- न्यायिक समीक्षा को विधायी कार्यों की समीक्षा, न्यायिक फैसलों की समीक्षा और प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा के तीन आधारों पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- न्यायालय, न्यायिक समीक्षा द्वारा कार्यपालिका और विधायिका दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं।

शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत

- विभिन्न प्रावधानों के तहत संविधान ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधित कार्यप्रणाली में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये स्पष्ट रूप से रेखा खींची है।
- भारत के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों में पर्याप्त रूप से अंतर है, इस प्रकार सरकार का एक अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- जहाँ अनुच्छेद 121 और 211 विधायिका को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा करने से मना करते हैं।
- वहीं दूसरी तरफ, अनुच्छेद 122 और 212 अदालतों को विधायिका की आंतरिक कार्यवाही पर निर्णय लेने से रोकते हैं।
- इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) विधायकों को उनकी भाषण की स्वतंत्रता और वोट देने की आजादी के संबंध में अदालतों के हस्तक्षेप से रक्षा

- करते हैं।
- ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ न्यायपालिका द्वारा विधायिका के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है।
- यथा अरुण गोपाल बनाम भारत संघ (2017), एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2018), सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) तथा राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2017) आदि।
- एनजीटी द्वारा आदेश दिया गया है कि 15 वर्षीय पेट्रोल संचालित और 10 वर्षीय डीजल संचालित वाहन दिल्ली में नहीं चलाए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे वाहनों को अपनाने का निर्देश दिया है।
- हालाँकि न तो एनजीटी और न ही सर्वोच्च न्यायालय विधायी निकाय है।

न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क

- यह अन्य सरकारी शाखाओं में चेक और शेष राशि की एक प्रणाली प्रदान करती है।
- न्यायिक सिक्रियता रचनात्मकता से युक्त एक नाजुक अभ्यास है।
 यह न्याय-निर्णयन में आवश्यक नवाचार लाती है।
- न्यायिक सिक्रियता न्यायाधीशों को उन मामलों में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जहाँ कानून संतुलन प्रदान करने में विफल रहा।
- इसके अतिरिक्त न्यायिक सिक्रियता भी मुद्दों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- यही कारण है कि यह स्थापित न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों
 में त्वरित विश्वास कायम करती है।
- कई बार सार्वजिनक शक्ति लोगों को नुकसान पहुँचाती है।
- इसीलिए न्यायपालिका के लिये सार्वजिनक शक्ति के दुरुपयोग को जाँचना आवश्यक हो जाता है।
- यह तेजी से उन विभिन्न मुद्दों पर समाधान प्रदान करने का एक अच्छा विकल्प है, जहाँ विधायिका बहुमत के मुद्दे पर फँस जाती है।

न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क

- न्यायाधीश किसी भी मौजूदा कानून को ओवरराइट कर सकते हैं।
- इसिलये यह स्पष्ट रूप से संविधान द्वारा तैयार की गई सीमा रेखा का उल्लंघन करता है।
- न्यायाधीशों की न्यायिक राय अन्य मामलों पर शासन करने के लिये मानक बन जाती है।

- इसके अतिरिक्त निर्णय निजी या स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं जो जनता को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- अदालतों के बार-बार हस्तक्षेप के कारण लोगों का विश्वास सरकारी संस्थानों की गुणवत्ता, अखंडता और दक्षता के प्रति कम हो जाता है।

आयोग⁄समितियाँ

अनुसूचित जनजातियों पर राष्ट्रीय आयोग

- अध्यक्ष एनसीएसटी ने "इंदिरा सागर पोलवारम पिरयोजना" पर भारत के राष्ट्रपित को प्रभावित जनजातीय लोगों पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- रिपोर्ट और सिफारिशें संविधान के अनुच्छेद 338ए (5) (ई) के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन और सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों पर हैं।
- अनुसूचित जनजाति जो आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना के कारण प्रभावित हैं।

पोलावरम परियोजना के बारे में:

- पोलावरम परियोजना एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना की स्थिति प्रदान की गई है।
- गोदावरी नदी में यह बाँध पश्चिम गोदावरी जिले और आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित निर्माणाधीन है और इसका जलाशय छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के हिस्सों में भी फैलता है।
- यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम, पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में सिंचाई, जलविद्युत और पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए गोदावरी नदी पर बहुउद्देश्यीय प्रमुख टर्मिनल जलाशय परियोजना है।

एनसीएसटी के बारे में: अनुच्छेद 338 A

- संविधान (89 संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 338 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 338ए डालने के द्वारा एनसीएसटी की स्थापना की गई थी।
- इस संशोधन से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों
 के पूर्व राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग आयोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था-
- (i) अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग (एनसीएससी)।

- (ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसटी।
- संरचना : अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य के कार्यालय की अविध पद धारण से तीन वर्ष है।
- अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है और राज्य मंत्री और अन्य सदस्यों के साथ उपाध्यक्ष का पद भारत सरकार के सचिव के समान हैं।
- शिक्तियां : एनसीएसटी को संविधान के तहत या अन्य कानूनों के तहत या सरकार के तहत एसटी के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करने का अधिकार है।

कस्तूरीरंगन समिति

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने नई शिक्षा नीति (NEP) का सृजन करने के लिये अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में कार्यरत्त समिति की समयाविध का तीसरी बार विस्तार करके 31 अगस्त कर दिया है।
- यह समिति भारतीय शिक्षा नीति को नये सिरे से सृजित करने का काम कर रही है।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

महत्वपूर्ण क्यों?

- सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार
 15 से 17 वर्ष की लगभग 16 प्रतिशत लड़िकयां स्कूल बीच
 में ही छोड देती हैं।
- देश के 61 लाख बच्चे शिक्षा की पहुंच से दूर हैं। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां 16 लाख बच्चों तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुंचाई जा सकी है।
- ये आँकड़े यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट 'द स्टेट ऑफ द वल्र्ड्स चिल्डेन' ने जारी किए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में भी 59 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो ठीक से पढ नहीं पाते हैं।

भारत के शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति

- एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसोचैम) की ताजा रिपोर्ट में देश की शिक्षा व्यवस्था में प्रभावशाली बदलाव करने का आह्वान किया गया है।
- भारत शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का महज 3.83 फीसदी हिस्सा खर्च करता है और इतनी-सी रकम

- विकसित देशों की बराबरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- यदि हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था में प्रभावशाली बदलाव नहीं
 िकए तो विकसित देशों की बराबरी करने में 6 पीढ़ियां या
 126 वर्ष लग जाएंगे।
- अमेरिका शिक्षा पर अपनी जीडीपी का 5.22 फीसदी, जर्मनी
 4.95 फीसदी और ब्रिटेन 5.72 फीसदी खर्च करता है।
- इस वर्ष के शिक्षा बजट को जिन 2 शब्दों ने परिभाषित किया,
 वे शब्द हैं- 'स्किल और रिसर्च'।
- चालू वर्ष के बजट में 10 सरकारी और 10 निजी शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाए जाने, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी गठित करने और नए नवोदय विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

पूर्वांचल व बुंदेलखण्ड विकास बोर्ड का गठन

- उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2018 को कैबिनेट की बैठक में पूर्वीचल और बुंदेलखंड विकास बोर्ड के गठन का फैसला किया है।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई
 बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
- बैठक में इसके अलावा राज्य में जीएसटी की समस्याओं को कम करने के लिए व्यापारियों के लिए एक अलग से बोर्ड गठित करने करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
- > पूर्वीचल तथा बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे।
- > इसके अलावा बोर्ड में दो उपाध्यक्ष तथा 11 नामित सदस्य होंगे।
- इस बोर्ड में सरकार अधिकारियों में दो विशेषज्ञों को शामिल करने के अलावा नामित सदस्य होंगे।
- इसी तरह बुंदेलखंड के सात जिलों के विकास के लिये बुंदेलखंड विकास बोर्ड कर गठन को मंजूरी दे दी है। दोनों बोर्डों का कार्यकाल तीन साल का होगा।
- सरकार ने उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना किये
 जाने का निर्णय लिया है।
- यह बोर्ड जीएसटी आदि मामले सुलझाने के लिये सरकार और
 व्यापारियों के बीच एक सेतु का काम करेगा।
- सरकार इसके जिए इन क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने और विकास की गित बढ़ाने की योजना बनाएगी।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदू

- > उत्तर प्रदेश पुलिस (असाधारण पेंशन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है।
- अब कर्तव्यपालन के दौरान गंभीर दुर्घटना के कारण किसी पुलिसकर्मी के लंबे समय तक कोमा में रहने पर उसके आश्रित को असाधारण पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
- यूपी कैबिनेट ने नोएडा में सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना के लिए मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को 'उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति-2017' के तहत आवंटित 74.7642 एकड़ भूमि की लागत पर 25 प्रतिशत की छूट दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया।
- सॉफ्टवेयर विकास केंद्र की स्थापना पर 2300 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
- यूपी कैबिनेट में नई आबकारी नीति 2018-19 को मंजूरी दे दी हैं।

भारत का उच्च शिक्षा आयोग

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को निरस्त करने और भारत के उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना के लिए एक मसौदा बिल का प्रस्ताव दिया।
- इस कदम का लक्ष्य भारत में उच्च शिक्षा में सुधार करना है।
- अधिनियम 'भारत के उच्च शिक्षा आयोग अधिनियम, 2018 (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का दोहराव) नामक अधिनियम यूजीसी अधिनियम, 1951 और इसके मूल कानून को पूरी तरह से संशोधित करता है।

चिंता का विषय क्यों?

- विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों के निरंतर खराब प्रदर्शन, समृद्ध जनसांख्यिकीय लाभांश के अभिमान के बावजूद, दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शायद ही कभी 1 या 2 आईआईटी आते हैं।
- गुणवत्ता अनुसंधान की कमी, क्लास विशेषज्ञता के लिए क्लास रूम का अभाव, बहुत कम या अस्तित्व में मौजूद उद्योग एक्सपोजर जैसी संस्थागत किमयां है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विषय में

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। पात्र विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव भी देता है।
- भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा ही राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (नेट) का आयोजन करवाया जाता है, जिसे उत्तीर्ण करने के पश्चात उम्मीदवारों की विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों के पद पर नियुक्ति होती है।
- यूजीसी केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाला उपक्रम है, जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तथा छ: अन्य क्षेत्रों पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरू में भी इसके कार्यालय है।

उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के बारे में

- एचईसीआई अकादिमक मानकों और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित होगा।
- यूजीसी के विपरीत, एचईसीआई के पास अनुदान कार्य नहीं होंगे और केवल अकादिमक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- एचईसीआई को भी उन संस्थानों को बंद करने के लिए दंड शिक्तयों को दिया जाएगा जो निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, जरूरी जुर्माना लगाएगा और जहां आवश्यक हो वहां तीन वर्ष तक कारावास के प्रावधान होंगे।

HECI और UGC में क्या अंतर है?

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पास विश्वविद्यालयों को रेगुलेट करना और उन्हें अनुदान (grant) देने का अधिकार है।
- जबिक HECI के पास अनुदान देने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि नए कमीशन के आने के बाद विश्वविद्यालयों को अनुदान सीधे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, IITs, NITs and IISERs जैसे सभी तकनीकी संस्थानों को फण्ड देता है।

मुख्य परिवर्तन		
यूजीसी एक्ट	एचईसीआई एक्ट	
यूजीसी के अंतर्गत एक अध्यक्ष,	एचईसीआई में एक अध्यक्ष,	
एक उपाध्यक्ष, एक सचिव तथा	एक उपाध्यक्ष, एक सचिव	
10 अन्य सदस्य होगें।	और बारह अन्य सदस्य होंगे।	
सरकार द्वारा इसके अध्यक्ष	सरकार इसके अध्यक्ष	
उपाध्यक्ष और सदस्यों को	उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को	
अपदस्थ करने का कोई प्रावधान	9 कारणों के आधार पर	
नहीं है।	अपदस्थ कर सकती हैं।	
यूजीसी विश्वविद्यालय को अनुदान दे सकती है।	विश्वविद्यालय में अनुदान संवितरण के लिए एचईसीआई उत्तरदायी नहीं होती, इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्देश देता है।	
यह अनुदान विश्वविद्यालय के	यह संस्थानों को उसके	
स्तर और संस्थानों की प्रगति	शैक्षणिक व अन्य स्तरों के	
को ध्यान में रखकर यूजीसी के	आधार पर मान्यता प्रदान	
निर्देश पर दिया जाता है।	करती है।	
इसके अध्यक्ष उप-कुलाधिपति	इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के	
के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र	सेवानिवृत्ति की अधिकतम	
सीमा 65 वर्ष है।	उम्र सीमा 70 वर्ष है।	
इसके अध्यक्ष उप-कुलाधिपति और सदस्य किसी भी उच्च-शिक्षा संस्थानों जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी निजी संस्थानों के अधीन होते हैं, के अंतर्गत कार्य देने का अधिकार देते हैं।	इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए 2 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का प्रावधान है।	
इसमें ऑनलाईन आवेदन का कोई	इसमें केवल ऑनलाईन	
प्रावधान नहीं है।	आवेदन ही स्वीकृत है।	
इसमें कोई सलाहकार निकाय की व्यवस्था नहीं है।	इसमें एक सलाहकार निकाय होते हैं। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन होते हैं।	

बिल की मुख्य विशेषताएं :

- आयोग का ध्यान अकादिमक मानकों और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सीखने के पिरणामों के मानदंडों को निर्दिष्ट करने, शिक्षण/अनुसंधान आदि के मानकों को निर्धारित करने पर होगा।
- यह आवश्यक अकादिमक मानकों को बनाए रखने में विफल पाए गए संस्थानों के परामर्श के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगा।
- अधिनियम में कानूनी प्रावधानों के माध्यम से अपने फैसलों को लागू करने की शक्ति होगी।
- आयोग के पास अकादिमक गुणवत्ता के मानदंडों के अनुपालन के आधार पर अकादिमक परिचालन शुरू करने के लिए प्राधिकार देने की शिक्त होगी।
- इसमें उन संस्थानों को बंद करने की सिफारिश करने की शिक्त भी होगी जो छात्रों के हित को प्रभावित किए बिना न्यूनतम मानकों का पालन करने में विफल होंगे।
- आयोग का संविधान उच्च शिक्षा, जैसे एआईसीटीई और एनसीटीई में नियामक निकायों के अध्यक्षों के द्वारा मजबूत किया जाना है।
- इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष/उप-अध्यक्ष और सदस्य अकादिमक और शोध के क्षेत्र में प्रतिष्ठा के विद्वान होंगे और नेतृत्व के गुण रखने, संस्था निर्माण के लिए सिद्ध क्षमताओं और उच्च शिक्षा नीति और अध्यास के मुद्दों की गहरी समझ होगी।
- देश में मानकों के समन्वय और दृढ़ संकल्प से संबंधित मामलों
 पर आयोग को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद होगी।
- इसका प्रतिनिधित्व उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषदों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और एचआरडी के केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा।
- एचईसीआई के पास अनुदान कार्य नहीं होंगे और केवल अकादिमक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
- 🗴 मंत्रालय अनुदान कार्यों से निपटेंगे।
- प्रस्तावित कानून केंद्र को एचईसीआई के चेयरमैन और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भी अधिकार देता है।

भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियां/आयोग

- कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद वर्ष 1818
- चार्ल्सवुड सिमिति 1854 इसे 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' भी कहा जाता है

- डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर शिक्षा आयोग 1882-1883 हाई स्कूल स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जिसमें एक व्यावसायिक एवं दूसरी व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया गया।
- सर थॉमस रैले आयोग वर्ष 1902 इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया
- एम ई सैडलर आयोग 1917 स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया।
- सर फिलिप हार्टोग सिमित वर्ष 1929 इसमें व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया गया
- सर जॉन सार्जेण्ट सिमिति वर्ष 1944 इसमें 6 से 11 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई।

स्वतंत्रता के पश्चात बनी शिक्षा समितियां और आयोग

- डॉ. एस. राधाकृष्णनन् आयोग वर्ष 1948-49 -विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना।
- मुदालियर शिक्षा आयोग वर्ष 1952-53 इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है
- डॉ. डीएस कोठारी आयोग वर्ष 1964 इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1992 एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल। इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है।
- एम. बी. बुच सिमिति वर्ष 1989 दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा सिमिति।
- जी. राम रेड्डी समिति वर्ष 1992 दूरस्थ शिक्षा पर केन्द्रीय परामर्श समिति
- प्रोफ़ेसर यशपाल समिति 1992 बोझमुक्त शिक्षा की संकल्पना
- रामलाल पारेख समिति 1993 बीएड पत्राचार समिति
- प्रो. खेरमा लिंगदोह सिमिति 1994 पत्राचार बीएड अविध 14 माह तय की गई
- प्रो. आर टकवाले सिमिति वर्ष 1995 सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई
- जस्टिस जे एस वर्मा समिति वर्ष 2012 शिक्षकों की क्षमता की समय-समय पर जाँच

 राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2017 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक एवं पद्मविभूषण डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट जून, 2018 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है।

विविध

विभाजन के चार वर्ष बाद राजकीय चिन्ह स्वीकार्य

- आंध्र प्रदेश के विभाजन के करीब चार वर्षों बाद राज्य ने आधिकारिक उपयोग के लिए अपने नए राज्य चिह्न को स्वीकार कर लिया है।
- आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी जानकारी में बताया गया कि यह चिह्न अमरावती कला से प्रेरित है।
- इसके अलावा राज्य चिह्न के नीचे राष्ट्रीय चिह्न को भी जगह दी गई है।

प्रमुख तथ्य

- आंध्र प्रदेश का राजकीय प्रतीक अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से प्रेरित है।
- इसमें 'धम्म चक्र', शामिल है जो बौद्ध प्रतीक के साथ सजाया जाता है जिसमें पिनाट पत्तियों और कीमती पत्थरों के साथ बनाया जाता है।
- सजावटी मोतियों को तीन चक्रों में आरोही क्रम में लगाया गया है. आंतरिक चक्र में 48, बीच में 118 और बाहरी चक्र में 148 मोती लगाए गये हैं।
- 'पंमा घाटक' अथवा 'फूलदान' 'धम्म चक्र' के केंद्र में है।
- इसके मुख्य आवरण पर मेडलियन और टैसल के साथ चार बैंड वाली माला के साथ सजाया गया है।
- राजकीय प्रतीक में हरे, लाल और पीले रंग का उपयोग किया गया है।

अन्य घोषणाएं :

राज्य सरकार द्वारा काले हिरन (ब्लैक बक), जिसे स्थानीय कृष्णा जिंका भी कहा जाता है, को राजकीय पशु यथावत रखा गया है।

- नीम आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ है तथा रोज रिंग्ड पैराकीट राज्य का राजकीय पक्षी है।
- आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद वॉटर लिली की राजकीय फूल के रूप में मान्यता समाप्त कर दी गई थी।
- उसके स्थान पर चमेली को राजकीय फूल घोषित किया गया।

भारत का राजकीय चिह्न

- अशोक चिह्न भारत का राजकीय प्रतीक है।
- इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट (स्तंभ) से लिया गया है।
- मूल रूप इसमें चार शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह
 िकए खड़े हैं।
- इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर एक हाथी, दौड़ता घोड़ा, एक सांड़ और एक सिंह बने हैं।
- ये गोलाकार आधार खिले हुए उल्टे लटके कमल के रूप में है।
- हर पशु के बीच में एक धर्म चक्र बना हुआ है।
- राष्ट्र के प्रतीक में जिसे 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था केवल तीन सिंह दिखाई देते हैं और चौथा छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है।
- चक्र केंद्र में दिखाई देता है, सांड दाहिनी ओर और घोड़ा बायीं ओर और अन्य चक्र की बाहरी रेखा बिल्कुल दाहिने और बाई छोर पर दिखाई देते हैं।
- प्रतीक के नीचे 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है। यह शब्द सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं, जिसका अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है।

करतारपुर कॉरिडोरः आधारशिला

- भारत के उपराष्ट्रपित वैंकेया नायडू ने 26 नवंबर 2018 को करतारपुर कॉरिडोर की आधारशिला रखी।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में करतारपुर कॉरिडोर को मंजूरी देकर बड़ा निर्णय लिया है।
- गुरुदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक एक करतारपुर करॉरिडोर बनाया जाएगा।
- यह वैसा ही होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होता है।
- यहां पर वीजा और कस्टम की सुविधा मिलेगी।

- इसको व्यापक तरीके से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के तहत विकसित किया जायेगा जिसकी लम्बाई लगभग तीन किलोमीटर होगी।
- इस कॉरिडोर को भारत सरकार फंड करेगी।
- यह सिखों का पिवत्र तीर्थ स्थल है जहां गुरुनानकदेव जी ने अपने जीवन के 18 साल बिताए थे।

कॉरिडोर का लाभ

- कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालु पंजाब के गुरुदासपुर जिले से पिकस्तान स्थित करतारपुर साहिब जाकर दर्शन कर सकेंगे।
- फिलहाल यह स्थल पाकिस्तान में भारतीय सीमा से करीब चार किलोमीटर दूर है और अभी पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक बॉर्डर आउटपोस्ट से दूरबीन से श्रद्धालु इस गुरूद्वारे के दर्शन करते हैं।

करतारपुर साहिब के बारे में जानकारी

- सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव ने करतारपुर साहिब में अपने जीवन के 18 साल बिताये थे।
- श्री करतापुर साहिब गुरुद्वारे को पहला गुरुद्वारा माना जाता है जिसकी नींव श्री गुरु नानक देव जी ने रखी थी।
- हालांकि बाद में रावी नदी में बाढ़ के कारण यह बह गया
 था। इसके बाद वर्तमान गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था।
- कहा जाता है कि इस क्षेत्र का धनाढ्य व्यक्ति दुनी चंद गुरु नानक से मिला था और उन्होंने 100 एकड़ जमीन दान दी थी।
- गुरु नानक ने भेंट स्वीकार की और वहां रहकर एक छोटी इमारत का निर्माण करवाया।
- उन्होंने यहां रहकर भूमि की जुताई भी की और खेती भी की।
- गुरु नानकदेव ने इसी स्थान से 'नाम जपो, किरत करो और वंड छको' (ईश्वर का नाम लें, मेहनत करें और बांट कर खाएं) का फलसफा दिया था।

अभिनव भारत @ 75

- नीति आयोग ने 19 दिसंबर 2018 को भारत के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की जिसमें 2022-23 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है।
- यह 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत विवरण है, जो पहले से हो चुकी प्रगति को मान्यता प्रदान करती है, बाध्यकारी रुकावटों

- की पहचान करती है और स्पष्ट रूप से वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा के बारे में सुझाव देती है।
- केन्द्रीय वित्त मंत्री नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. रमेश चन्द और डॉ. वी.के. सारस्वत तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की उपस्थित में 'अभिनव भारत@75 के लिए कार्यनीति' जारी की।

सिविल सर्विसेज में सुधार हेतु सिफारिशें

- नीति आयोग ने सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु कम करने की सिफारिश की है।
- आयोग ने कहा है कि सिविल सिविसेज में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए वर्तमान अधिकतम आयु 32 से घटाकर 27 साल कर दी जानी चाहिए।
- आयोग ने कहा है कि अधिकतम आयु में यह 2022-23 तक लागू कर देनी चाहिए।
- आयोग ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा ली जानी चाहिए।
- सभी सेवाओं में भर्ती के लिए सेंट्रल टैलंट पूल बनाए जाने का सुझाव दिया गया है।
- इसमें अभ्यर्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार विभिन्न सेवाओं में लगाया जाए।
- यह भी सुझाव दिया गया है कि नौकरशाही में उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- तािक हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञों की सेवाएं मिल सकें।

लैटरल एंट्री

- भारतीय प्रशासिनक सेवा में सुधार के प्रस्ताव लंबे अरसे से आ रहे हैं। अनेक विशेषज्ञों ने इसमें परिवर्तन के अलग-अलग रास्ते सुझाए।
- नौकरशाही में लैटरल एंट्री का प्रस्ताव पहली बार 2005 में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में आया था।
- कुछ समय पहले इन्फोसिस के संस्थापक एन. आर.
 नारायणमूर्ति ने कहा था कि आईएएस को समाप्त कर उसकी जगह इंडियन मैनेजमेंट सर्विस का गठन किया जाना चाहिए।
- जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को रखा जाए। उनका कहना
 था कि भारतीय नौकरशाही का माइंडसेट और ढांचा आज के
 समय के अनुकूल नहीं रह गया है।

प्रशासनिक सुधार आयोग करता है सिफारिशें

- देश में प्रशासनिक सुधारों के लिए एक प्रशासनिक सुधार आयोग है. इसकी स्थापना 5 जनवरी 1966 को की गई थी।
- उस वक्त मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया
 था, लेकिन जब मार्च 1967 में मोरारजी देसाई देश के उपप्रधानमंत्री बन गए, तो कांग्रेस के नेता के. हनुमंथैया को इसका अध्यक्ष बना दिया गया।
- इस समिति का काम ये देखना था कि देश में सरकारी अफसरशाही को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है।
- ये वो वक्त था, जब देश अकाल से उबरने की कोशिश कर रहा था और चीन से हुए युद्ध में मिले घाव पूरी तरह से भर नहीं पाए थे।
- उस वक्त इस समिति ने अलग-अलग विभागों के लिए 20 रिपोर्ट्स तैयार की थीं, जिसमें 537 बड़े सुझाव थे।
- इन सुझावों पर अमल करने की रिपोर्ट नवंबर 1977 में संसद के पटल पर रखी गई थी।
- तब से लेकर 2005 तक देश की अफसरशाही उन्हीं सिफारिशों के आधार पर चलती रही।

कार्यनीति के चार खंड

- दस्तावेज के 41 अध्यायों को चार खंडों, क्रमश: वाहक, अवसंरचना,
 समावेशन और गवर्नेंस में विभाजित किया गया है।
- वाहकों पर आधारित पहला खंड आर्थिक निष्पादन के साधनों, विकास और रोजगार, किसानों की आमदनी दोगुनी करने, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष पारिस्थितिकी को उन्नत बनाने और फिनटेक तथा पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने संबंधी अध्यायों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

प्रमुख सिफारिशें

- वर्ष 2018-23 के दौरान लगभग 8 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद
 जीडीपी की विकास दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की गित को निरंतर तेजी से बढाना।
- इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में विस्तार होगा और यह 2017-18 में 2.7 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक लगभग चार ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी।
- सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) द्वारा आंकी गई निवेश दरों में जीडीपी के मौजूदा 29 प्रतिशत में वृद्धि लाते हुए 2022 तक 36 प्रतिशत तक बढ़ाना।

- कृषि क्षेत्र में, ई-राष्ट्रीय कृषि मंडियों का विस्तार करते हुए तथा कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के स्थान पर कृषि उपज और मवेशी विपणन अधिनियम लाकर किसानों को 'कृषि उद्यमियों' में परिवर्तित करने पर बल दिया जाए।
- 'शून्य बजट प्राकृतिक खेती' की तकनीकों पर दृढ़ता से बल देना जिससे लागत में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा किसानों की आमदनी बढ़ती है।
- यह वातावरण के कार्बन को मृदा में ही रखने की एक जांची परखी पद्धित है।
- खनन अन्वेषण और लाइसेसिंग नीति का पुनर्निर्माण करने के लिए 'एक्सप्लोर इन इंडिया' मिशन का आरंभ करना।
- दूसरा खंड अवसंरचना से संबंधित है जो विकास के भौतिक आधारों का उल्लेख करता है।
- इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
 - पहले से मंजूर किए जा चुके रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) की स्थापना में तेजी लाना।
 - आरडीए रेलवे के लिए एकीकृत, पारदर्शी और गितशील मूल्य व्यवस्था के संबंध में परामर्श देने या सुविज्ञ निर्णय लेने का कार्य करेगा।
 - तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा फ्रेट पिरवहन के अंश को दोहरा करना।
 - बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार होने तक शुरुआत में,
 वायबिलिटी गैप फांडिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
 - 2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी।
 - वर्ष 2022-23 तक सभी सरकारी सेवाएं राज्य,
 जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- समावेशन से संबंधित तीसरा खंड समस्त भारतीय नागरिकों की क्षमताओं में निवेश के अत्यावश्यक कार्य से संबंधित है।
- इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं:
 - देश भर में 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान (पीएम-जेएवाई) प्रारंभ करने सिंहत आयुष्मान भारत कार्यक्रम का सफल कार्यान्वयन।
 - केन्द्रीय स्तर पर राज्य के समकक्षों के साथ सार्वजिनक स्वास्थ्य के लिए फोकल प्वाइंट बनाना।

- समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन।
- 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना के जिए जमीनी स्तर पर नई नवोन्मेषी व्यवस्था सृजित करते हुए स्कूली शिक्षा प्रणाली और कौशलों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के निष्कर्षों पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्ररी की संकल्पना करना।
- गवर्नेस से संबंधित अंतिम खंड में की गई कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:
 - उभरती प्रौद्योगिकियों के बदलते संदर्भ तथा अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच सुधारों का उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पहले दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन करना।
 - मध्यस्थता की प्रक्रिया को किफायती और त्विरत बनाने तथा न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता का स्थान लेने के लिए मध्यस्थता संस्थाओं और प्रत्यायित मध्यस्थों का आकलन करने के लिए नए स्वायत्त निकाय यथा भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना।
 - लंबित मामलों को निपटाना- नियमित न्याय प्रणाली के कार्य के दबाव को हस्तांतरित करना।
 - भराव के क्षेत्रों को कवर करने, प्लास्टिक अपशिष्ट और नगर निगम के अपशिष्ट तथा अपशिष्ट से धन सृजित करने की पहलों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दायरे का विस्तार करना।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू

- जम्मू-कश्मीर में छह महीने का राज्यपाल शासन पूरा होने के बाद 19 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपित शासन लागू हो गया।
- केंद्र सरकार ने राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मिलक के प्रस्ताव के बाद राज्य में राष्ट्रपित शासन लागू किया है।

राज्यपाल शासन

- जून 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस लिया था।
- जिसके कारण जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी सरकार गिर गयी थी।
- इसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू हुआ था।

संविधान 92 के अनुसार

- चूंकि जम्मू-कश्मीर का संविधान अलग है, इसलिए जम्मू-कश्मीर के संविधान 92 के अनुसार राज्य की वैधानिक मशीनरी कार्यशील न होने के कारण 6 महीने तक राज्यपाल शासन लागू होता है।
- इसके तहत विधायिका की तमाम शक्तियाँ राज्यपाल के पास होती हैं।
- 6 महीने की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
- इसके अलावा यदि चुनाव नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपित शासन को छह महीने और बढ़ाया जा सकता है।
- जम्मू-कश्मीर में 22 साल बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है।
- इससे पहले साल 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था।

राष्ट्रपति शासन क्या है?

- राष्ट्रपित शासन भारत में शासन के संदर्भ में उस समय प्रयोग किया जाने वाला एक पारिभाषिक शब्द है।
- जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है
 और राज्य प्रत्यक्ष संघीय शासन के अधीन आ जाता है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद-356, केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है।
- राष्ट्रपित शासन उस स्थिति में भी लागू होता है, जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं हो।
- इसे राष्ट्रपित शासन इसिलए कहा जाता है क्योंकि, इसके द्वारा राज्य का नियंत्रण सीधे भारत के राष्ट्रपित के अधीन आ जाता है, लेकिन प्रशासिनक दृष्टि से राज्य के राज्यपाल को केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान किये जाते हैं।
- प्रशासन में मदद करने के लिए राज्यपाल आम तौर पर सलाहकारों
 की नियुक्ति करता है, जो आम तौर पर सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं।

CBI में रिक्तियों पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट

 संसदीय सिमिति की अध्यक्षता सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा की जा रही है।

प्रमुख बिंदु :

- एक अलग निष्कर्ष के आधार पर संसदीय स्थायी सिमिति (Parliamentary Standing Committee-PSC) ने पाया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में मानव के साथ-साथ भौतिक बुनियादी ढाँचे का भी अभाव है।
- इस वजह से 17 में से 14 बेंच पूरी तरह कार्यरत नहीं हैं।
- कार्यकारी रैंक, विधि अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों में
 रिक्त पदों का प्रतिशत क्रमश: 16, 28 और 56 है।
- शीर्ष स्तर पर विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक के चार पदों में से तीन खाली पडे हैं।

सीबीआई हेतु सिफारिशें

- सिमिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई में रिक्तियों की चिरस्थायी समस्या को दूर करने के लिये सरकार भर्ती नियमों को सरल बनाए।
- सीबीआई और सरकार को गाजियाबाद में सीबीआई अकादमी में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन (International Centre of Excellence in Investigation & ICEI) की स्थापना हेतु शीघ्र अनुमोदन प्रदान करना चाहिये, जिसे 2015 में घोषित किया गया था।

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन-ICEI

इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टीगेशन (International Centre of Eñcellence in Investigation- ICEI) का उद्देश्य साइबर अपराध सिंहत अन्य अपराधों के उभरते डोमेन में जाँच और अभियोजन पर विश्व स्तरीय प्रमाणित पाठ्यक्रम पेश करना था।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) हेतु सिफारिशें

- संसदीय स्थायी सिमिति के अनुसार, रिक्तियों को भरने के लिये समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।
- सिमिति ने कहा कि न्यायाधिकरण में सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अच्छी तरह से शुरू होनी चाहिये और सरकार को समय से पहले सेवा छोड़ने वाले सदस्यों के कारणों की जाँच तथा उपचारात्मक उपाय करना चाहिये।

वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल की अधिसूचना

हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (Financial Action Task Force-FATF) ने पाकिस्तान और श्रीलंका सहित 11 ऐसे देशों की पहचान की है, जो धन-शोधन रोधी उपायों तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (Combating of Financing of Terrorism-CFT) का मुकाबला करने में रणनीतिक रूप से कमजोर हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु :

- भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ अन्य नौ क्षेत्राधिकार इस प्रकार हैं- बहामा, बोत्सवाना, इथियोपिया, घाना, सर्बिया, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य, ट्यूनीशिया तथा यमन।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल (FATF) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को कोरिया से आने वाले धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (ML/FT) जोखिम से बचाने के लिये उपाय लागू करें।
- वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल की निर्णय लेने वाली संस्था, FATF प्लेनरी (FATF Plenary) वर्ष में तीन बार बैठक करती है और इन विवरणों को अपडेट करती है।
- पाकिस्तान के संदर्भ में वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल के अनुसार, जून 2018 में पाकिस्तान ने धन-शोधन रोधी (Anti & Money Laundering AML) उपायों तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (Combating of Financing of Terrorism-CFT) से मुकाबला करने और अपने रणनीतिक आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण संबंधी किमयों को दूर करने के लिये उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता तय की थी।

स्थायी निवास स्थिति योजना (PRS)

- 🖸 दो वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार ने इस योजना को लांच किया।
- यह योजना विदेशी व्यक्तियों को यह सहूलियत/सुविधा प्रदान करती है।
- केन्द्रीय कैंबिनेट ने 2016 में परमानेंट रेसिडेंसी स्टेट्स स्कीम
 'मेक इन इंडिया' नीति को प्रोत्साहित करने के लिए जारी
 किया है।
- यह स्कीम उन विदेशी निवेशकों के लिए है, जो कम से कम 18 माह के अंदर 10 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं या 36 माह के अंदर 25 करोड़ रुपए का निवेश करते हैं।
- स्थायी निवास स्थिति योजना (PRS) 10 वर्षों की समयाविध के लिए दी जाएगी।
- इसकी समीक्षा अगले 10 वर्षों के लिए भी हो सकेगी।
- यदि PRS रखने वाला व्यक्ति कोई प्रतिकूल नोटिस नहीं पाता है।
- इससे संबंधित विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप एक वर्ष में कम से कम 20 भारतीय निवासियों को रोजगार मिलना चाहिए।

- PRS होल्डर की मल्टीपल इंट्री वीजा की भांति सेवा होगी।
- वह भी बिना किसी पूर्व शर्त/नियम के, साथ ही उसे रिजस्ट्रेशन आवश्यकताओं से भी छूट दी जाएगी।
- PRS (Permanent Residency Status Scheme) होल्डर्स को निवास के लिए एक आवासी संपत्ति खरीदने की अनुमित दी जाएगी।
- PRS होल्डर के आश्रित एवं पित-पत्नी को निजी क्षेत्र में रोजगार पाने की भी छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा भारत में अध्ययन की भी अनुमित होगी।

सुरक्षा क्लीयरेंस

- पिछले वर्ष मंत्रालय ने 11 महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे-रक्षा, दूरसंचार, सूचना एवं प्रसारण में 1,071 से भी अधिक प्रस्तावों को सुरक्षा क्लीयरेंस दिया है।
- 90 प्रतिशत से अधिक FDI प्रस्ताव स्वचालित रूट के माध्यम से आए हैं।
- विदेशी देशों में अमेरिका, चीन (हांगकांग भी सिम्मिलित), मॉरीशस तथा ब्रिटेन आदि ने प्रत्येक 10 प्रोजेक्ट प्राप्त करने का सिग्नल प्राप्त कर चुके हैं।
- इसके अलावा जर्मनी ने 6, बांग्लादेश 3, इटली, इजराइल, नीदरलैण्ड और स्विट्जरलैंड प्रत्येक को दो-दो प्रोजेक्ट्स मिलने हैं।

क्या ऐसी योजना दूसरे देशों ने लागू की है?

- ज्यादातर यूरोपीय संघ के देशों, अमेरिका, कनाडा एवं दूसरे देश भी विदेशी निवेशकों को पर्मानेंट रेजीडेंसी प्रदान करते हैं।
- अमेरिका EB-5 वीजा प्रोग्राम ऑफर करता है, जहाँ विदेशी स्थायी निवास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- यदि वे 10 लोगों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करते हैं।
- साथ ही न्यूनतम 6.5 करोड़ रुपए का निवेश भी करते हैं।

15वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तें

समाचारों में क्यों ?

- संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी।
- स्थापना का उद्देश्य था केन्द्र व राज्यों के मध्य राजस्व वितरण किस प्रकार होनी चाहिए।
- इसके अतिरिक्त वित्त आयोग यह भी निर्णय लेता है कि राज्यों

- को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के सिद्धांत कया होंगे?
- 15वां वित्त आयोग 27 नवंबर, 2017 को गठित किया गया था।
- इसके अध्यक्ष भूतपूर्व राजस्व सिचव तथा पूर्व राज्य सभा सांसद एन. के सिंह थे।
- 15वें वित्त आयोग के 'टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस' (ToR) अर्थात् संदर्भ शर्तें ने दक्षिणी राजयों में एक तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया।
- 15वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस के संदर्भ में कुछ महत्त्वपूर्ण पक्ष निम्निलखित हैं -
 - 2011 की जनगणना को उपयोग में लाने का आदेश।
 - राजस्व घाटा अनुदान देना किसी भी तरह से।
 - केन्द्र व राज्यों के वित्त पर जीएसटी के प्रभाव को विचार में लाना।
 - राज्यों की ऋण लेने की शर्तों का संदर्भ तथा
 - निष्पादन रियायतें प्रदान करना कुछ विवादास्पद संकेतकों के संदर्भ में।

1971 से 2011 की ओर प्रस्थान

- यदि 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को 1971 के आंकड़े से प्रतिस्थापित किया जाता है तो राज्यों की जनांकिकीय में परिवर्तन न सिर्फ विदेशीकृत जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ है बिल्क यह एक राज्य से अन्य राज्यों में प्रवासन के कारण भी हुआ है।
- 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के उपयोग का अर्थ है जानबूझ कर 50 वर्षों पूर्व की सूचनाओं का उपयोग जो 2020-21 तक आउट डेटेड होंगे, यह वित्त आयोग के संस्तुति अविध का प्रथम वर्ष होगा।
- पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा विभिन्न कसौटियों में जनसंख्या के आंकडो के उपयोग में एक स्केलिंग पद्धित कारक रहा है, यानि अत्यधिक जनसंख्या आकार वाले राज्यों को अत्यधिक मात्रा/ परिमाण में राजस्व हस्तांतरित किए गए।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए सदैव अद्यतन जनसंख्या का उपयोग होता है न कि पूर्व के जनसंख्या आंकड़ों का, जैसा कि आय असमानता कसौटी के अंतर्गत किया जाता है।
- प्रति व्यक्ति आय हस्तांतरण बढ़ाना केवल एक काल्पनिक जनसंख्या के आकर के लिए दुरुस्त नहीं है।
- 1971 के बाद की जनसंख्या आंकड़े का उपयोग सदैव एक कृत्रिम अभ्यास की भांति रहे हैं।

- विश्व का कोई अन्य संघीय राज्य ऐसे तरीके नहीं अपनाता।
- महत्त्वपूर्ण संघीय राजयों जैसे कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया आदि सुव्यवस्थित राजस्व हस्तांतरण सिद्धांतों को अपनाते हैं।
- वे सभी प्रासंगिक सूचनाओं का उपयोग करते हैं, जो यथासंभव अद्यतन हों।
- इसके अतिरिक्त अन्य सूचनाओं के अपिरवर्तन पर भी निर्भर करता है जिसमें प्रति व्यक्ति आय राज्य सकल घरेलू उत्पाद भी शामिल है।
- ये परिवर्तन 10वें वित्त आयोग से 14वें वित्त आयोग के दौरान हुए।

राजस्व घाटा अनुदान

- वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस के संदर्भ में राजस्व घाटा अनुदान के संबंध में की गई सिफारिश का अर्थ यह नहीं है कि इसे बंद कर दिया जाए।
- राजस्व घाटा अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत
 प्रदान किया गया है।
- वित्त आयोग को पहले वे सिद्धांत तय करने चाहिए जिनसे राज्य के राजस्व सहायता अनुदानों को शांति किया जाना चाहिए तथा उसके बाद समस्त योग का निर्धारण करे, जिसे राज्यों को अदा किया जाना है।
- राजस्व घाटा अनुदान का अक्सर अंधानुकरण किया जाता है अंतराल को कम करने के दृष्टिकोण से भले ही कुछ आंशिक मानकों के आवेदन द्वारा इसे संयमित ही क्यों न किया गया हो।
- राजस्व हस्तांतरण में इस दृष्टिकोण की भारत में कटु आलोचना होती रही है क्योंकि इससे प्रतिकृल रियायत जेनरेट होती है।
- वास्तव में अंतराल भरने के आधार पर दिए जाने वाले राजस्व घाटा अनुदान को बंद कर देना उचित है, लेकिन आम सहमति व स्वीकारोक्ति सिद्धांतों के आधार पर जो कि अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रावधानित है, को जारी रखना चाहिए।

एस आई पी के तीसरे चरण के नये दर्शनीय स्थान

कंद्रीय जल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस (एसआईपी) के तीसरे चरण के तहत 10 और दर्शनीय स्थानों को जोडा है।

मुख्य तथ्य

🖸 चरण III के तहत चयनित किए गए ये 10 नए स्थल चरण 👴

I और II के तहत पहले से ही चुने गए 20 अन्य स्थलों में शामिल हो गए हैं, जहां विशेष स्वच्छता कार्य पहले ही चल रहा है। ये 10 नए स्थल हैं:

राघवेंद्र स्वामी मंदिर	(आंध्र प्रदेश)
हजरद्वारी पैलेस	(पश्चिम बंगाल)
ब्रह्मा सरोवर मंदिर	(हरियाणा)
विदुर कुट्टी	(उत्तर प्रदेश)
माणा गांव	(उत्तराखंड)
पांगोंग झील	(जम्मू-कश्मीर)
नागवासुकी मंदिर	(उत्तर प्रदेश)
इमा कीथल बाजार	(मणिपुर)
सबरीमाला मंदिर	(केरल)
और कण्वाश्रम	(उत्तराखंड)

स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस (एसआईपी)

- स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस (एसआईपी) स्वच्छ भारत मिशन के तहत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च की गई एक पहल है।
- एसआईपी का कार्यान्वयन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ तीन अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से किया जाता है जो कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय है।
- इसके कार्यान्वयन में संबंधित राज्यों के स्थानीय प्रशासन सिंहत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियां भी अपनी भागीदारी निभाती है।
- चरण । के स्थान हैं: अजमेर शरीफ दरगाह, सीएसटी मुंबई, कामाख्या मंदिर, स्वर्ण मंदिर, मिणकर्णिका घाट, मीनाक्षी मंदिर, श्री वैष्णों देवी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ताजमहल और तिरुपित मंदिर।
- चरण ॥ के स्थान हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, चारमीनार, महाकलेश्वर मंदिर, कॉन्वेंट एंड चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, कलादी, गोमतेश्वर, वैद्यनाथ धाम, गया तीर्थ और सोमनाथ मंदिर।

बेदीनखलम फेस्टिवल

🔉 मेघालय राज्य के सबसे रंगीन त्यौहारों में से एक बेदीनखलम

जयंतिया पहाड़ियों पर मनाया गया।

बेदीनखलम त्योहार के बारे में:

- 💿 बेदीनखलम जर्यातया पहाड़ियों के लोगों का एक बड़ा त्योहार है।
- यह एक उच्च फसल उत्पादन के लिए देवताओं का आग्रह करने और प्लेग दुर करने के लिए मनाया जाता है।
- गैर-ईसाई 'पनर' लोग जो 'नियामर' या हिंदू धर्म के पारंपरिक रिवाज़ में विश्वास करते हैं, इस त्योहार का पालन करते हैं।

पृष्ठभूमि :

- सन् 1972 में असम से अलग हुआ उत्तर पूर्वी भारत का राज्य मेघालय अपनी सुंदर वादियों, संस्कृतियों व लोक कलाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
- यहाँ लगभग आधे से ज्यादा भूमि के हिस्से में जंगल बसे हुए हैं, जिनकी वजह से यह राज्य कई अलग-अलग तरह के जंगल स्तनपाई, पक्षी, पौधों और जैव विविधताओं के लिए जाना जाता है।

अन्य प्रमुख नृत्य

- 1. वांगला : मेघालय में असानांग गाँव के निवासी गारो जनजातियों का सबसे प्रमुख त्योहार, नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते में दो दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार को 100 ढोलकों का त्योहार भी कहते है। इस दिन जनजाति के लोग चावल का सबसे पहला हिस्सा अपने देवी देवताओं को समर्पित करते हैं और अच्छे फसल के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।
- 2. चाड सुक्रा: पनर जाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार अप्रैल से मई के महीने में मनाया जाता है। खेतों में बीज बोने से पहले इस त्योहार को मना कर लोग अपने देवी देवताओं से अच्छे फसल के होने की प्रार्थना करते हैं और हर तरह की प्राकृतिक आपदा से अपने फसल को बचाने की प्रार्थना करते हैं।
- 3. का पोम्बलांग नोनाक्रेम: यह त्योहार मुख्यत: नोनाक्रेम नृत्य के लिए जाना जाता है।
 खासी जातियों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार शिलॉग से
 20 किलोमीटर दूर स्मित गाँव में अच्छी फसल की खुशी
 में मनाया जाता है।
 कुँवारे लड़के और लड़िकयाँ इस दिन पारंपरिक परिधान में
 लोक नृत्य प्रस्तुत करते हैं।

- 4. सारम चा 'आ': आटॉग्स जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार भी नवंबर के महीने में अच्छे फसल की खुशी में मनाया जाता है।

 पंडित सारे रीति रिवाजों के साथ अपने देवी देवताओं को पालतू जानवरों की बलि देते हैं।
- 5. बेहिदिन्ख्लाम : जयंतिया जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार इनका सबसे प्रमुख त्यौहार है। जोवाई गाँव में मनाए जाने वाले इस त्योहार का जश्न जुलाई महीने के तीन दिनों तक चलता है। लोग इस दिन अच्छे स्वास्थ और संपन्नता की कामना करते हैं। बड़े-बड़े रथों को सजा कर 30 से 40 लोग पास की ही नदी में विसर्जन के लिए ले जाते हैं। इस रथ के साथ ही यहाँ के पवित्र पेड़ ख्नोन्स को भी विसर्जित किया जाता है।
- 6. रोंगचु गाला: मेघालय के गारो जनजातियों द्वारा मनाये जाने वाले इस त्योहार में खेती के सबसे पहले फसल चपटे चावल जिसे रोंगचु कहते हैं, के हिस्से को मुर्गी की बिल के साथ अपने कुल देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है।
- उस्मान नॉगखराई: यहाँ का सबसे खास त्योहार है जिसे अप्रैल या मई के महीने में मनाया जाता है। बकरी की बिल देकर इस त्योहार का आयोजन शुरू होता है। लोग रात भर लोकनृत्य करते हैं और दूसरे दिन सुबह अपने देवी देवताओं की पूजा कर संपन्नता की कामना करते हैं।
- शाद- सुक माध्नसीम: हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाले इस त्योहार को बसंत ऋतु में शिलॉग में मनाया जाता है। युवा लड़के लड़िकयाँ पारंपिरक पिरधान में लोकसंगीत पर लोकनृत्य प्रस्तुत करते हैं।

मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस

- मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 30 जुलाई को व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है।
- इसमें साल, ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा 'बच्चों और युवाओं की तस्करी' नाम से रिपोर्ट जारी की गई है।

पृष्ठभूमि

- मानव तस्करी मनुष्यों का व्यापार है जो आमतौर पर जबरन श्रम,
 वाणिज्यिक यौन शोषण या अन्य लोगों के लिए यौन दासता के
 उद्देश्य से किया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुमान है कि दुनिया
 भर में जबरन श्रम से 21 मिलियन लोग पीडित हैं।
- इस अनुमान में श्रम और यौन शोषण के लिए मानव तस्करी के पीडित भी शामिल हैं।
- मानव तस्करी पर यूएनओडीसी ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे दुनिया भर में सभी मानव तस्करी पीड़ितों में से लगभग तीसरे स्थान पर हैं।
- इसके अतिरिक्त, महिलाओं और लड़िकयों में 71% मानव तस्करी पीडि़त शामिल हैं।

पाणिनी भाषा प्रयोगशाला

- हाल ही में मॉरीशस में महात्मा गांधी संस्थान में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन युवाओं और इसके बीच हिंदी पढ़ने और लिखने को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
- मॉरीशस में आयोजित 11 वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे लॉन्च किया था।

पाणिनी भाषा प्रयोगशाला

- 1. पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का लक्ष्य युवा पीढ़ी और इसके आगे के विकास के बीच हिंदी पढ़ने और लिखने को बढ़ावा देना है।
- यह युवाओं के लिए हिंदी सीखने में अधिक रुचि पैदा करने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करेगा, जिससे भाषा को मजबूत किया जा सके।
- यह भारतीय विदेश मंत्रालय के समर्थन से मॉरीशस में स्थापित किया गया है।
- 4. प्रयोगशाला में 35 आईटी पेशेवरों द्वारा स्थापित विभिन्न भारतीय भाषाओं के उन्नत सॉफ्टवेयर के साथ 35 कंप्यूटर और उपकरण हैं, जो जूनियर, मध्य और उच्च विद्यालयों के छात्रों को भाषा मंत्रों की सुनवाई, प्रशंसा, पढ़ने और लिखने के लिए आसान और वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से लिखने के लिए सहायता करते हैं।

त्रिभाषा सूत्र

- त्रिभाषा सूत्र को वर्ष 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद्
 ने इसे मूल रूप में अपनी संस्तुति के रूप में मुख्यमंत्रियों के
 सम्मेलन में रखा था और मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुमोदन भी
 कर दिया था।
- वर्ष 1968 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका समर्थन किया गया
 था और वर्ष 1968 में ही पुन: अनुमोदित कर दिया गया था।
- वर्ष 1992 में संसद ने इसके कार्यान्वयन की संस्तुति कर दी थी।
- यह संस्तुति राज्यों के लिए बाध्यता मूलक नहीं थी क्योंकि शिक्षा राज्यों का विषय है।
- वर्ष 2000 में यह देखा गया कि कुछ राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त इच्छानुसार संस्कृत, अरबी, फ्रेंच, तथा पुर्तगाली भी पढ़ाई जाती हैं.
- त्रिभाषा सूत्र में पहली, शास्त्रीय भाषाएं जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, दूसरी राष्ट्रीय भाषाएं और तीसरी आधुनिक यूरोपीय भाषाएं शामिल हैं।
- इन तीनों श्रेणियों में किन्हीं तीन भाषाओं को पढ़ाने का प्रस्ताव है।
- इसमें यह भी संस्तुति है कि हिन्दी भाषी राज्यों में दक्षिण की कोई भाषा पढ़ाई जानी चाहिए।

राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार-2018

पश्चिम बंगाल के पूर्व गवर्नर गोपालकृष्ण गांधी को
 2018 राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित
 किया गया।

गोपाल कृष्ण गांधी के विषय में

- 🖸 गोपालकृष्ण गांधी का जन्म 22 अप्रैल 1945 को हुआ।
- वह राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के पोते हैं।
- वह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी (तिमलनाडु कैडर) हैं और उन्होंने राजनियक के रूप में भी काम किया है।
- वह 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल थे।
- पूर्व आईएएस अधिकारी के रूप में, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति (1987-1992) के सचिव के रूप में कार्य किया था।
- उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया था और अन्य महत्वपूर्ण प्रशासिनक और राजनियक पद भी अपनी सेवाएं दी हैं।

वह 2017 के भारत के उपराष्ट्रपित चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के उम्मीदवार थे और एनडीए उम्मीदवार वेंकैया नायडू के खिलाफ 244 वोटों के साथ हार गए, उन्होंने 516 वोट प्राप्त किए।

राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार

- सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकीकरण और शांति को बढ़ावा देने के उत्कृष्ट योगदान के लिए चयनित व्यक्तियों को हर साल सम्मानित किया जाता है।
- इसे 1992 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (आईएनसी) की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए स्थायी योगदान का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया था।
- इस पुरस्कार में उद्धरण और दस लाख का नकद पुरस्कार प्रति वर्ष 20 अगस्त को दिया जाता है।
- पुरस्कार के पूर्व प्राप्तकर्ताओं में मदर टेरेसा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर, मोहम्मद यूनुस, सुनील दत्त, किपल वत्सयान, दिलीप कुमार, तीस्ता सेटलवाद, स्वामी अग्निवेश, नारायणन, उस्ताद अमजद अली खान, मुजफ्फर अली और शुभा मुद्गल आदि शामिल हैं।
- **नोटः** 2017 में, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन को सम्मानित किया गया था।

ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स- 2018

- इकोनोमिस्ट इंटिलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी 2018 ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में 140 प्रमुख शहरों में ऑस्ट्रेलियाई राजधानी वियना को दुनिया के सबसे जीवंत शहर के रूप में स्थान दिया गया।
- यह पहली बार है कि यूरोपीय शहर ने EIU वार्षिक सर्वेक्षण की रैंकिंग में सबसे ऊपर है।

वैश्विक लाइबिलिटी इंडेक्स

- EIU द्वारा जारी वैश्विक लाइबिलिटी इंडेक्स सुरक्षा, affordability, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, शहरी जीवनशैली और बुनियादी ढांचे के मामले में एक-दूसरे के साथ विश्व शहरों की तुलना करता है।
- यह इन उपरोक्त मानकों के आधार पर 0 (कम से कम रहने योग्य शहर) से लेकर 100 (सबसे जीवंत शहर) तक के पैमाने पर दुनिया के 140 प्रमुख शहरों को स्कोर करता है।

2018 वैश्विक लाइबिलिटी से संबंधित मुख्य बिंदु :

- तीन कनाडाई शहरों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाया। वैंकूवर, टोरंटो और कैलगरी।
- इंडेक्स के इस संस्करण के शीर्ष दस या नीचे दस में कोई भी भारतीय शहर स्थान नहीं बना पाया।
- नई दिल्ली की सूची 112वें और मुंबई में 117वें स्थान पर थी।
- 🗴 दक्षिण एशियाई शहरों को भी कम स्थान दिया गया था।

10 सबसे रहने योग्य	रैंक	10 सबसे कम रहने	रैंक
शहर		योग्य शहर	
वियना, ऑस्ट्रिया	99.1	डकार, सेनेगल	131
मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया	98.4	अल्जीयर्स, अल्जीरिया	132
ओसाका, जापान	97.7	डौला, कैमरून	133
कैलगरी, कनाडा	97.5	त्रिपोली, लीबिया	134
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया	97.4	हरारे, जिम्बाब्वे	135
वैंकूवर, कनाडा	97.3	पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यूगिनी	136
टोरंटो, कनाडा	97.2	कराची, पाकिस्तान	137
टोक्यो, जापान	97.2	लागोस, नाइजीरिया	138
कोपेनहेगन, डेनमार्क	96.8	ढाका, बांग्लादेश	139
एडीलेड, ऑस्ट्रेलिया	96.6	दमिश्क, सीरिया	140

EIU ने कहा कि अपराध, नागरिक अशांति, आतंकवाद या युद्ध ने दस सबसे कम स्कोरिंग शहरों में मजबूत भूमिका निभाई है।

मानव विकास रिपोर्ट 2018

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा 14 सितंबर, 2018 को 'मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI 2018) आधारित मानव विकास रिपोर्ट 2018 जारी की गई।
- 😊 इस वर्ष विश्व के 189 देशों में भारत 130वें स्थान पर है।
- 🧿 वर्ष 2017 में भारत 131 वें स्थान पर था।
- 🔉 ब्रिक्स देशों में भारत की सबसे खराब रैंकिंग है।

- एशियाई देशों में जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल भारत से नीचे हैं वहीं दक्षिण एशियाई पड़ोसी श्रीलंका की बेहतर रैंकिंग है।
- इस रिपोर्ट में सर्वोच्च रैंकिंग नॉर्वे की है जिसका मानव विकास सचकांक 0.953 है।
- दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर क्रमश: स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया एवं आयरलैंड हैं।
- वर्ष 2012 के मुकाबले आयरलैंड की रैंकिंग में 13 अंकों का सुधार हुआ है जो बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है।
- नाइजर की रैंकिंग सबसे नीचे है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- सूचकांक में भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है।
- भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.640 है। यह दक्षिण एशिया के औसत 0.638 से अधिक है।
- वर्ष 1990 के 0.427 स्कोर की तुलना में 2017 में भारत के मानव विकास स्कोर में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
- जो इस बात का संकेत देता है कि करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है।
- 🖸 वर्ष 2010 में अति उच्च मानव विकास समूह में 49 देश थे।
- सूचकांक में भले ही दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग काफी नीचे है।
- परंतु वर्ष 1990 से 2017 के बीच यह सर्वाधिक तेजी से विकास वाला क्षेत्र रहा है।
- वर्ष 2016 में भारत 0.624 मानव विकास सूचंकाक (एचडीआई) के साथ 131 वें स्थान पर था।
- आलोचना की अविध में इस क्षेत्र में मानव विकास में 45.3
 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- यह इस बात को दर्शाता है कि लोग औसतन अधिक वर्ष जीवित रह रहे हैं, अधिक शिक्षित हो रहे हैं और उनकी आय भी बढ़ी है।
- परंतु लोगों के बीच रहन-सहन में वैश्विक स्तर पर असमानता है।

भारत के संदर्भ में रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा के मामले में स्थिति बेहतर हुई है।
- वर्ष 1990 से 2017 के बीच भारत में जन्म के वक्त जीवन प्रत्याशा में करीब 11 सालों की बढ़ोतरी हुई है।

- भारत में जीवन प्रत्याशा 68.8 साल है जबिक 2016 में यह
 68.6 साल और 1990 में 57.9 साल थी।
- रिपोर्ट के अनुसार, स्कूली शिक्षा के मामले में भी स्थिति सुधरी है, जबिक 1990 और 2017 के बीच भारत की सकल राष्ट्रीय आय (GNI) प्रति व्यक्ति 266.6 प्रतिशत बढ़ी है।
- इसके अलावा 189 देशों में से 59 देशों को उच्च मानव विकास की श्रेणी में, जबिक 38 देशों को न्यूनतम मानव विकास की श्रेणी में शामिल किया गया है।
- हालाँकि, असमानताओं के कारण भारत के HDI मान में
 26.8 प्रतिशत की कमी हुई है, जो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों
 (क्षेत्र के लिये औसत नुकसान 26.1 प्रतिशत) के मुकाबले ज्यादा है।
- इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता सूचकांक के स्तर पर भारत
 160 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है और बांग्लादेश
 और पाकिस्तान के मुकाबले बेहतर स्थान हासिल किया है।

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक

- यह सूचकांक मानव विकास के तीन बुनियादी आयामों (लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान तक पहुँच तथा जीवन जीने का एक सभ्य स्तर) द्वारा प्रगति का आकलन करने का एक वैश्विक मानक है।
- इसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा बनाया गया था, जिसका 1990 में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा समर्थन किया गया और बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा प्रकाशित किया गया।
- ऑक्सफॉम ने जनवरी 2018 में असमानता पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
- भारत के संदर्भ में ऑक्सफॉम की रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्ष 2017 में भारत में जितना धन सृजित हुआ उसका 73 प्रतिशत सबसे धनी एक प्रतिशत के हाथों में गया वहीं सबसे गरीब 67 करोड़ भारतीयों की संपत्ति में महज एक प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की 127वीं रैंकिंग (160 देशों में) इसी को पिरलक्षित करता है।
- रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद में महिलाओं की भागीदारी महज 11.6 प्रतिशत है और केवल 39 प्रतिशत वयस्क महिलाएं माध्यमिक शिक्षा स्तर तक पहुंची है।

- 🖸 सबसे खराब स्थिति श्रम बाजार में भागीदारी के स्तर पर है।
- पुरुषों की 78.8 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी महज 27.2 प्रतिशता है जो कि 49 प्रतिशत के वैश्विक स्तर से काफी कम है।

विभिन्न देशों की एचडीआई रैंकिंग		
रैंक	देश	एचडीआर
1	नॉर्वे	0.953
2	स्विट्जरलैंड	0.944
3	ऑस्ट्रेलिया	0.939
130	भारत	0.640
136	बांग्लादेश	0.608
150	पाकिस्तान	0.562
189	नाइजर	0.354

मानव विकास सूचकांक

- मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई मानव विकास की तीन बुनियादी पहलुओं में दीर्घकालिक प्रगति का मापन है।
- ये तीन बुनियादी पहलू इस प्रकार हैं:
 - दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन
 - ज्ञान तक पहुंच, मर्यादित रहन-सहन
- नोट: दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन का मापन जीवन प्रत्याशा के आधार पर की जाती है।

विभिन्न सूचकांकों में भारत की रैंकिंग		
मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)	0.640	130
असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (आईएचडीआई)	0.468	
लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई)	0.524	127
लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई)	0.841	-

लैंगिक समानता सूचकांक (जीआईआई)

- यह एक समन्वित माप है जो तीन पहलुओं में महिला एवं पुरुष की उपलब्धियों के बीच असमानता को दर्शाता हैं।
- ये तीन पहलू हैं: पुनरूत्पादक स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार।

लैंगिक विकास सूचकांक (जीडीआई)

 पुरुषों की जीडीआई वैल्यू की तुलना में महिलाओं की जीडीआई वैल्यू का अनुपात ही लैंगिक विकास सूचकांक है।

- इसमें महिलाओं एवं पुरुषों की जीवन प्रत्याशा स्कूल में प्रवेश का वर्ष, स्कूल में व्यतीत किए गए वर्ष यानी स्कूलिंग का माध्य वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय की गणना व तुलना की जाती है।
- इस सूचकांक में विभिन्न देशों को पांच समूहों में वर्गीकृत किया जाता है।
- समूह-1 में पुरुष एवं महिला के बीच एचडीआई प्राप्ति में उच्चतम समानता वाले देश, समूह-2 में 2.5 से 5 प्रतिशत भिन्नता वाले देश, समूह-3 में 5 से 7.5 प्रतिशत भिन्नता वाले देश, समूह-4 में समानता से 7.5 से 10 प्रतिशत भटकाव वाले देश तथा समूह 5 में पुरुष एवं महिलाओं के एचडीआई मूल्य में 10 प्रतिशत से अधिक भटकाव वाले देशों को रखा जाता है।
- भारत समूह 5 के देशों में शामिल है अर्थात् पुरुष एवं महिलाओं के मानव विकास सूचकांक स्कोर में 10 प्रतिशत से अधिक का भटकाव है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई)

- 🤉 वर्ष 2010 में यह मानव विकास रिपोर्ट का हिस्सा बना।
- इस सूचकांक का विकास ऑक्सफॉम पॉवर्टी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई), द्वारा किया गया हैं।
- यह मानव विकास सूचकांक के तीन पहलुओं; स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर में घरेलू स्तर पर अपवंचना की गणना करता हैं।
- यह मल्टीडायमेंशनल गरीब लोगों का अनुपात तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई अपवंचनाओं की संख्या का मापन करता है।
- यह 10 अपवंचना संकेतकों की गणना करता है जिनमें स्कूल जाना एवं उपस्थिति, पोषण, शिशु मृत्यु, कुछ बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच शामिल हैं।
- गरीबी के निर्धारण में आय को शामिल किया जाता है जो कि
 1.90 डॉलर दैनिक से कम है।

भारत के 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर: संयुक्त राष्ट्

संदर्भ

 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2005-06 से 2015-16 के बीच भारत में 27.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 2018 बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

रिपोर्ट से संबंधित मुख्य तथ्य

- भारत में गरीबी घटने की दर सबसे ज्यादा बच्चों, गरीब राज्यों,
 आदिवासियों और मुस्लिमों के बीच है।
- बतौर रिपोर्ट, इन दस वर्षों के भीतर गरीबी दर 55 फीसदी से घटकर 28 फीसदी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी की दर लगभग आधी रह गई है।
- इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में 1.3 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, जोिक एमपीआई में परिकलित किए गए 104 देशों की कुल आबादी का एक-चौथाई हिस्सा है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि बहुआयामी गरीबी में जीवन बिता रहे 1.3 अरब लोगों में करीब आधे (46 फीसदी) लोग घोर गरीबी का सामना कर रहे हैं।
- वर्ष 1900 के बाद से भारत ही नहीं बिल्क दक्षिण एशिया के अन्य देशों में लोगों के जीवन जीने की प्रत्याशा 4 साल बढ़ी है और भारत में लोगों के जीवन जीने की प्रत्याशा 11 साल बढ़ी है। यह बहुआयामी गरीबी से सुधार के लिए अच्छा है।
- रिपोर्ट में कहा गया, भारत में सबसे ज्यादा गरीबी चार राज्यों में है।
- हालांकि भारत भर में गरीबी मौजूद है, लेकिन बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है।
- इन चारों राज्यों में पूरे भारत के आधे से ज्यादा गरीब रहते हैं,
 जोिक करीब 19.6 करोड़ की आबादी है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली, केरल और गोवा में गरीबों की संख्या सबसे कम है।

'निर्माण कुसुम' योजना

- ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 06 अक्टूबर 2018
 को 'निर्माण कुसुम योजना' की शुरुआत की।
- इस योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।
- इस योजना के तहत निर्माण मजदूरों का अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना पूरा होगा।

मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की ओर से सरकारी संस्थानों में आईटीआई और डिप्लोमा कर रहे निर्माण श्रमिकों के 500 से भी अधिक छात्रों को आर्थिक सहायता दी।

योजना से संबंधित मुख्य तथ्य

- इस योजना के तहत सरकार आईटीआई छात्र को 23,600 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता तथा डिप्लोमा छात्र को 26,300 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना के द्वारा 1878 छात्रों को लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 1.09 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
- सरकार ने बालिकाओं के लिए इस प्रोत्साहन राशि में 20 फीसदी वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बालिकाओं को वित्तीय सहायता 6वीं कक्षा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक दी जाएगी।
- सरकार ने इसके अतिरिक्त कामगार की मृत्यु पर मिलने वाली 1 लाख की राशी को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। इसी तरह दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय लाभ को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने विरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा ट्रेन को वीडियो कांफ्रोंसिंग के जिरये बालासौर से रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी आईटीआई और इंजीनियरिंग डिप्लोमा संस्थानों में पढने वाले ऐसे बच्चों का खर्च शत प्रतिशत वहन करेगी।

चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ

- असम सरकार राज्य के चाय बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना की पेशकश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
- यह योजना गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री सर्वानन्द सोनेवाल द्वारा शुरू की जाएगी।
- इस घोषणा का उद्देश्य चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को होने वाले समस्याओं से निजात दिलाना है तािक वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से चला सकें।

योजना के मुख्य बिंदु

😊 इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपये की

- राशि दी जाएगी ताकि वे स्वयं और नवजात शिशु की देखभाल कर सकें।
- गर्भवती महिलाओं को मजदूरी का मुआवजा 4 किश्तों में दिया जाएगा - पहले तिमाही में 2,000 रुपये, दूसरे तिमाही में 4,000 रुपये, संस्थागत डिलीवरी के लिए 3,000 रुपये और बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
- इस योजना से राज्य की 60,000 से अधिक चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को लाभ होने का अनुमान है।

भारत में मातृत्व अवकाश

- भारत में संशोधित विधेयक में नौ से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में कामगार महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अविध 12 से बढाकर 26 हफ्ते कर दी गई है।
- विधेयक में अवकाश का लाभ प्रसव की संभावित तारीख से आठ हफ्ते पहले लिया जा सकता है। 1961 के मूल कानून में यह अविध छह हफ्ते की थी।
- तत्कालीन राष्ट्रपित प्रणब मुखर्जी ने मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, 2016 पर अपनी मुहर लगा दी थी जिसके बाद यह प्रावधान शामिल किए गये।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) अथवा अन्य समाजसेवी संगठनों का मानना है कि मां और बच्चे के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कामकाजी महिलाओं को 24 हफ्ते का मातृत्व अवकाश देना जरूरी है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार बच्चों की उत्तरजीविता (सरवाइवल)
 दर में सुधार के लिए 24 हफ्ते तक उन्हें सिर्फ स्तनपान कराना जरुरी होता है।

हिंदी दिवस 2018

- 14 सितम्बर 2018 को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया।
- पहला आधिकारिक हिन्दी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया।
- भारत में करीब 54.5 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं जिनमें से
 42.5 करोड़ उसे अपनी पहली भाषा मानते हैं।
- देश के 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं।

उद्देश्य

 राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को हिन्दी के प्रति जागरूक करना है। सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

हिन्दी दिवस

- हिन्दी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को एक मत से निर्णय लिया गया कि हिन्दी ही भारत की राजभाषा होगी।
- इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने हेतु तथा हिन्दी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के उद्देश्य से 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है।

राजभाषा गौरव पुरस्कार

- यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है।
- 😊 इसमें दस हजार से लेकर दो लाख रुपये के 13 पुरस्कार होते हैं।
- इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 2,00,000 व द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1,50,000 और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 75,000 रुपये मिलता है।
- साथ ही 10 लोगों को प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये मिलता है।
- इसका मूल उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिन्दी भाषा को आगे बढाना है।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

- 💿 इस पुरस्कार योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिये जाते हैं।
- यह पुरस्कार किसी सिमिति, विभाग, मण्डल आदि को उसके द्वारा हिन्दी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है।
- इसका मूल उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिन्दी भाषा का उपयोग करने से है।

हिन्दी भाषा के लिए संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिन्दी को अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों के रूप में विकसित और प्रचारित करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है।
- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में अधिकारिक भाषा के अतिरिक्त 22 अन्य भाषाएं शामिल हैं।

विश्व हिंदी दिवस

- प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है।
- इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के नागपुर से वर्ष 1975 में हुई थी।

 हालांकि इसे वर्ष 2006 में आधिकारिक दर्जा और वैश्विक पहचान मिली।

स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने 20 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के परिणाम घोषित कर दिए।
- यह अपने तरह की पहली रैंकिंग है।
- डीआईपीपी ने इसकी शुरूआत जनवरी 2016 से शुरू कर दी थी।
- औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा उभरते उद्यमियों के लिए राज्यों द्वारा अधिक अनुकूल तंत्र विकसित कराने के प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है।
- इस रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर रहा है।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य देश में उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है।
- योजना के तहत कर अवकाश और पूंजीगत लाभ कर की छूट दी जा रही है।

विभिन्न श्रेणियों में राज्यों का आकलन

 स्टार्ट-अप नीति नेतृत्व, नवाचार, नवाचार प्रगति, संचार, पूर्वोत्तर नेतृत्व, पर्वतीय राज्य नेतृत्व इत्यादि विभिन्न श्रेणियों में राज्यों का आकलन किया गया।

का आकरान किया गया।		
स्टार्ट-अप रैंकिंग	प्रदर्शन राज्य	
बेस्ट परफॉर्मर	गुजरात	
टॉप परफॉर्मर राज्य	कर्नाटक, केरल, ओडिशा और	
	राजस्थान	
लीडर्स	आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य	
	प्रदेश और तेलंगाना	
एस्पायरिंग लीडर्स	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड,	
	उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल	
इमर्जिंग स्टेट्स	असम, दिल्ली, गोवा, जम्मू और	
	कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु	
	और उत्तराखंड	
बिगिनर्स	चंडीगढ़, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड,	
	पुदुच्चेरी, सिक्किम और त्रिपुरा	

 इन श्रेणियों में किए जाने वाले प्रदर्शनों के आधार पर राज्यों को शानदार प्रदर्शन, बेहतरीन प्रदर्शन, मार्गदर्शक, आकांक्षी मार्गदर्शक, उभरते हुए राज्य और आरंभकर्ता के रूप में पहचान की गई है।

स्टार्ट-अप इको प्रणाली के विकास में योगदान

- राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 51 अधिकारियों को 'चैंपियन' के रूप में चुना गया, जिन्होंने अपने राज्यों की स्टार्ट-अप इको प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- इस पूरी प्रक्रिया में 27 राज्यों और तीन केन्द्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया।
- मूल्यांकन सिमिति में स्टार्ट-अप इको प्रणाली से संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञों को रखा गया था, जिन्होंने विभिन्न मानकों के ऊपर सभी राज्यों का मूल्यांकन किया।
- स्टार्ट-अप नए विचारों से लैस होते हैं और ये देश की सामाजिक, कृषि और सेवा क्षेत्र की समस्याएं हल करने में सक्षम होते हैं।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह रिपोर्ट 18 दिसंबर 2018 को जिनेवा, (स्विट्जरलैंड) में जारी की गई जिसमें विश्व के विभिन्न देशों पर अध्ययन किया गया है।
- रिपोर्ट के आंकड़ों में कहा गया है कि महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं।
- > लेकिन अवसरों की समानता अभी भी मौजूद नहीं है।

जेंडर गैप इंडेक्स 2018 का आधार

- दुनिया लैंगिक असमानता की खाई को 68 प्रतिशत पाट चुकी है।
- लेकिन फिर भी महिला-पुरुष समानता के लिए 202 वर्ष लग सकते हैं।
- भारत के मामले में लैंगिक असमानता 66 प्रतिशत तक है।
- जबिक पूरे दिक्षण एशिया की बात करें तो यह 65 प्रतिशत पर है।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग का आधार चार श्रेणियों में देशों के प्रदर्शन को बनाया गया है: महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और उन्हें मिलने वाले अवसर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018

- वर्ष 2018 की रिपोर्ट में कुल 149 देशों के इस सर्वे में भारत को 108वां स्थान मिला है।
- वर्ष 2017 में भी भारत का यही रैंक था, जबिक 2016 में वह 21 स्थान ऊपर 87वें स्थान पर था।

- वर्ष 2017 की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में गिरावट के पीछे मुख्यत: राजनीतिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा और बुनियादी साक्षरता के क्षेत्रों में लैंगिक असमानता बढ़ने को जिम्मेदार टहराया गया था।
- रिपोर्ट में दक्षिण एशियाई देशों के बीच बांग्लादेश 48वें स्थान के साथ सबसे अच्छी स्थिति में है।
- वर्ष 2017 में भी बांग्लादेश ही दक्षिण एशिया में लैंगिक असमानता रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ रहा था, पिछले वर्ष बांग्लादेश की रैंकिंग 47 थी।
- जेंडर गैप पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ताजा रिपोर्ट में श्रीलंका और नेपाल को क्रमश: 100वें और 105वें स्थान पर रखा गया है।
- मालदीव का रैंक 113, जबिक भूटान का 122 है।
- अफगानिस्तान को इस सर्वे में शामिल नहीं किया गया है।
- कुल 149 देशों पर किये गये सर्वेक्षण में पाकिस्तान का रैंक 148 है, जबिक सबसे नीचे 149वें स्थान पर गृहयुद्ध में फंसे देश यमन को रखा गया है।
- पिछले सालों की भांति लगातार दसवें वर्ष भी आइसलैंड पहले नंबर पर है।
- दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमश: नॉर्वे और स्वीडन हैं।

चारों श्रेणियों में भारत का स्तर गिरा

- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट को चार श्रेणियों में बांटा गया है।
- जिसमें महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल हैं।
- आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मामले में भारत 2017
 में 139वें स्थान पर था।
- जबिक वर्ष 2018 में 142वें स्थान पर है।
- स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा श्रेणी में भारत 147वें स्थान पर है।
- 🕨 इस श्रेणी में भारत पिछले वर्ष 146वें स्थान पर था।
- राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में भारत का स्थान 19वां है,
 जबिक पिछले वर्ष यह 15वें नंबर पर था।
- शिक्षा के स्तर श्रेणी में भारत दो स्थान नीचे गिरकर 114वें नंबर पर आ गया है।
- पिछले वर्ष भारत 112वें स्थान पर था।

'टाइम पर्सन ऑफ द इयर 2018'

- प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम मैगजीन ने सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी को सम्मान देने के लिए उन्हें 2018 के 'टाइम पर्सन ऑफ द ईयर' के लिए चुना है।
- पित्रका ने यह सम्मान खशोगी सिहत चार पत्रकारों और एक अखबार को दिया है।
- विदित हो कि सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी अमेरिकी नागरिक
 थे।
- उनकी अक्तूबर 2018 में इस्तांबुल दूतावास में हत्या कर दी गई थी।
- ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी व्यक्ति को मरणोपरांत टाइम मैगजीन के कवर के लिए चुना गया हो।

टाइम पर्सन ऑफ द इयर 2018

- खाशोगी के अलावा ये सम्मान फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा, रयूटर्स के रिपोर्टर वा लोन, क्याव सोई ओ जो (इस वक्त म्यांमार की जेल में बंद हैं) और कैपिटल गैजेट को दिया गया है।
- मैरिलैंड के एनापोलिस स्थित कैपिटल गैजेट का स्टाफ भी सम्मान में शामिल है। इस स्टाफ में उन पांच लोगों को भी शामिल किया गया है, जो जून में हुई गोलीबारी में मारे गए थे।
- टाइम पत्रिका ने इन सबको अपनी कवर स्टोरी बनाकर 'द गार्जियन्स एंड द वॉर ऑन ट्रूथ' शीर्षक के साथ प्रकाशित किया है।
- वर्ष 2016 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी मुख्य दावेदार थे लेकिन अंत में वह दूसरे स्थान पर रहे।
- वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की जांच कर रहे विशेष काउंसर रॉबर्ट मुलर तीसरे स्थान पर रहे।

टाइम मैगजीन के विषय में

- वर्ष 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प टाइम पर्सन ऑफ द इयर घोषित किये गये थे।
- टाइम मैगजीन को येल विश्वविद्यालय के छात्रों हेनरी लूस और ब्रिटोन हैडन ने शुरू किया था।
- 🕨 इसकी पहली बिक्री मार्च 1923 में शुरू हुई थी।
- टाइम मैगजीन के विश्व में विभिन्न संस्करण प्रकाशित होते हैं।
- > अमेरिका में इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क में होता है।
- एशियाई संस्करण 'टाइम एशिया' हॉन्ग कॉन्ग से संचालित होता है।

- वर्ष 2017 में टाइम इंक को मेरेडिथ ने 3 बिलियन डॉलर में खरीदा था।
- टाइम मैगजीन अपने वार्षिक संस्करणों 'पर्सन ऑफ द इयर',
 'टाइम 100', 'सबसे प्रभावशाली व्यक्ति', आदि के कारण
 विश्व प्रसिद्ध है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किये गये महत्वाकांक्षी वैश्विक विकास लक्ष्य है जो सार्वभौमिक जन कल्याण से संबंधित है।
- एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र (भारत) के सहयोग से तैयार किया है।
- ये लक्ष्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से संबंधित है तथा इनमें विकास के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को शामिल किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य तय किये गये हैं, जो कि निम्नलिखित हैं:
 - 1. गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
 - 2. भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
 - सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
 - 4. समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
 - 5. लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़िकयों को सशक्त करना।
 - 6. सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।।
 - सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
 - लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढावा।
 - 10. देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
 - सुरिक्षत, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।

- 12. स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
- 13. जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- 14. स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
- 15. सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
- 16. सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी सिमितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
- 17. सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्ति कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।

नीति आयोग द्वारा जारी निष्कर्ष

- स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने में, असमानता कम करने में और पर्वतीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने में हिमाचल प्रदेश ने उच्च स्थान प्राप्त किया है।
- अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में, भूखमरी कम करने में, लैंगिक समानता हासिल करने में तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में केरल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
- स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता उपलब्ध कराने में, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में, आर्थिक विकास करने में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में चंडीगढ़ ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।

सतत विकास के आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग

नीति आयोग की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी

देश के सबसे पिछड़े जिलों को सामाजिक आर्थिक विकास की सीढ़ी पर ऊपर पहुंचाने की सरकार की एक विशेष योजना के तहत कुल मिलाकर सबसे अच्छी प्रगति करने वाले जिलों की नीति आयोग की ताजा सूची में तमिलनाडु का विरुदुनगर, ओडिशा का नौपाड़ा और उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर पहले तीन स्थान पर रखे गए हैं।

नोट: विकास आकांक्षी जिलों के बारे में नीति आयोग की यह सूची डेल्टा रैंकिंग के नाम से जारी की जाती है।

- विकास आकांक्षी जिलों के बारे में नीति आयोग की यह सूची डेल्टा रैंकिंग के नाम से जारी की जाती है और यह इसका दूसरा संस्करण है।
- इसके मुताबिक झारखंड का पाकुड़, असम का हैलाकाण्डी और झारखण्ड का चतरा जिला सुधार के मामले तीन सबसे पिछड़े जिलों में हैं।
- डेल्टा रैंकिंग के तहत एक जून, 2018 से 31 अक्टूबर, 2018 के बीच विकास की आकांक्षा रखने वाले 111 जिलों की विकास के छह पैमानों पर की गई प्रगति को आंका जाता है।
- विकास के मानदंडों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
- रैंकिंग के मुताबिक इस साल जून से अक्टूबर के बीच शानदार पहल और उल्लेखनीय उछाल हासिल करने वाले जिलों में उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर, जम्मू-कश्मीर का कुपवाड़ा और बिहार का जमुई शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच जनवरी, 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
- विकास की आकांक्षा रखने वाले कुल 115 जिलों में से केवल
 111 ने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया।
- पश्चिम बंगाल के ऐसे तीन जिलों ने सर्वेक्षण में हिस्सा नहीं लिया।
- वहीं बाढ़ की वजह से केरल का एक जिला इसमें हिस्सा नहीं ले सका।
- आकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैकिंग को जून, 2018 में जारी किया गया था।
- शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार करने वाले तीन जिलों में तिमलनाडु का विरुधुनगर, ओडिशा का नौपाड़ा और झारखंड का गुमला शामिल हैं।
- वहीं सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में झारखंड का पाकुड़, कर्नाटक का यादगीर और ओडिशा का मल्कानिगिरि शामिल हैं।

वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018

- वर्ष 2018 के लैंगिक अंतराल सूचकांक (Global Gender Gap Index 2018) में विश्व के 149 देशों के सूचकांकों में भारत को 108वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है।
- विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले इस सूचकांक
 में वर्ष 2017 में भी भारत इसी रैंक पर था, अर्थात ओवरऑल

उसकी रैंकिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मुख्य तथ्य :

- जेंडर गैप मापन के चारों मानकों में विगत वर्ष के मुकाबले भारत की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है।
- स्वास्थ्य व उत्तरजीविता के मामले में तो भारत विश्व में तीसरा सर्वाधिक लैंगिक असमानता वाला देश है।
- समान कार्य के लिए मजदूरी के स्तर पर भारत में सुधार देखा गया है और टिशिंयरी स्तर की शिक्षा (कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल) में पहली बार भारत लैंगिक असमानता की खाई को पूरी तरह समाप्त करने के करीब पहुँच गया है।
- भारत विश्व में दूसरा सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस श्रम बल वाला देश है, साथ ही विश्व में सर्वाधिक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस लैंगिक अंतराल वाला देश भी है।
- भारत में पुरुषों के 78 प्रतिशत के मुकाबले केवल 22 प्रतिशत महिलाएं श्रम बल ही इस क्षेत्र में है।

अन्य बिन्दु :

- वैश्विक स्तर पर, रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में जेंडर गैप में सुधार के बावजूद स्वास्थ्य व शिक्षा तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के मामले में ट्रेंड प्रतिकूल होता हुआ दिखाई दिया।
- विश्व आर्थिक मंच की इस सूचकांक में सर्वोच्च रैंकिंग आईसलैंड को प्राप्त हुई है।
- यह विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है।
- हालांकि वह भी पूर्ण लैंगिक समानता वाला देश नहीं है।
- वहाँ 85 प्रतिशत लैंगिक असमानता को समाप्त कर लिया गया है।
- आइसलैंड के पश्चात स्वीडन और फिनलैंड का स्थान है।

विभिन्न मानकों पर विश्व में भारत की लैंगिक अंतराल रैंकिंग			
	2018	2019	
• ओवरऑल रैंकिंग	108	108	
• आर्थिक भागीदारी व अवसर	142	139	
• शैक्षिक उपलब्धि	114	112	
• स्वास्थ्य व उत्तरजीविता	147	141	
• राजनीतिक सशक्तिकरण	19	15	

ग्लोबल जेंडर गैप वैश्विक रैंकिंग			
देश	रैंकिंग 2018 (स्कोर)	रैंकिंग 2017 (स्कोर)	
आईसलैंड	1 (0.858)	1 (0.878)	
नॉर्वे	2 (0.835)	2 (0.830)	

स्वीडन	3 (0.822)	3 (0.816)
फिलीपींस	8 (0.799)	8 (0.790)
बांग्लादेश	48 (0.721)	48 (0.719)
यूएसए	1(0.720)	1(0.718)
चीन	51 (0.720)	51 (0.674)
भारत	103 (0.673)	103 (0.669)
पाकिस्तान	148 (0.550)	148 (0.546)
यमन	149 (0.499)	149 (0.516)

15वाँ प्रवासी भारतीय दिवस

- कुंभ मेला और गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए बहुतायत डायस्पोरा समुदाय की भावनाओं के सम्मान में, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 9 जनवरी के स्थान पर 21 से 23 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया।
- सम्मलेन का आयोजन वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया गया।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन युवा मामले और खेल मंत्रालय की साझेदारी में किया गया।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जनवरी, 2019 को राज्य प्रवासी
 भारतीय दिवस- 2019 भी आयोजित किया।
- माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2019 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- माननीय राष्ट्रपति के द्वारा 23 जनवरी, 2019 को, समापन अभिभाषण दिया गया और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया गया।
- मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे।
- प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय "नव भारत निर्माण में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका" है।

प्रवासी भारतीय दिवस

- प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी के दिमाग की उपज थी।
- इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आये थे।
- 🕨 इस दिवस को मनाने की शुरूआत सन 2003 से हुई थी।
- इस अवसर पर प्राय: तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

इसमें अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले भारतवंशियों का सम्मानित किया जाता है तथा उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया जाता है।

उद्देश्य :

- अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ ही उनकी अपने देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- भारतवासियों को अप्रवासी बंधुओं की उपलब्धियों के बारे में बताना तथा अप्रवासियों को देशवासियों की उनसे अपेक्षाओं से अवगत कराना।
- विश्व के 110 देशों में अप्रवासी भारतीयों का एक नेटवर्क बनाना।
- 4. भारत की युवा पीढ़ी को अप्रवासी भारतीयों से जोड़ना।
- भारतीय श्रमजीवियों को विदेश में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना होता है, के बारे में विचार-विमर्श करना।

जनजातीय भारत आदि महोत्सव

- आदि महोत्सव आदिवासियों को आजीविका और अपनी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है।
- महोत्सव आदिवासी कारीगरों को अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है।
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय और ट्राइफेड पूरे भारत के बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करता है।
- इन्हीं उद्देश्यों के साथ 2018 की दूसरी छमाही में इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली और भोपाल में पांच आदि महोत्सव आयोजित किए गए।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- इस वर्ष 18 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया है।
- दिसंबर, 2018 में भोपाल तथा रणथम्भौर में दो आदि महोत्सव आयोजित किए गए थे।
- इसके अितरिक्त ट्राइफेड ने नई दिल्ली, रायपुर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, भुवनेश्वर, मुंबई, रांची, लखनऊ, मसूरी, देहरादून, वाराणसी, भोपाल, बैंगलोर, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर, भिलाई, कोहिमा, काजीरंगा, कोटा, राउरकेला, रणथम्भौर, पुणे, प्रयागराज, पुदुचेरी, कोलकाता, चेन्नई और चंडीगढ़ में 28 प्रदर्शनियों का आयोजन किया था।
- इनमें 110.58 लाख रुपये मूल्य के उत्पादों की बिक्री हुई थी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस

- सभी नागरिकों के लिये उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा (National Legal Services Authority - NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय विरष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 39 A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1), विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को बाध्य करता है।

नालसा के कार्य

- नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएँ लागू करने के लिये राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा-निर्देश जारी करता है।
- मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुक कानूनी सहायता सिमतियों आदि को निम्नलिखित कार्य नियमित आधार पर करते रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है-
 - सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।
 - विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये लोक अदालतों का संचालन करना।

मुफ्त विधिक सेवाएँ

 किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना।

- कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना।
- कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
- कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना।

मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र

- महिलाएँ और बच्चे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
- औद्योगिक श्रमिक।
- बड़ी आपदाओं जैसे- हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप तथा औद्योगिक आपदाओं आदि के शिकार लोग।
- विकलांग व्यक्ति।
- हिरासत में रखे गए लोग।
- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं है।
- बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।

विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' 2019

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' (DBR 2019) जारी की।
- भारत ने DBR-2019 के 'व्यापार सुगमता सूचकांक' (Ease of Doing Business) में अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए 23 पायदान की छलांग लगाई है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- दुनिया भर में 128 अर्थव्यवस्थाओं ने पर्याप्त विनियामक सुधार प्रस्तुत किये जिससे डूइंग बिजनेस द्वारा मापन में शामिल सभी क्षेत्रों में व्यवसाय करना आसान हो गया है।
- डूइंग बिजनेस 2019 में सबसे उल्लेखनीय सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ अफगानिस्तान, जिब्रूती, चीन, अजरबैजान, भारत, टोगो, केन्या, कोट डी आईवर (आइवरी कोस्ट), तुर्की और रवांडा हैं।
- डूइंग बिजनेस 2019 द्वारा दर्ज िकये गए सभी व्यापार नियामक सुधारों में से एक-तिहाई सुधार उप-सहारा अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं में हुए।
- कुल 107 सुधारों के साथ उप-सहारा अफ्रीका में हुए सुधारों की संख्या एक रिकॉर्ड है।
- > ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं- ब्राजील, रूसी संघ, भारत और चीन

- में कुल 21 सुधार हुए, जिसमें सुधार के सबसे आम क्षेत्रों-सीमा-पार व्यापार और विद्युत् उत्पादन में हुआ।
- व्यापार सुगमता सूचकांक की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ विनियामक दक्षता और गुणवत्ता की सामान्य विशेषताओं को साझा करती हैं।

भारत की स्थिति

- विश्व बैंक द्वारा 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' के आकलन में 190 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 2017 के 100वें पायदान से और ऊपर चढ़कर अब 77वें पायदान पर पहुँच गया है।
- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊँची छलांग निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाई थी जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में भारत पिछले दो वर्षों में
 53 पायदान और पिछले चार वर्षों में 65 पायदान ऊपर चढ़ गया।

डूड़ंग बिजनेस रिपोर्ट का महत्त्व

- 'ड्ह्रंग बिजनेस आकलन' से उन 10 पैमानों पर 190 देशों में व्यवसाय या बिजनेस संबंधी नियम-कायदों और उन पर अमल के वस्तुनिष्ठ लक्ष्यों के बारे में पता चलता है जो किसी भी व्यवसाय के समूचे कारोबारी चक्र पर असर डालते हैं।
- DBR में देशों की रैंकिंग 'डिस्टेंस टू फ्रांटियर (DTF)' के आधार पर की जाती है जो एक विशिष्ट स्कोर है और जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनाए जाने वाले कारोबारी तौर-तरीकों तथा वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों में अंतर को दर्शाता है।
- भारत का DTF स्कोर जो पिछले वर्ष 60.76 था, इस वर्ष बढ़कर 67.23 हो गया है।
- भारत 10 संकेतकों में से 6 संकेतकों से जुड़ी अपनी रैंकिंग को बेहतर करने में कामयाब रहा है और इसके साथ ही वह 10 संकेतकों में से 7 संकेतकों पर वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों के और करीब पहुँच गया है।
- सबसे उल्लेखनीय सुधार 'निर्माण परिमट' और 'सीमा पार व्यापार'
 से जुड़े संकेतकों के मामले में देखा गया है।
- निर्माण परिमट की स्वीकृति देने के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 181वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 52वीं

- हो गई है जो एक ही वर्ष में 129 रैंकिंग के अभूतपूर्व सुधार को दर्शाता है।
- इसी तरह 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 146वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 80वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 66 रैंकिंग के उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

डूइंग बिजनेस- 2019

- 'डूइंग बिजनेस-2019: ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म' विश्व बैंक समूह का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। यह कारोबार को बढ़ाने और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले नियामकों को मापने वाली वार्षिक गतिविधियों की एक शृंखला का 16वां संस्करण है।
- डूइंग बिजनेस, व्यापार नियमों और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा पर मात्रात्मक संकेतक प्रस्तुत करता है जिनकी तुलना अफगानिस्तान से जिम्बाब्वे तक 190 अर्थव्यवस्थाओं के बीच की जा सकती है।
- डूइंग बिजनेस, व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता है। इन क्षेत्रों में से दस को इस साल की व्यापार सुगमता सूचकांक रैंकिंग में शामिल किया गया है।
- ये 10 क्षेत्र हैं- किसी व्यवसाय को शुरू करना निर्माण परिमट बिजली प्राप्त करना संपत्ति पंजीकृत करना ऋण प्राप्त करना लघु निवेशकों की रक्षा करना करों का भुगतान करना सीमा पार व्यापार अनुबंधों को लागू करना दिवालियापन की समस्या को हल करना।
- डूइंग बिजनेस में श्रम बाजार विनियमन की भी माप की जाती है लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया है।
- संकेतकों का प्रयोग आर्थिक परिणामों का विश्लेषण करने के लिये तथा यह जानने के लिये किया जाता है कि किन नियमों ने कब और कैसे काम किया।

जिन छह संकेतकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है वे निम्नलिखित हैं-

- 1. इस वर्ष भारत के प्रदर्शन संबंधी मुख्य बातें
- विश्व बैंक ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत को भी शामिल किया है।
- उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत की गिनती लगातार दूसरे वर्ष भी की गई है।
- 4. भारत प्रथम ब्रिक्स और दक्षिण एशियाई देश है जिसे सुधार करने वाले शीर्ष देशों में लगातार दूसरे वर्ष शामिल किया गया है।
- 5. भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊँची

- छलांग लगाई है जो डूइंग बिजनेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में की गई सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।
- 6. प्रदर्शन में निरंतर सुधार की बदौलत भारत अब दक्षिण एशियाई देशों में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है, जबिक वर्ष 2014 में यह छठे स्थान पर था।

भारत के आदिम जनजाति (PVTG) समूह

- 19वीं शताब्दी के जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही के विशेषताओं की प्रशंसा की थी।
- यदि नीतियों को भलीभांति बनाया जाए और उनका कार्यान्वयन करने वाली नौकरशाही कर्मठ अथवा पिरश्रमी हो तो उत्कृष्ट पिरणाम प्राप्त किये जा सकते हैं।
- बड़े पैमाने पर चुनावों को आयोजित करने में भारत का रिकॉर्ड यांत्रिक रूप से ही सही परन्तु कुशलतापूर्वक लागू प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की ओर संकेत करता है जो समान रूप से परन्तु बड़े स्तर पर चुनावों को प्रबंधित करती है।

आदिम जनजाति समूह

- सरकार ने एनएसी की सिफारिशों के आधार पर 2012-13 में आदिम जनजातीय समृह से संबंधित नीतियाँ बनाई।
- लगभग 2.7 मिलियन कुल जनसंख्या वाले 75 जनजातीय समूहों
 को आदिम जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
- यह छोटी सी आबादी देश के 12 से अधाक राज्यों में अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं।
- एनएसी (NAC) ने आदिम जनजातीय समूह को उन लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया है जो आजीविका के लिए कृषि करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिन्होंने निर्वाह मोड के माधयम से अपना अस्तित्व कायम रखा था और यदि जो आबादी गिरने पर भी स्थिर प्रदर्शन करते हैं।
- आदिम जनजातीय समूह में कुछ बेहतर समूह पूर्वी मध्य प्रदेश के बैगा, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बिरहोर, मलकानिगरी की बोंडा हिल्स के बोंडा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जरावा, तिमलनाडु के इरुलास, महाराष्ट्र के कोलाम्स और उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के सहिरया।
- आदिम जनजातीय समृह के लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं और कृषि के प्राचीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।

जनसंख्या में विविधता

 ग्रेट अंडमानीज, ओंग और सेंटिनेलिस (Senteneles) जनजातियों से लेकर अन्य जनजातियों तक आदिम जनजातियों की

- जनसंख्या में बड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। नीलगिरी के टोडा जनजाति की आबादी 1000 से अधिक है। यद्यपि आदिम जनजातीय समूह की आबादी में दशकीय वृद्धि देखी जा रही है परन्तु फिर भी कुछ जनजातियाँ (जैसे-मध्य भारत में बिरहोर) आबादी के मामले में आज भी स्थिर बनी हुई हैं। कुछ जनजातियों (जैसे-ओंग और अंडमानीज) की आबादी में कमी आ रही है।
- आदिम जनजातीय समूह में सबसे कम आबादी सेंटिनेलिस (9 मार्च, 2005 को किये गये अंतिम संपर्क के अनुसार, 32 और 13 लोगों के समूह अलग-अलग स्थानों पर देखे गए थे) जनजाति की है। वे अभी भी दूसरों से दूर रहते हैं। ग्रेट अंडमानी (57 व्यक्ति) और ओंग (अंडमान की आदिम जनजाति विकास समिति के अनुसार वर्ष 2012 में 107 व्यक्ति) जनजाति की संख्या में कमी आ रही है।
- मुख्य भूमि में, पश्चिम बंगाल का टोटो (2011 की जनगणना के अनुसार 1,387 व्यक्तियों के साथ 314 परिवार) और तिमलनाडु के टोडा (2011 के अनुसार 1,608, जिसमें प्रति टीआरसी, उदगमंडलम (ऊटी, 238 ईसाई टोडास शामिल हैं) की आबादी 2000 से भी कम है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के सहिरया लोगों की आबादी आदिम जनजातीय समूह में सर्वाधिक (4 लाख से भी अधिक) है।

अंडमान की सेंटिनली जनजाति

- अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटिनल नामक द्वीप पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या सुर्खियों का कारण रहा।
- यह हत्या उस क्षेत्र में हुई है जहाँ सेंटिनली जनजाति निवास करती है।
- कुछ विचारकों ने सेंटिनेलियों को दोषी ठहराने और दंडित करने की मांग की है तथा कुछ अन्य ने कहा है कि उन्हें आधुनिक समाज के रूप में एकीकृत किया जाए।
- किंतु इन दोनों ही परिस्थितियों का परिणाम केवल इन अद्वितीय लोगों की विलुप्ति ही हो सकती है।

संरक्षित जनजाति और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (RPA)

- भारत सरकार ने जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 जारी किया और इस क्षेत्र में प्राधिकरण के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया।
- जनजाति सदस्यों की फोटो लेना या फिल्मांकन का कार्य करना

- भी एक अपराध है।
- विदेशी लोगों को 'प्रतिबंधित' या 'संरक्षित' क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों को देखने के लिये उचित वीजा के अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र परिमट/संरक्षित क्षेत्र परिमट की आवश्यकता होती है।
- कई मामलों में ऐसे परिमट संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों द्वारा गृह मंत्रालय से अनुमित प्राप्त करने के बाद दिये जाते रहे हैं। इस प्रक्रिया में समय लगता है और एक तरह की बाधा पैदा होती रही है।
- हाल ही में कुछ द्वीपों के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश संबंधी नियमों में छुट दी गई थी।

निजीकरण और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में निजीकरण के मानवाधिकारों पर प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक वस्तुओं का व्यापक रूप से निजीकरण मानवाधिकारों को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रहा है और गरीबी में रहने वाले लोगों को और अधिक हाशिये पर ले जा रहा है।

निजीकरण और मानवाधिकार

- निजीकरण उन मान्यताओं पर आधारित है जो कि मूलभूत रूप से उन लोगों से अलग है जो गरिमा और समानता जैसे मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं।
- निजीकरण का सर्वोपिर उद्देश्य लाभ है और समानता तथा
 गैर-भेदभाव जैसे विचारों को का इसमें कोई स्थान नहीं है।
- निजीकरण मानव अधिकारों के लिये शायद ही कभी हितकर रहा है।
- कम आय वाले लोग विभिन्न तरीकों से निजीकरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
- आपराधिक न्याय प्रणाली का निजीकरण किया गया है, इसलिये गरीबों पर कई अलग-अलग शुल्क और जुर्माना लगाया जाता है।
- सामाजिक सुरक्षा के निजीकरण के परिणामस्वरूप अक्सर गरीबों को एक नए और वित्तीय रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन किया जाता है।
- आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग विभिन्न शुल्कों का भुगतान नहीं कर पाते हैं इसलिये जल, स्वच्छता, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और वित्तीय सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं।

नीति आयोग ने सरकार द्वारा संचालित जिला अस्पतालों में गैर-संचारी रोगों से निपटने के लिये सार्वजनिक-निजी साझेदारी के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

भारतीय संविधान दिवस

- भारत में हर साल 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' मनाया जाता है।
- इस दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है। उन्होंने भारतीय संविधान के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया है।
- भारत के संविधान का मसौदा तैयार करनेवाली सिमिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई थी।
- देश के संविधान निर्माण की 69वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में संविधान के प्रति जागरूकता के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।
- इसके बाद 26 नवंबर 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था।
- यही वजह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समितिः

- संविधान का मसौदा तैयार करने वाली सिमिति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित और पॉलीग्राफ्ड थी।
- इसमें किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

दस्तावेज पर हस्ताक्षरः

- संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज
 पर हस्ताक्षर किए थे फिर दो दिन बाद इसे लाग किया गया था।
- भारत के लोग अपना संविधान शुरू करने के बाद अपना इतिहास, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और शांति का जश्न मनाते है।

भारतीय संविधानः

- भारतीय संविधान दुनिया के सभी संविधानों को बारीकी से परखने के बाद बनाया गया।
- इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसमें 448
 अनुच्छेद, 12 अनुसुचियां और 94 संशोधन शामिल हैं।

- > यह हस्तलिखित संविधान है जिसमें 48 आर्टिकल हैं।
- इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लग गया था।

भारत के अल्पसंख्यक

- अल्पसंख्यक उस समुदाय को माना जाता है, जिसे अल्पसंख्यक कानून के तहत केंद्र की सरकार अधिसूचित करती है।
- भारत में मुस्लिम, सिख, बौध, इसाई, पारसी और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। हालांकि केंद्र के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर राज्यों में भी अल्पसंख्यक आयोग की शुरुआत हुई, लेकिन अभी भी देश के 15 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं, जहाँ राज्य अल्पसंख्यक आयोग काम नहीं कर रहा है।
- दरअसल तमाम राज्यों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अधि सूचित समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है।

पृष्ठभूमि

- 1947 में देश के विभाजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लगभग सभी लोग पाकिस्तान चले गए थे और भारत में इनकी संख्या बहुत कम रह गई।
- हमारे संविधान निर्माताओं के मिस्तिष्क में यह आशंका थी कि ऐसा न हो कि हिन्दुओं की बहुसंख्यक आबादी के कारण यहाँ केवल हिन्दुओं की ही सरकार बने और वह अल्पसंख्यकों के त्योहारों या उनके रीति-रिवाज का पालन करने पर कोई रोक लगा दे।
- यही वजह है कि अनुच्छेद 29 और 30 में कहा गया कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपने रीति-रिवाज तथा धर्म का पालन करने का अधिकार होगा। इसके अलावा संविधान में और कुछ नहीं कहा गया।

अल्पसंख्यक कौन है?

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ऐसा समुदाय जिसका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से कोई प्रभाव न हो और जिसकी आबादी नगण्य हो, उसे अल्पसंख्यक कहा जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अल्पसंख्यक ऐसे समूह हैं जिनके पास विशिष्ट और स्थिर जातीय (Stable Ethnic), धार्मिक और भाषायी विशेषताएँ हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।
- अनुच्छेद 29 में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी

- विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधि कार होगा।
- अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 350A और 350B केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।
- 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनयम की धारा 2(ब) के तहत 23 अक्तूबर, 1993 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में पाँच समुदायों मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, पारसी तथा बौद्ध को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता दी गई। 2014 में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक की श्रेणी में शामिल किया गया।
- गुजरात सरकार ने राज्य में जैन समुदाय को अलग से अल्पसंख्यक घोषित किया है।
- TMA पाई फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा है कि राज्य कानून के संबंध में धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक का निर्धारण करने वाली इकाई केवल राज्य हो सकती है।

मापदंड तय किये जाने की जरुरत

- ि किसी समुदाय को राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक घोषित करने में जो मुख्य समस्या यह है कि इस शब्द की पिरभाषा कहीं नहीं बताई गई है, दूसरा यह कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम में भी इसकी कोई पिरभाषा नहीं बताई गई है तथा तीसरा यह है कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसका आधर क्या है यह निर्धारित नहीं है।
- याचिका में धारा 2(ब) तथा 23 अक्तूबर, 1993 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है तथा इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया है।
- यह सही है कि अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलना चाहिये। यह भी सही है कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, काफी हिंसा हुई थी इसके बावजूद संविधान निर्माताओं ने यह दूरदर्शी फैसला लिया कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और सबको बराबर का हक दिया जाएगा। लेकिन अल्पसंख्यक कौन हैं इसकी पहचान करना पहली शर्त होनी चाहिये।
- यह विडंबनापूर्ण स्थिति है कि कहीं पर कोई समुदाय जो 96, 98 प्रतिशत है वह अल्पसंख्यक है और वहीँ किसी राज्य में 2 प्रतिशत आबादी वाले लोग बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को मिलने वाले लाभ से वंचित हैं। यह गैर-बराबरी है। इसे एडेस किये जाने की जरूरत है।